खण्ड-200, अंक-3
शुक्रवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(12 दिसम्बर, 1958 ई0)

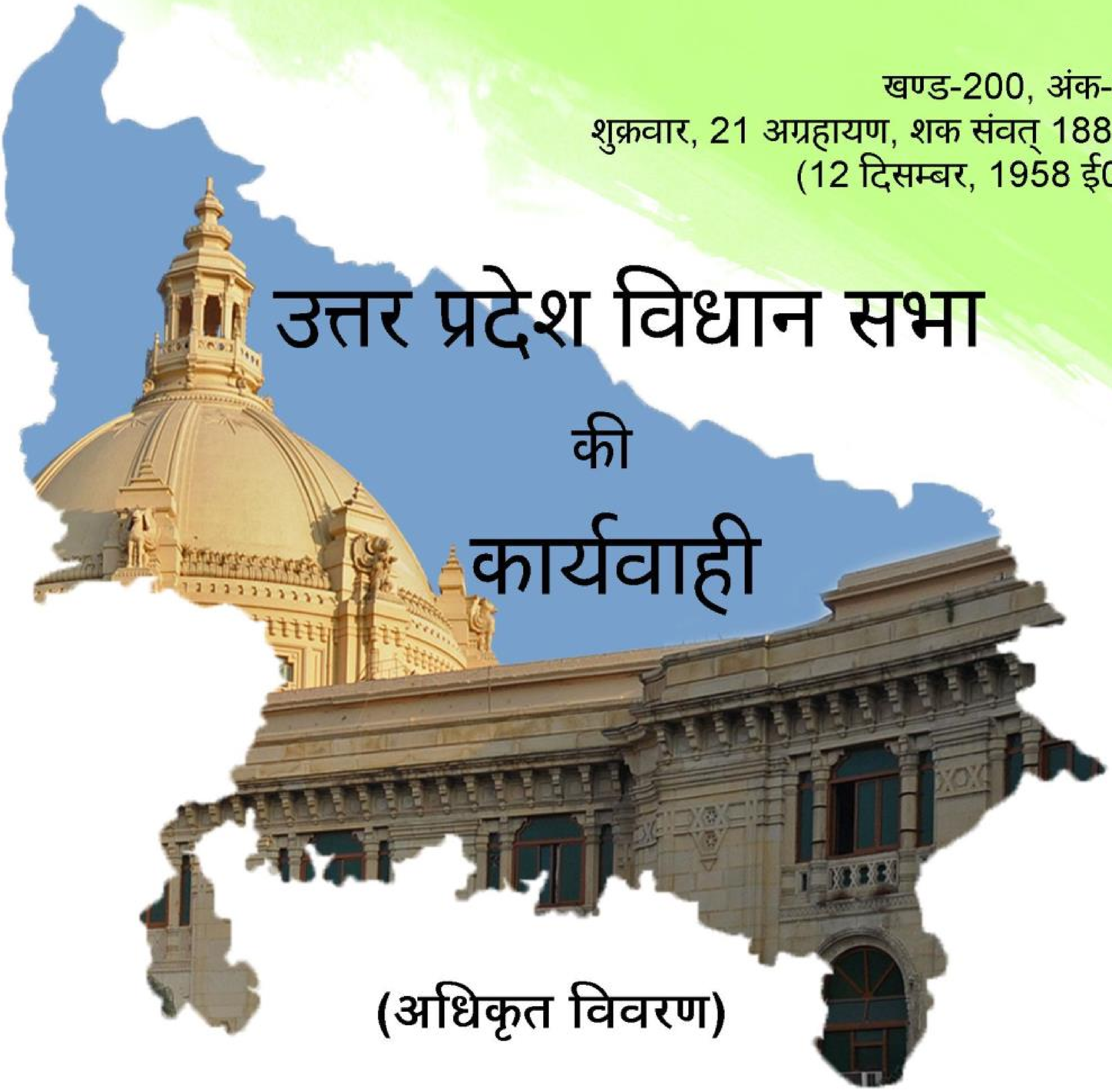

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२३५–२३९
प्रश्नोत्तर	२३९–२६७
घाघरा के कटाव के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२६७
सिधौली में गन्ने की कीमत से पैसा कटने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२६७–२६९
सदन की मेज पर रखे जाने वाले नियमों में संशोधन देने के लिए सुविधायें ..	२६९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२६९–२७०
सदन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना	२७०
समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नामों की वापसी के समय में वृद्धि	२७०
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद—जारी)	२७०–२८१
श्री रामचन्द्र विकल द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विवाद की मांग वापस लेने की सूचना	२८१
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ..	२८१–३०४
नत्थियां	३०५–३११

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की, अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदित्यराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कम द्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह, भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारांम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदर्वासिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजू लनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी महरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदर्वसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फांसी के कैदियों के दया के लिये प्रार्थना-पत्र

**१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष फांसी की सजा पाने वाले कितने कैदियों के mercy petitions (दया के लिए प्रार्थना-पत्र) सरकार के पास आये हैं तथा उनमें से कितने का निर्णय हो चुका है और कितने छः महीने से पेंडिंग हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सरकार के पास इस वर्ष अब तक फांसी की सजा पाने वाले कैदियों के ११६ दया के लिए प्रार्थना-पत्र (mercy petitions) आये हैं, उनमें से ३४ का निर्णय हो चुका है। ३ छः महीने से पेंडिंग हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके उत्तर के अनुसार जो ७९ पिटीशन बाकी हैं वह किस स्थिति म ह ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—२५ जो हैं वे गवर्नमेंट आफ इडिन्या के यहां पेंडिंग हैं और ३७ यहां स्टेट गवर्नमेंट में पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील में २० हैं, इस वजह से वे भी पेंडिंग हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन पेंडिंग दरख्वास्तों के लिए डिसाइड करने में औसत समय कितना लगेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बड़ा वक्त लगता है, ३ मास तो हाई कोर्ट के लिए लीव फार अपील की मियाद होती है, उस वक्त तक इन्तजार होता है और फिर एक्जामिनेशन में समय लगता है।

तारांकित प्रश्न

बाग लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष १९५७-५८ व १९५८-५९ में कुछ धन बाग लगाने के लिए लोगों को सहायता के निमित्त देने के लिए दिया था? यदि हां, तो कितना?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--१९५७-५८ में ३६,९०,००० रुपया; १९५८-५९ में कुछ नहीं।

*२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में हार्टिकल्चर एसोसिएशन बना है? यदि हां, तो कब?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायता सूबे के किन-किन जिलों को दी गई है?

श्री मोहनलाल गौतम--इस वक्त वह सूची नहीं है, लेकिन शायद वह रुपया सभी जिलों में भेजा गया था।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सहायता जिला नियोजन समितियों की सहायता से दी गयी है या वितरण किस प्रकार किया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम--यह रुपया काफी देर में आया था और मार्च के महीने में यह जिलों को भेजा गया था। उस वक्त जिला कृषि अफसरों के पास जो दरख्वास्तें आयी थीं उन्हीं के अनुसार दिया गया था।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले को यह रकम कितनी दी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा मैंने कहा, जिलेवार सूची मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० में सब से बड़ी रकम बाग लगाने के लिए किस व्यक्ति को दी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा मैंने कहा, व्यक्तियों की सूची मेरे पास नहीं है; सूचना की जरूरत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बतायेगी कि औसत सहायता जो दी गयी है वह क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सहायता ३०० रुपये फी एकड़ के हिसाब से दी जाती है और पौने ५ फी सदी उसका ब्याज होता है। पांच साल के बाद, यानी छठे साल से, यह दस ईक्वल इन्स्टालमेंट्स में ब्याज और असल वसूल हो जाती है। तो ३०० रुपये कम से कम दी गयी है और क्योंकि एक एकड़ से कम में शायद नहीं है और ज्यादा से ज्यादा ८ या ९ हजार रुपये है, लेकिन यह मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--सन् १९५८-५९ में जो केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिली थी, राज्य सरकार ने मांगी ही नहीं या केन्द्रीय सरकार ने देने से इनकार कर दिया?

श्री मोहनलाल गौतम--मिली नहीं हमको।

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का कार्य-विस्तार

*३--श्री मुक्तिनाथ राय--दिनांक ८--८--५८ के होम्योपैथिक के पृथक डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति के विषय में तारांकित प्रश्न संख्या १० व ११ के पूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा तुलनात्मक आंकड़ा है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का कार्य विस्तार क्या है ? क्या इससे अवगत कराने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां। आवश्यक सूचना* संलग्न तालिका "क", "ख" तथा "ग" में दी हुई है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या होम्योपैथिक चिकित्सा के व्यापक विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिस तरह से चल रही है वही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विस्तार के सम्बन्ध में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को भी एलोपैथिक प्रणाली की तरह समान संरक्षण देने की सरकार की नीति जारी है या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नीति स्पष्ट है। एलोपैथी चल रही है और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी को भी हम तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे हो सकता है एकबारगी नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि होम्योपैथिक डाक्टरों के हजारों आवेदन-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग में आये हैं और अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--मन्त्री जी ने अभी कहा कि जिस तरह से नीति चल रही है उसी तरह से चल रही है। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रणाली किस प्रकार चल रही थी और इस समय किस प्रकार चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--नीति के सम्बन्ध में इस समय आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार किसी डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है जो होम्योपैथिक पद्धति का संचालन सुचारु रूप से कर सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी ऐसा नहीं सोच रही है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या होम्योपैथिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से निकट भविष्य में कदम उठाने की आशा की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बोर्ड भी अब बन चुका है और कर रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं।

---

*सूचना छापी नहीं गयी।

व्यायामशालाएं

*४—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालाएं हैं और किस जिले में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस राज्य में कोई राजकीय व्यायामशाला नहीं है। राज्य सरकार व्यायामशालाओं को साधारणतया कोई अनुदान नहीं देती है। राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने केवल राय बरेली जिले के ग्राम बछरावां में पुरुषोत्तम व्यायामशाला में कसरत के सामान खरीदने हेतु १,६०० रुपये का अनुदान दिया है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि जिला स्तर पर सरकार द्वारा अखाड़ा योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन आर्थिक संकट के कारण सहायता नहीं मिल रही है तो उसके लिए धन देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए है और जवान खुद इन्तजाम कर सकते हैं।

*५-७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा के जनाना अस्पताल में हिसाब की गड़बड़ी

*८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अल्मोड़ा के जनाना औषधालय में हाल में कोई रुपये के गबन अथवा हिसाब की गड़बड़ी का मामला सन् १९५८ में पकड़ा गया ? अगर हां, तो वह क्या है, और सरकार उस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। हिसाब की गड़बड़ी का एक मामला पकड़ा गया। उसका विवरण इस प्रकार है :

अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय के एक रिटायर्ड रसोइये को उसके सी० पी० एफ० का २०० पया भुगतान किया गया किन्तु कागजात में आवश्यक इन्दराज नहीं किया गया और रसीद भी नहीं मिल रही है।

हिसाब-किताब से सम्बन्धित कम्पाउण्डरनियों का ट्रान्सफर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही भी की जा रही है। डाक्टरों को भी चेतावनी दे दी गई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि जिस कम्पाउण्डरनी ने रुपया गबन किया था उसके खिलाफ कोई कार्यवाही फौजदारी नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, ऐसा नहीं है। रसोइये ने इकबाल किया है कि हमें रुपया मिल गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो फिर कौन सी ऐसी सजा दी थी जिससे उसका ट्रांसफर कर दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि लेजर में ठीक तरह से इंदराज नहीं किया, इसलिये ट्रांसफर कर दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी को पता है कि जिसका कसूर था वह ट्रांसफर नहीं की गई और दूसरी की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे पता नहीं है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

सरकारी अस्पतालों के दन्त चिकित्सक

*९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन सरकारी अस्पतालों में दन्त-चिकित्सक (Dentists) तैनात हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश के निम्न सरकारी अस्पतालों में दन्त चिकित्सक तैनात हैं:

१—मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद
२—शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी
३—दून अस्पताल, देहरादून
४—जिला अस्पताल, इटावा
५—जिला अस्पताल, गोरखपुर
६—बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ
७—सिविल डिस्पेंसरी, हजरतगंज, लखनऊ
८—जिला अस्पताल, फैजाबाद
९—जिला अस्पताल, सीतापुर
१०—जिला अस्पताल, सहारनपुर
११—प्यारेलाल शर्मा अस्पताल, मेरठ
१२—क्रास्थवेट अस्पताल, नैनीताल
१३—जिला अस्पताल, मुरादाबाद
१४—जिला अस्पताल, रामपुर
१५—जिला अस्पताल, अलीगढ़
१६—जिला अस्पताल, बरेली
१७—सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा
१८—गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर

*१०—श्री गनेशीलाल चौधरी—इन में से कितने अवैतनिक (Honorary) काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेरठ तथा वाराणसी के अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों में काम करने वाले दन्त चिकित्सकों के अतिरिक्त और अन्य सब अस्पतालों में दन्त चिकित्सक अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी उन शहरों में जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में या प्राइवेट अच्छे डेंटिस्ट्स नहीं हैं, वहां उनकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—धन मिल जायगा काफी तो करने की चेष्टा की जायगी।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां वैतनिक दंत चिकित्सक हैं तो वह स्कीम कब से लागू की गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—तारीख इस वक्त नहीं मालूम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी कानपुर उर्सला हासपिटल में भी इस चिकित्सा की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—वह उर्सला हास्पिटल मेडिकल कालेज में असोशियेटेड है और मेडिकल कालेज में इंतजाम है, उसकी कोई अलग जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि प्रदेश के जिन जिला अस्पतालों में दंत-चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है वहां पर अब सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब तक पर्याप्त मात्रा में धन न मिल जाय तब तक सोचना बेकार है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खीरी के सदर अस्पताल में किसी दन्त चिकित्सक ने आनरेरी सर्विस करने की कोई प्रार्थना माननीय मंत्री जी की सेवा में की थी ? यदि हां, तो क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे नोटिस की जरूरत है । इस वक्त याद नहीं है ।

फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली में अस्पताल की आवश्यकता

*११---श्री बाबूराम (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली में कोई शफाखाना खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी ऐसा सम्भव नहीं प्रतीत होता है ।

शाहजहांपुर में धान अनुसंधानशाला की मांग

*१२---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार शाहजहांपुर में धान की उन्नति के लिये Paddy Research Centre खोलने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---बरेली व हरदोई में क्षेत्रीय अनुसंधानशाखाएं खुल जाने से शाहजहांपुर में धान अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रार्थना

*१३---श्री महीलाल---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५७-५८ ई० में सत्तर लाख रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेशीय सरकार को व्यय करने के लिये स्वीकृत की थी और उसके लिये योजना मांगी थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 'जी नहीं' का अर्थ यह है कि ७० लाख रुपया नहीं आया या यह अर्थ है कि सरकार की तरफ से योजना बना कर नहीं भेजी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मंजूर नहीं हुई, शायद । यही बात इस वक्त खयाल में आती है ।

श्री महीलाल---माननीय मंत्री जी के ऊपर से यह स्पष्टीकरण चाहता था कि केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को इस विषय में लिखा भी या नहीं, कि यदि प्रान्तीय सरकार ने योजना बना कर भेजी प्राकृतिक चिकित्सा के लिये तो केन्द्रीय सरकार धन देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हां, लिखा था ।

श्री महीलाल---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि केन्द्रीय सरकार ने लिखा था तो क्या लिखा था, कितनी धनराशि देने की आशा दिलायी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिटेल नहीं दिया था । योजना मांगी थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने योजना भी कोई मांगी थी ? अगर मांगी थी तो प्रादेशिक सरकार ने कोई योजना भेजी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना मंजूर नहीं हुई वह कौन सी योजना थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने यह कहा था कि यह बताने के लिये कि कोई योजना यहां से इसके बारे में भेजी गयी थी नोटिस की आवश्यकता है । जब तक यह न मालूम हो जाय तब तक इसका जवाब नहीं दिया जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि एक योजना भेजी थी, तो वह कौन सी योजना थी जो मंजूर नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष---वह आपका सवाल नहीं था । जो उनका सवाल था उसका मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या चीज मंजूर नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न को आप स्पष्ट करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो माननीय महीलाल जी के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मंजर नहीं हुई तो क्या चीज थी जो मंजूर नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्योंकि होम्योपैथिक योजना की डिटेल नहीं भेजी थी, इस वक्त हमें मालूम नहीं है कि इस वजह से मंजूर नहीं हुई ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए कि प्रदेश के लोगों को इसकी खास जरूरत है अब भी केन्द्रीय सरकार को योजना बना कर भेजेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अवश्य भेजने की कोशिश करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को होम्योपैथिक योजना के बारे में लिखा था या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ।

श्री अध्यक्ष---पहले होम्योपैथिक का प्रश्न था इसलिये कन्फ्यूजन हो गया ।

*१४-१६---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७---श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में एलोपैथिक अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*१८---श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने एलोपैथिक अस्पताल बनाये जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस समय निश्चित संख्या का बताना कठिन है ।

*१९---श्री रामवचन यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये अस्पताल कहां-कहां बनाये जायेंगे और प्राथमिकता कहां के अस्पताल को दी जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामवचन यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नियोजन समिति के पास सरकार की तरफ से कुछ अस्पतालों को प्राथमिकता देने के लिये कोई आदेश भेजा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ठीक संख्या बतलाना अगर असम्भव है तो क्या मंत्री जी लगभग संख्या बतला सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब तय हो जायगा तब ठीक तौर पर जवाब दिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि आजमगढ़ की दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय एलोपैथिक अस्पताल का आइटम भूल गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं ऐसा भुलक्कड़ नहीं हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ क सिविल सर्जन ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आजमगढ़ में कितने और अस्पताल-खोलने क लिये सिफारिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस की जरूरत है।

श्री रामवचन यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नियोजन समिति, जिला आजमगढ़, ने कोई सूची अस्पतालों की प्राथमिकता के लिये भेजी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

एटा जिले की निधौली कलां सोसाइटी का आडिट

*२०---श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---क्या सरकार ने जिला एटा की निधौली कलां सोसाइटी के बां हुए सन् १९५४-५५ ई०, सन् १९५५-५६ ई०, सन् १९५७-५८ ई० के कर्जे (लेन-देन) का आडिट कराया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला एटा की निधौली कलां सोसाइटी के वर्ष १९५४-५५ व १९५५-५६ के लन-दन का आडिट हो गया। वर्ष १९५६-५७ के हिसाब का आडिट अभी शेष है।

*२१---श्री रघुवीरसिंह---क्या उक्त सोसाइटी में सन् १९५६ ई० में भट्ठे के कोयले के गबन की सूचना सरकार को मिली है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उक्त सोसाइटी ने कभी भट्ठा नहीं चलाया। सलिये भट्ठ के कोयले के गबन होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि जो डिफाल्टर सन् १९५४-५५ में थे वही १९५५-५६ में पाये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इतनी डिटेल हर एक सोसाइटी के आडिट की नहीं रहती है।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनसे अभी तक रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यही नहीं मालूम कि रुपया वाजिब है या नहीं। इसलिये यह कहना कि उनसे वसूल किया गया या नहीं, यह डिटेल का सवाल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलायेगी कि १९५६ में किसी सहकारी संघ के कोयले के भट्ठे में गबन हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारी संघ के भट्ठे में कोयले का गबन हुआ था।

श्री रघुवीरसिंह---सरकार ने आडिट से जब यह जाना कि सहकारी संघ के भट्ठे में गबन हुआ था तो उसने उसके ऊपर अभी तक कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न सहकारी सोसाइटी का है। सहकारी संघ के भट्ठे में कोयले का गबन हुआ और वह गबन ९१८ रुपये ६ आने का हुआ। सोसाइटी के सुपरवाइजर, मैनेजर और ठेकेदार इन तीनों को जिम्मेदार पाया गया। भूतपूर्व सुपरवाइजर कुंवरपालसिंह ने अपना हिस्सा ३०६ रुपया दे दिया था। बाकी दोनों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। भूतपूर्व सुपरवाइजर कुंवरपालसिंह को गवाही के लिये बुलाया जाता है वह नहीं आता है। उसकी गवाही नहीं हो पायी है। इसलिये अभी कार्यवाही खत्म नहीं हुई।

श्री रघुवीरसिंह---सुपरवाइजर सरकारी कर्मचारी है। वह अब तक क्यों नहीं आया ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने कहा कि भूतपूर्व है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले का जो गबन हुआ वह क्या कोयले की फर्जी खरीदारी दिखा कर रकम का गबन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न सहकारी समिति का था और इसमें सहकारी संघ के कोयले के गबन के थोड़े से आंकड़े हैं। इन सब सवालों के लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

वाराणसी जिले में चौबेपुर तथा चोलापुर डिस्पेन्सरी की इमारतें

*२२---श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चौबेपुर राजकीय डिस्पेन्सरी के लिये जो मकान खरीदा गया है क्या उसमें डिस्पेन्सरी चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं। क्रय किया हुआ भवन अभी प्रयोग के लिये उपयुक्त नहीं है। आवश्यक मरम्मत किये जाने के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी को लिखा गया है।

*२३---श्री लोकनाथ सिंह---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की चोलापुर राजकीय डिस्पेन्सरी का नया भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---भवन का निर्माण-कार्य, लोहे के डंडों के अभाव के कारण, अभी समाप्त नहीं हो सका है।

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक मरम्मत के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी को कब लिखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ठीक तारीख तो नहीं बतलायी जा सकती, लेकिन कुछ अरसा हुआ जब लिखा गया था।

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आवश्यक मरम्मतों में क्या खर्च होने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस्टीमेट मांगा गया है। जब तक वह न आये तब तक क्या बतलाया जा सकता है ?

श्री लोकनाथसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोहे के छड़ कब तक उपलब्ध होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसका सरकार नहीं, ठेकेदार इन्तजाम कर रहा है।

*२४--श्री शिवप्रसाद नागर--[२ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में कुवारी फसल को मक्खियों से बचाने का कार्य

*२५--श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जिला गोरखपुर में महाराजगंज के कुछ भाग में पहले से पकने वाली धान की फसल को मक्खियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं। जिला गोरखपुर में महाराजगंज क्षेत्र में पहले से पकने वाली धान की फसल को मक्खियों द्वारा नुकसान पहुंचने की कोई सूचना अभी तक कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

*२६--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उक्त मक्खियों से कुवारी फसल के बचाव के लिये किन-किन गांवों में दवा का प्रयोग हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--महाराजगंज क्षेत्र में मक्खियों से कुवारी फसल के बचाव के लिये अब तक १४१ गाँवों में दवा का प्रयोग हुआ है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५-३०६ पर)

कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटियों द्वारा अनाज की खरीद

*२७--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश में जिलेवार कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा कितना-कितना गल्ला खरीदा गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस वर्ष १९५८-५९ में प्रदेश में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटियों द्वारा खरीदे गये गल्ले का जिलेवार विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०७-३०८ पर)

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा गल्ला खरीदने की योजना प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो सूची में दिया हुआ है।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूची के अनुसार ६ जिलों में बिलकुल नहीं और ७ जिलों में ५०० मन से कम गल्ले की खरीदारी रहने के क्या कारण रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह एक सूची है और दूसरी सूची वह है कि जो कृषकों से खरीदारी की गयी। कारण यह है कि जहां देर से काम शुरू हुआ वहां कम और जहां पहले काम शुरू हुआ वहां ज्यादा काम हुआ। दूसरा कारण यह भी है कि जहां पापुलेरिटी ज्यादा हुई वहां ज्यादा काम हुआ, जहां नहीं हुई वहां कम हुआ।

श्री शिवराजसिंह यादव--सूची में दिया है कि ६ जिलों में बिलकुल खरीदारी नहीं हुई और ७ जिलों में ५०० मन से कम हुई। तो क्या मैं यह समझूं कि जहां बिलकुल खरीदारी नहीं हुई वहां भी खरीदारी के लिये स्टाफ रहा ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार ने जिलों में कोआपरेटिव सोसाइटीज को कोई आदेश दिये हैं कि धान की खरीदारी वह बड़े पैमाने पर करें ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा खरीदा हुआ गल्ला सिर्फ बीज के काम में ही आता है या खाने के भी काम में आता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मार्केटिंग सोसायटी का है। वह तो कमीशन पर काम करती है, खरीद और बेंच दोनों करती है। बीज का काम बीज भंडार करते हैं।

*२८-२९--श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५-१२-५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०--श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[३ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३१-३२--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--[१० दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या २८-२९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

कसारा, जिला आजमगढ़, में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की मांग

*३३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक वर्ष पूर्व जिला प्लानिंग कमेटी, आजमगढ़, ने कसारा, जिला आजमगढ़, में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के लिये प्रदेशीय सरकार के पास सुझाव भेजे थे ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं। परन्तु जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति ने अवश्य एक प्रस्ताव द्वारा ग्राम कसारा में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का सुझाव दिया था, परन्तु धनाभाव के कारण उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित न किया जा सका।

श्री रामसुन्दर पांडेय--स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस वर्ष कसारा अस्पताल के लिये जिला परामर्शदात्री समिति से प्रस्ताव आया था क्या उसी वर्ष और भी अस्पतालों के लिये वहां से प्रस्ताव आया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वक्त यह कहना कठिन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या चालू वित्तीय वर्ष में यहां अस्पताल खोला जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दूसरे साल सोचा जा सकता है।

गढ़वाल जिले में नवीन सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता

*३४—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या कृषिमंत्री को मालूम है कि गढ़वाल जिले के एक किनारे, कोटद्वार में अवस्थित होने के कारण गढ़वाल जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल जिले के दूरस्थ हिस्सों की यथेष्ठरूप से सेवा नहीं कर सकता? यदि हां, तो क्या सरकार ने गढ़वाल जिले के दूरस्थ इलाकों के लाभ के लिये नवीन सहकारी बैंक व्यवस्था की कोई योजना बनायी है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह बात सही है कि गढ़वाल जिले का सहकारी बैंक जिले के एक किनारे पर स्थित है। इसके कारण दूरस्थ समितियों को कुछ कठिनाई अवश्य होती है।

जी नहीं, इस समय गढ़वाल जिले के दूरस्थ इलाकों के लाभ के लिये नवीन सहकारी बैंक की व्यवस्था की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जिले के दूर के इलाकों के फायदे के लिये किसी केंद्रीय जगह नया सहकारी बैंक खोलने की मांग सरकार के सामने आई है? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ?

श्री मोहनलाल गौतम—हमारी नीति यह है कि एक जिले में एक ही सहकारी बैंक हो ताकि वह एक मजबूत बैंक की तरह से काम कर सके। यह ठीक है कि यह बैंक इस वक्त जिले के एक कोने में है, लेकिन दूसरा सहकारी बैंक खोलने की योजना यदि आई भी हो, तो वह हमारी नीति के अनुसार नहीं होगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह देखते हुये कि गढ़वाल जिला अन्य कई जिलों से ६ गुना बड़ा है क्या मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि वह इस बैंक को सेंट्रल स्थान पौड़ी पर ले जावें?

श्री मोहनलाल गौतम—इस बैंक की वर्किंग कैपिटल केवल ढाई लाख रुपया है और इसमें इसका गुजारा नहीं हो सकता। ५०,००० रुपये के सरकार ने इसमें शेयर खरीदे हैं। बैंक एक आटोनामस बाडी है और उसे हम दूसरी जगह ले जाने का हुक्म नहीं दे सकते। वह स्वयं फैसला करके जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—गढ़वाल जिले के बार्डर के हिस्से पर जहां बहुधंधी योजनाएं चल रही हैं वहां के लिये सरकार कोई अलहदा सहकारी बैंक खोलने पर विचार करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—हमारी नीति एक जिले में एक ऐसे बैंक की है।

बस्ती जिले के इटवा अस्पताल में शव-परीक्षा का प्रबन्ध न होना

*३५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार जिला बस्ती के इटवा अस्पताल में पोस्टमार्टम (शव-परीक्षा) की व्यवस्था करने जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह व्यवस्था कब तक कार्यान्वित की जायगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस प्रस्ताव पर आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी अपनी स्मृति को जागृत करेंगे और अपने कार्यालय से छानबीन करेंगे कि वह ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर में स्वीकारोक्ति दे चुके हैं और केवल समय का भेद है कि कब यह चालू हो?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—धन की कमी से दिक्कत है, हम बनाना चाहते हैं।

ऐलोपैथिक अस्पतालों की संख्या में बढ़ती

*३६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १ जनवरी, १९४६ ई० को एलोपैथिक सरकारी अस्पताल कितने थे, और ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० को कितने हो गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१ जनवरी, १९४६ ई० को उत्तर प्रदेश में सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या ८० थी। ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० में उनकी संख्या बढ़ कर ५८५ हो गई।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ से १९५७ तक इतने अस्पताल बनने पर क्या अब भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक भी अस्पताल न बनाया गया हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ जिले रह गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—१-१-१९४६ और ३१-१२-१९५७ के बीच में कितने अस्पताल बनाने का टारगैट था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—५८५ अस्पतालों में कितने देहाती क्षेत्रों में बने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना चाहिये।

*३७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५-१२-१९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

फाइलेरिया रोकने के लिये सर्वेक्षण

*३८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या फाइलेरिया उन्मूलन योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त कार्यप्रणाली क्या होगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों में जो फाइलेरिया संबंधी सर्वेक्षण हो रहा है वह क्या केंद्रीय सरकार की ओर से हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केंद्रीय सरकार से मदद मिलती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—वे कौन से जिले हैं जहां इस बात का सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि फाइलरिया क्यों ज्यादा बढ़ रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जौनपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गाजीपुर, वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या गोरखपुर डिवीजन के सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है।

*३९-४०—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।)

मंझरा यांत्रिक कृषि फार्म, जिला खीरी, में कथित गबन

*४१—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सन् १९५५-५६ में मंझरा यांत्रिक कृषि फार्म, जिला खीरी, में कितने गन्ने के embezzlement की घटनाएं हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५५-५६ में कोई घटना नहीं हुई।

*४२—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामले में कौन-कौन व्यक्ति अभियुक्त थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें कितने व्यक्ति विभाग की ओर से re-instate किये गये तथा कितने व्यक्ति अभी re-instate नहीं हुए ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

*४४-४५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७-१२-१९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—[३-१२-१९५८ को प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गोरखपुर जिले के बीज भंडार

*४७—श्री अमरनाथ मिश्र (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में किन-किन स्थानों पर कृषि विभाग के बीज भण्डार हैं और इस वर्ष खरीफ की बुआई के लिये प्रत्येक बीज भण्डार से कितना बीज अलग-अलग किस्मों का दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

*४८—श्री शिवराजसिंह यादव—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

उस्का बाजार ऐलोपैथिक अस्पताल, जिला बस्ती, में मिडवाइफ न होना

*४९—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के उस्का बाजार एलोपैथिक अस्पताल में मिडवाइफ रखने के लिये कब तक प्रबन्ध करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—राजकीय एलोपैथिक ग्रामीण चिकित्सालयों में मिडवाइफ का पद स्वीकृत नहीं किया जाता। अतः वहां मिडवाइफ नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस्का बाजार के लिये इस साल बजट में मिडवाइफ के लिये क्या मंजूर हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्य बजट देख लें। अगर हुआ होगा तो हुआ होगा और नहीं तो नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिड वाइफ शब्द का हिन्दीकरण हुआ है या नहीं ? अगर हुआ है तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न आप मेरे दफ्तर में पूछ सकते हैं ।

*५०---श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५-१२-१९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१-५२---श्री ऊदल (जिला बाराणसी)---[माननीय सदस्य का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण प्रश्न हटा दिये गये ।]

*५३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७-१२-१९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४---श्री नारायणदत्त तिवारी---[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित १३ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५५---श्री जगंबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---[२ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*५६-५७---श्री लक्ष्मणराव कदम---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ की अधीक्षिका का पद

*५८---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ की अधीक्षिका के पद पर नियुक्त करने के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम चुनाव कब हुआ और उसके लिये सरकार ने कहां तक शिक्षण योग्यता निर्धारित की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब से सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल सरकार के अधिकार में आया है अधीक्षिका का पद खाली ही नहीं हुआ और इसलिये लोक सेवा आयोग द्वारा अधीक्षिका के पद का चुनाव करने का प्रश्न नहीं उठा ।

बिजनौर जिले में नजीबाबाद तथा धामपुर के कृषि गोदामों का निर्माण

*५९---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में तहसील नजीबाबाद तथा तहसील धामपुर में जो कृषि गोदाम बनाये जा रहे थे अब रोक दिये गये हैं ? यदि हां , तो इसका कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं, रोके नहीं गये हैं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*६०---श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त गोदामों के बनने के पूर्व ही १२,००० रुपया नकद तथा २,००० पये को सीमेंट ठेकेदार को किस आधार से दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्राप्त सूचना प्रश्नकर्ता के कथन की पुष्टि नहीं करती ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थान पर गोदाम बनाया जाना कब समाप्त हो जायगा ? यह विभाग द्वारा बनाया जा रहा है अथवा ठेकेदार द्वारा ?

श्री मोहनलाल गौतम---लोहा न मिलने की वजह से काम पूरा न हो पाया था, दीवारें खड़ी हो गयी थीं । अब लोहा मिल रहा है, शीघ्र ही काम पूरा हो जायगा ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मान कर उसकी इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न बहुत कम सूचना का है, अगर पूरी डिटेल माननीया सदस्या मुझे देंगी तो मैं अवश्य उसकी जांच करा लूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां पर कृषि गोदाम बनाये जा रहे हैं वहां पर प्रोक्योरमेंट के जमाने की सरकारी खत्तियां भी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक गोदाम नहीं बना है तब तक बीज भण्डार की क्या व्यवस्था है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में हैजे की रोकथाम के काम

*६१---**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय जिला हमीरपुर की तहसील मौदहा में मौदहा और उसके इर्द-गिर्द व्यापक रूप से हैजा फैल रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हमीरपुर जिले के मौदहा तथा उसके आस-पास के कुछ ग्रामों में हैजा तथा अतिसार का रोग माह अगस्त और सितम्बर, १९५८ में फैला था और इस रोग पर उक्त महीनों में ही पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। इस समय उक्त क्षेत्र में इस बीमारी की कोई भी शिकायत नहीं है।

*६२---**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी**---यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस रोग की रोकथाम के लिये उक्त क्षेत्र में निम्न उपाय किये गये :

(१) रोगियों के उपचार के लिये मौदहा में एक अस्थायी छूआछूत की बीमारी का अस्पताल खोला गया और ग्रामों में भी रोगियों के घर पर उपचार की व्यवस्था की गई।

(२) बीमारी वाले घरों में दवाई छिड़क कर घरों का निसंक्रामीकरण किया गया।

(३) रोग ग्रसित क्षेत्रों में सभी कुओं में दवा डाली गई।

(४) मक्खियों की रोक थाम के लिये गैमेक्सीन का छिड़काव किया गया।

(५) सम्पूर्ण रोग ग्रसित ग्रामों में हैजा निवारक टीके लगाये गये।

(६) कटे हुए फल तथा खुली खाने पीने की सामग्री के बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि शुरू से लेकर आखिर तक हैजे से उस तहसील में कितनी मृत्युएं हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---यह इतना जरूरी तारांकित प्रश्न था तो भी उसकी ओर ध्यान न देकर आज आया है इसका मुझे अफसोस है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसकी देर का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ सवाल समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष---उत्तर देने में देर का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बड़ी इन्क्वायरी लम्बी करनी पड़ी तब मसाला इकट्ठा हुआ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाज के पहले वहां कितनी मौतें हुईं और इलाज के बाद भी कितनी हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तादाद तो नहीं बतला सकता। हां, काम शुरू होने के पहले कुछ मौतें हुईं और कुछ बाद को भी हुईं।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हैजे से मौदहा क्षेत्र में कितने सीजर्स हुए ?

श्री अध्यक्ष---वे तादाद कुछ नहीं जानते। जब मरने की तादाद नहीं जानते तो फिर सीजर्स की तादाद कैसे बतला सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस प्रश्न का नोटिस कब दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तारीख इस समय यहां मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---कार्यसूची में वह दी हुई है। सरकार के पास भेजने की तिथि १३ सितम्बर, १९५८ थी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---नोटिस मिलने के पूर्व कितनी मौतें हुईं और नोटिस के बाद कितनी हुईं ?

श्री अध्यक्ष---मौतें कितनी हुईं यह उनको नहीं मालूम।

*६३---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४---श्री आनन्दब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर)---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

काशीपुर नगरपालिका, जिला नैनीताल को शरणार्थी-गृह-निर्माणार्थ ऋण

*६५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि शरणार्थी विभाग द्वारा शरणार्थियों के लिये दुकान बनाये जाने हेतु काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड, जिला नैनीताल को अस्सी हजार रुपया कर्ज दिये जाने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कर्ज की स्वीकृति हेतु अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। राज्य सरकार ने भारत सरकार से काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को शरणार्थियों के लिये दुकान बनवाने के लिये ऋण देने हेतु ८०,००० रु० का ऋण मांगा था। भारत सरकार ने यह ऋण देना स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को सूचित किया है कि यह ऋण राज्य के महांकिक (एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश) से पुनर्वास निर्माण योजना के अन्तर्गत पहले दिये गये ऋणों की बची धनराशि मालम करने के बाद दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कितना ऋण लिया गया था और उसमें अभी कितनी धनराशि बच गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ए० जी० से पूछा गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या योजना भेजी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---६७ शाप्स बनाने की योजना भेजी थी ।

*६६---श्री नारायणदत्त तिवारी---[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बरेली जिले में चेचक

*६७---श्री बाबूराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में जनवरी, १९५८ से अगस्त, सन् १९५८ तक चेचक से कितनी मौतें हुईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिला बरेली में जनवरी, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक चेचक की बीमारी से ३० मृत्युएं हुईं ।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ३० मृत्युओं में कितने बच्चे थे और कितने एडल्ट्स थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इसमें कितनी मृत्यु शहर में हुईं और कितनी देहात में हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी भी कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वेक्सिनेशंस वगैरह लगाये और सफाई का जो कुछ इन्तजाम था वह किया गया ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत डिप्टी डायरेक्टर्स

*६८---श्री शिवराजसिंह यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में प्रदेश के कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उसी काल में कृषि इंस्पेक्टर तथा कामदारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक बात मैं कह दूं । जो प्रश्न मिला था उसमें डायरेक्टर्स था और इस में डिप्टी डायरेक्टर्स छप गया है । यह जरा शुद्ध कर लिया जाय । इसमें जो छपा है डिप्टी डायरेक्टर्स उसके आधार पर जवाब नहीं दे रहा हूं ।

श्री शिवराजसिंह यादव---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि मेरे प्रश्न में डिप्टी डायरेक्टर है । डायरेक्टर का शब्द नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न किया था आपने उसमें डिप्टी डायरेक्टर ही दिया हुआ है और मालूम नहीं कि मन्त्री जी के पास डायरेक्टर कैसे पहुंच गया । मुमकिन है कि मेरे दफ्तर से जो पत्र गया हो उसमें गलती हो गई हो या मन्त्री जी के यहां ही गलती हुई हो ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने लिख करके ही निवेदन किया था । हमारे पास १३-९-१९५८ को श्री श्रीपति सहाय, अधीक्षक, संसदीय विभाग के दस्तखत से जो पत्र गया है उसमें 'डायरेक्टर' ही शब्द है ।

श्री अध्यक्ष---मेरे दफ्तर ही की गलती है, मुझे खेद है। इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं। अब केवल डिप्टी डायरेक्टर का ही प्रश्न रह जाता है बाकी का उत्तर तो ठीक है। तो डिप्टी डायरेक्टर के बारे में आप कल उत्तर दे दें यदि सम्भव हो तो। नहीं तो सोमवार को दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम---कल दे दूंगा। इस पूरे प्रश्न को कल ही लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है पूरे प्रश्न को कल ही लिया जायगा। यह प्रश्न कल के लिये स्थगित हुआ।

(तारांकित प्रश्न ६८, दूसरे दिन के लिए स्थगित किया गया।)

*६९-७०---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[४ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

*७१-७३---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७३-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तकमीलुलत्तिब कालेज, लखनऊ के अस्पताल को अनुदान

*७४---श्री उग्रसेन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तिब्बी कालेज (तकमीलुलत्तिब कालेज), लखनऊ के अस्पताल को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१८,५०० रु० प्रति वर्ष आवर्त्तक।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस अस्पताल से संबंधित कोई कालेज भी चलता है जिसमें तिब्ब की पढ़ाई भी होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हां, चलता तो है।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके पास कोई शिकायत आयी थी कि कालज के प्रिंसिपल उस अस्पताल की दवाइयों का बहुत गोलमाल करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी किसी शिकायत का आना याद नहीं पड़ता है।

श्री उग्रसेन---मन्त्री जी यह देखते हुए कि उस कालेज से सम्बन्धित अस्पताल में बहुत ज्यादा काम होता है और पढ़ाई में छात्रों को तकलीफ होती है इसलिये उसकी सहायता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नान-रेकरिंग ग्रान्ट की भी जब जरूरत होती है तो दे देता हूं और अभी तो माननीय प्रश्नकर्ता ने शिकायत बतायी है।

बस्ती जिले में धान का बीज देर से मिलने की शिकायत

*७५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष खरीफ की फसल में जिला बस्ती के किसानों को Late paddy के बजाय Early paddy के बीज दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---ऐसी शिकायत कुछ स्थानों के सम्बन्ध में आई है जिसकी जांच हो रही है।

*७६---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त बीज सरकारी एवं सहकारी बीज गोदामों से दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

*७७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त बीजों को दिये जाने से कितनी एकड़ जमीन इस वर्ष की खरीफ की फसल में बिना बुआई हुये जिला बस्ती में पड़ी रह गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिन-जिन जगहों से शिकायत आई वहां तकावी पर दूसरी पौध रोपी गई। इस प्रकार पौध बोने वाले खेत जिला बस्ती में बिना बोये नहीं रहे।

कृषि विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की कमी

*७८—श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में कितने डिप्टी डायरेक्टर परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोई नहीं।

*७९—श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिकल्चर आफिसर परिगणित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—केवल एक जिले के डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर परिगणित जाति के हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिकल्चर आफिसर पिछड़े वर्ग का नहीं है।

हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग केन्द्रों की अध्यापिकायें

*८०—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ विजीटर्स ट्रेनिंग केन्द्र कितने हैं और कहां पर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१—लखनऊ, २—इलाहाबाद, ३—बरेली।

*८१—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को अधिकतम कितनी अवधि तक एक स्थान पर रक्खा जा सकता है तथा कितनी प्रशिक्षिकायें इन केन्द्रों में ३ वर्ष से या इससे अधिक से एक ही स्थान पर कार्य कर रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१—इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है।

२—सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल में २ मिडवाइफों को ३ वर्ष से अधिक काम करते हो गये हैं।

*८२—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७-१२-५८ के लिये स्थगित किया गया।]

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में आयुर्वेदिक शिक्षा का नया पाठ्यक्रम

*८३—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेद शिक्षा का नया पाठ्यक्रम, स्टेट आयुर्वेद कालेज, लखनऊ तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् से संबद्ध संस्थाओं में कब से शुरू होने वाला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध सभी आयुर्वेदिक कालेजों में यह पाठ्यक्रम १-८-५८ से प्रारम्भ कर दिया गया है।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में इस पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रश्न अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

*८४---श्री मदनगोपाल वैद्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो संस्थायें शुल्क लेकर आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्रदान करती हैं और जिनमें आयुर्वेद की पढ़ाई तथा क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है क्या उन संथाओं की मान्यता को सरकार रद्द करने का विचार करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी संस्थाओं की मान्यता रद्द करने का काम भारतीय चिकित्सा परिषद् का है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*८५---श्री मदन गोपाल वैद्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आयुर्वेदिक शिक्षा पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेद के अध्यापकों का जो सेमिनार करने की सिफारिश की गयी है वह सेमिनार कब और कहां होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कथित सेमिनार लखनऊ में करने का प्रस्ताव है। तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है।

गोरखपुर जिले में धान के बीज की खरीद

*८६---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने गोरखपुर जिले में सन् १९५५ से मार्च, १९५८ ई० तक उन्नतिशील बीज के लिये कितना धान खरीदा ?

श्री मोहनलाल गौतम---गोरखपुर जिले में सन् १९५५ से मार्च, १९५८ तक कुल ८३,५३९ मन २८ सेर १ छ० उन्नतिशील धान का बीज खरीदा गया था।

*८७---श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त धान में से कितना धान पइया (अनुपयुक्त) निकला ?

श्री मोहनलाल गौतम---उपर्युक्त धान के कुछ बीज में पइया था। ज्यादातर बीज में नहीं था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने धान का बीज खरीदा गया था और उसमें कितना पइया निकला ?

श्री मोहनलाल गौतम---डिप्टी डाइरेक्टर की जांच के बाद इसमें से १० से १५ फीसदी पइया पाया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० से १५ फीसदी पइया जो धान के अन्दर निकला तो इस प्रकार का गलत बीज खरीदने की जिम्मेदारी किसकी थी और उसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह १० से १५ फीसदी जो पइया निकला तो उससे कितने रुपये की क्षति का अनुमान सरकार को है?

श्री मोहनलाल गौतम---एक तो मैं निवेदन कर दूं कि यह पइया जिस धान में पाया गया वह बीज साफ कर के किसान को बांटा गया, पइया नहीं दिया गया था। इसके लिये कि कितनी क्षति हुई है नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले में जहां यह धान बांटा गया था बृजमनगंज में उसमें कुछ धान ऐसा पइया मिला हुआ बांट दिया गया ? वह पकड़ा गया और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम--- अगर ऐसा आरोप माननीय सदस्य को लगाना हो तो वह मुझे लिख कर दें। इस हाउस के सामने जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है उसका इस्तेमाल कम करें तो अच्छा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह धान के बीज की जो खरीदारी हुई वह ओपेन मार्केट से हुई या किसानों से या किसी व्यापारी के द्वारा सरकार को सप्लाई किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी मुझे यह सब सूचनायें ढूंढ़नी पड़ेंगी क्योंकि वह इस फाइल में नहीं हैं।

*८८---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८९---श्री गौरीराम गुप्त---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९०-९२---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९३---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मेंहदावल कछार, जिला बस्ती में कृषि सम्बन्धी सुविधायें देने की योजना

*९४---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मेंहदावल कछार (बस्ती) में ऊख, जूट, केला और अमरूद की खेती बढ़ाने के लिये सहूलियत देने जा रही है ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। बाग लगाने के लिये केला तथा अमरूद के अच्छे किस्म के पेड़ तथा १० साल में वसूली की की तकावी मांग के अनुसार दिये जा रहे हैं। केन सोसाइटी बनाने तथा प्रचार करने का विचार है। जूट की खेती के विस्तार के लिये अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, प्रयत्न हो रहा है।

*९५---श्री राजाराम शर्मा---बाढ़ आने के पूर्व, रबी तथा खरीफ फसलों के बीच में एक जायद फसल पैदा करने के हेतु क्या सरकार कोई सिंचाई की व्यवस्था प्रदेश के कछार क्षेत्रों में करायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी कोई योजना नहीं बनी है। पर कुआं बनाने के लिये काश्तकारों को मांग के अनुसार तकावी की सुविधा देने का विचार है।

श्री राजाराम शर्मा---प्रत्येक कुयें पर कितनी तकावी दी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जहां जहां जैसे कुयें होंगे उसके अलग अलग रेट्स होंगे और मेरा तकावी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नोट---प्रश्न ९५ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती जिले के अतिरिक्त अन्य किसी बाढ़-पीड़ित जिले को भी सहायता दी जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--कई जिलों में ऐसी योजना है।

श्री गेंदासिंह--जूट की बिक्री का भी कोई बन्दोबस्त किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जूट की तो मिल भी है और उसकी बिक्री का प्रबन्ध भी है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर सहायता दी जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह इर्रीगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की मार्फत है। उनके पास इसकी सब सूचियां हैं।

*९६--श्री सुखलाल (जिला इटावा)--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९७--९९--श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले के कुछ अस्पतालों में डाक्टर न होने की शिकायत

*१००--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में कितने ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर चार माह से नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई नहीं।

*१०१--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं उन अस्पतालों के रोगियों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न ही नहीं उठता।

गोंडा जिले में गंधी कीड़े से हानि

*१०२--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील गोंडा व तहसील तरबगंज में १ अगस्त से लेकर १० सितम्बर, सन् १९५८ तक धान के खेतों में कीड़े लग गये हैं ? यदि जवाब हां में है, तो कितने एकड़ धान इस कीड़े से प्रभावित हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, कृषि विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार जिला गोंडा की तहसील गोंडा तथा तरबगंज में, गंधी नामक कीट के आक्रमण से क्रमशः ३४.६५ तथा २ एकड़ धान प्रभावित हुये।

*१०३--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार ने उपरोक्त कीड़ों की रोकथाम के लिये व्यवस्था की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। जिन क्षेत्रों से धान की फसल में गंधी कीट के आक्रमण की सूचना मिली उन सभी जिलों में उक्त कीट को मारने वाले रसायनों का छिड़काव (बुरकाव) (Spraying and dusting) किया गया।

*१०४-१०५--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०६-१०७--श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गय।]

आयुर्वेदिक औषधालय, कुसियारी, जिला मैनपुरी

*१०८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी जिले से नवम्बर, १९५४ में इस आशय की दरखास्तें सरकार के पास आयी हैं कि कुसियारी ग्राम में सरकार से सहायता प्राप्त जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं उसे राजकीय औषधालय बना दिया जावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, अक्तूबर, १९५४ ई० में एक ऐसी दरखास्त आई थी।

*१०९-११०—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में शिशु केन्द्रों में मिडवाइफों की कमी

*१११—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सरकार द्वारा अब तक कितने मातृ शिशु रक्षा केन्द्र खोले गये ह ? क्या इन सभी केन्द्रों पर ट्रेंड मिडवाइफें हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब तक मिडवाइफों को रिक्त केन्द्रों पर भेजने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३१ केन्द्र। केवल २० केन्द्रों पर ट्रेन्ड मिडवाइफ हैं। इस समय मिडवाइफों की बहुत कमी है उचित संख्या में मिडवाइफें प्राप्त होने पर केन्द्रों पर नियुक्त कर दी जायंगी।

*११२-११३—श्री गुप्तारसिंह—[३ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ५८-५९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

राजकीय कृषि-विद्यालय, गोरखपुर में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी

*११४—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कि राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर में इस वर्ष दाखिले के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से कितने दाखिल किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—८९० प्रार्थना-पत्र। उनमें से ७६ विद्यार्थी दाखिल किये गये।

*११५—श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्र अन्य पिछड़ी जातियों के और कितने अनुसूचित जातियों के थे और कितने अन्य पिछड़ी जातियों के और कितने अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार भर्ती किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त प्रार्थना-पत्रों में से ४३ पिछड़ी जातियों के और २ अनुसूचित जातियों के थे। जिनमें से ११ अन्य पिछड़ी जातियों के और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भर्ती किये गये ?

रफी मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी की दुर्व्यवस्था

*११६—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी शहर के शिष्ट मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से २३,२४, अप्रैल, सन् १९५८ ई० में मिल कर उन्हें बाराबंकी रफी मेमोरियल अस्पताल की दुर्व्यवस्था से अवगत कराया था और लिखित रूप से आरोप पत्र दिया था ? यदि हां, तो वे आरोप क्या थे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो हां, लिखित शिकायतों की एक प्रतिलिपि †माननीय सदस्य के सूचनार्थ, संलग्न है। इस पर जांच कराई गई जो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अस्पताल के सभी कर्मचारी सिविल सर्जन से कम्पाउन्डर तक का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले में कृषि फार्मों पर सरकारी ऋण

*११७---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के जिन कृषि फार्मों पर सरकारी ऋण अदायगी की अवधि से उपरान्त बकाया है उनसे वसूली के निमित्त क्या कदम उठाये गये तथा कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्रित की जा रही है। शीघ्र ही उत्तर दिया जायगा।

*११८---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*११९-१२०---श्री मदन पाण्डेय---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कन्नौज नरपालिका में हैजे की रोकथाम के काम

*१२१---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज म्युनिसिपल बोर्ड में हैजे का प्रकोप है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कन्नौज म्युनिसिपैलिटी, जिला फर्रुखाबाद में अगस्त माह में हजा, गस्ट्राइ-ट्राइटिस, की बीमारी फैली हुई थी परन्तु १७ अगस्त से किसी के रोग ग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने ६ अगस्त, १९५८ को हैजे की बीमारी की सूचना पाते ही निम्नलिखित उचित प्रबन्ध किया--

शहर में चार हैजा के टीका लगाने के केन्द्र खोले तथा मेडिकल आफिसर और सैनीटरी इन्सपेक्टर क अलावा तीन और इनौकुलटर रख गय जिन्होंन लगभग ८,९८० टीके लगाये और कुओं में दवा डाली।

पी० एस० एम० एस० डाक्टरों को स्थायी न किया जाना

*१२२---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अगस्त, ५८ तक राज्य भर में कितने P. S. M. S. के डाक्टर अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२७।

*१२३---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ये डाक्टर कितने दिनों से अस्थायी हैं और इन्हें स्थायी करन क लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसे पी० एस,० एम० एस० डाक्टरों की सूची संलग्न है जिसमें इन सबकी अस्थायी नियुक्ति की तारीख प्रत्येक के सामने दी हुई है।

इनको स्थायी करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि पी०एस०एम० एस० में अब किसी को भी स्थायी नियुक्ति न की जाय।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१० पर)

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

*१२४–राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

मेज ब्रीडिंग सेन्टर से उत्पादित बीज

*१२५---श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कृषि विभाग के मेज ब्रीडिंग सेंटर कहां-कहां हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय मेज ब्रीडिंग का सेंटर फूलबाग तराई स्टेट फार्म नैनीताल में है ।

*१२६---श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के मेज ब्रीडिंग सेंटर से पैदा किया हुआ बीज पूर्वी प्रदेश के मक्का क्षेत्र में संतोषप्रद प्रतिशत में जमता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सरकार द्वारा मेज ब्रीडिंग सेंटर से पैदा किया हुआ बीज केवल इसी वर्ष किसानों को बांटा गया है । इस वर्ष अभी तक कोई शिकायत इसके न जमने की नहीं आई ।

बलिया जिले में हैजा और गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से मौतें

*१२७---श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जिले में जून, जुलाई एवं अगस्त, १९५८ में कै और दस्त से जो मौतें हुई हैं उनमें से अधिकांश लोग एक विशेष प्रकार की चिस (डायरिया) के मरीज थे जिसके होने से एक दो दिन में ही मृत्यु हो जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बलिया जिले में कै और दस्त की बीमारी से जून, जुलाई और अगस्त में मौतें हुई हैं । यह मौतें सिर्फ कालरा और गेस्ट्राइन्ट्राइटिस से ही हुई हैं । कोई और विशेष कारण नहीं था ।

मेंटल हास्पिटल, बरेली से श्री जैतसिंह की रिहाई

*१२८---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि एक व्यक्ति जैतसिंह, पुत्र खीम सिंह, दुकानदार टोट बाजार, पट्टी बिचला कत्यूर, जिला अल्मोड़ा वाला बरेली मेंटल अस्पताल (Mental Hospital) में बन्द था और उसे बिना उसके पिता को या अन्य किसी अभिभावक को बरेली आकर ले जाने का मौका दिये हुये तारीख २९ या ३० मई को छोड़ दिया गया और तब से वह लापता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस व्यक्ति को अस्पताल के (Board of Visitors) ने २८ मई को स्वस्थ प्रमाणित किया और उसको छोड़ देने की अनुमति दे दी । उसके पिता को पत्र द्वारा इसकी सूचना दी गई, और उनसे कहा गया कि वह या कोई अन्य व्यक्ति उन्हें आकर ले जावे । परन्तु कोई आया नहीं । मगर चूंकि उसके पिता ने अस्पताल के अधीक्षक को लिख रखा था कि जब उसका लड़का ठीक हो जाय तो उसे सरकारी खर्च पर घर भेज दिया जाय । अतः ३० मई को प्रातः उसको स्टेशन पर अस्पताल के एक कर्मचारी ने काठगोदाम जाने वाली गाड़ी पर बिठा दिया था । सरकार को ज्ञात नहीं कि वह तब से लापता है । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

*१२९---१३०–श्री जंगबहादुर वर्मा---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में गंधी नाशक रसायन का छिड़काव

*१३१.—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में वर्तमान भदई फसल, १३६६ (खरीफ) को गंधी नामक मक्खियां क्षति पहुंचा रही हैं ? यदि हां, तो उन मक्खियों का प्रभाव कितने वर्गमील में फैला हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, ६·२५ वर्ग मील ४,००० एकड़।

*१३२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अब तक उन मक्खियों के जरिये होने वाली क्षति को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कीट नाशक रसायन का निरन्तर छिड़काव किया जा रहा है।

*१३३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त क्षेत्र में उक्त गन्धी (मक्खियों) के कारण कितना नुकसान हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी तक धान की हानि होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

हरदोई जिले में सहकारी ऋण दात्री समितियां तथा भट्ठे

*१३४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई में कितनी ऋणदात्री सहकारी संस्थायें हैं और उनसे कितना रुपया सन् १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ में क्रमशः ऋणरूप में वितरित किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—हरदोई जिले में ३० जून, १९५८ को १०१९ (एक हजार उन्नीस) ऋणदात्री सहकारी समितियां थीं।

जिले की ऋणदात्री सहकारी समितियों से सहकारी वर्ष १९५३-५४ में १,३१,७८४ रु० (एक लाख इकतिस हजार सात सौ चौरासी) १९५४-५५ में १,२७,९३९ रु० (एक लाख सत्ताइस हजार नौ सौ उन्तालिस) १९५५-५६ में २,९५,५६६ रु० (दो लाख पंचानवें हजार पांच सौ छांसठ) १९५६-५७ में २,७३,३६२ रु० (दो लाख तेहत्तर हजार तीन सौ बासठ) और १९५७-५८ में ५,२९,६८२ (पांच लाख उन्तीस हजार छः सौ बयासी) रुपया ऋण के रूप में वितरित किया गया।

*१३५—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हरदोई में कितने सहकारी भट्ठे चल रहे हैं और कितने सहकारी भट्ठे चलाने की इस वर्ष में योजना है ?

श्री मोहनलाल गौतम—हरदोई जिले में वर्ष १९५७-५८ में ७ सहकारी भट्ठे चल रहे थे और इस वर्ष १९५८-५९ में ५ भट्ठे चलाने की योजना है।

*१३६—श्री गौरीशंकर राय—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में महरौनी तहसील के कृषि-फार्म पर व्यय

*१३७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की तहसील महरौनी के ग्राम सैदपुर के निकट जो राजकीय कृषि फार्म सरकार द्वारा संचालित है उस कृषि फार्म में सन् १९५६, ५७ और मई, सन् १९५८ तक कितने मन अनाज कितनी कीमत का पैदा हुआ और सन् १९५६, ५७ और मई, सन् १९५८ तक इस कृषि फार्म में कितना सरकार का रुपया खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--वांछित सूचना इस प्रकार है--

वर्ष	अनाज की पैदावार (मनों में)	अनाज का मूल्य	व्यय	डेप्रीसियेशन	सूद	कुल
१९५६-५७	८,५३६	१,४९,३४८	१,८३,९९७	३०,९६९	३०,०२०	२,४४,९८६
१९५७-५८	३,८००	६६,३९०	१,३७,९२२	२८,३८८	२८,७२४	१,९५,०३४

*१३८--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३९--श्री रामसुन्दर पांडेय--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४०-१४१--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले के बांसी तहसील अस्पताल में लेडी डाक्टर न होने की शिकायत

*१४२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिला बस्ती की बांसी तहसील में जनाना अस्पताल में कोई क्वालीफाइड लेडी डाक्टर नहीं है और सारा कार्यभार फीमेल कम्पाउन्डर पर है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री जंगबहादुर वर्मा--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील में मछलियों से आय

३--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील में मत्स्य (मछली) विभाग ने किन-किन गांवों के तालाबों को मछली पकड़ने के लिये अपने कब्जे में लिया है?

श्री मोहनलाल गौतम--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील में केवल ९ तालाब हैं जिनका विवरण संलग्न अनुसूची 'क' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११ पर।)

४--श्री रामलखन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग ने सन् १९५२ से सन् ५७ तक अलग-अलग कितने रुपये की मछलियां उन तालाबों से बेचीं?

श्री मोहनलाल गौतम--वांछित सूचना संलग्न अनुसूची 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११ पर।)

५--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--[गृह मंत्री की प्रार्थना पर १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया]।

गढ़वाल जिले में क्रीड़ा केन्द्रों पर व्यय

६--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले में उसके द्वारा कुल कितने children's Park बने हैं, कहां-कहां बने हैं, उन पर कुल कितना रूपया खर्च हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गढ़वाल जिले में अब तक राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान से कुल ४ क्रीड़ा कन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :--

स्थान का नाम			केंद्र संख्या	धनराशि रु० में
१---ग्राम गोछर	..	..	१	८००
२---दोगड्डा नोटीफाइड एरिया	..	..	१	१,६००
३---ग्राम नगरसू	..	..	१	२,५००
४---लैंसडाउन ..	..	..	१	१,६००
		योग ..	४	६,५००

७---श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---[दसवें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

घाघरा के कटाव के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है---

"घाघरा नदी की भीषण कटाव से इस समय गोरखपुर देवरिया जिलों के अन्दर गोला लगायत चुरिया (दवरिया) तक भीषण क्षति हो रही है। बगहा, डेरवा, डुमरी तथा सीधगौर आदि गांवों की स्थिति खतरे में है। भीषण कटाव से २०,००० से अधिक व्यक्ति गृह-विहीन हो गये हैं। गांवों की आबादी के कटाव से इस समय उक्त क्षेत्र में विषय परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है क्योंकि सरकार की ओर से पूर्ण उपेक्षा है।

अतः जनहित की दृष्टि से इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

वर्षा खत्म हुये अब बहुत दिन हो गये, कटाव का होना भी कई मास पहले की चीज है, एक दो मास पहले की बात अवश्य हो गई तो उसके बाद पहले ही रोज जब सदन बैठा था उसी दिन यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये था, लकिन वह नहीं आया, इसलिये माननीय सदस्य स्वयं इसकी आवश्यकता को इतना महत्व नहीं दिये हैं। अतः मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र भी इस संबंध में आया है, मंत्री जी कृपा करके जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष---वह ठीक है, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, पहले कई बार मंत्री जी को लिखा गया और पत्र भी.....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्नों के द्वारा ध्यान दिलावें।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी जांच करा के रिपोर्ट दें।

श्री अध्यक्ष---वह मंत्री जी ने सुन लिया, वह उचित कार्यवाही कर लेंगे अगर चाहेंगे।

सिधौली में गन्ने की कीमत से पैसा कटने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा का है। यह १० बजे के बाद आया है और नये नियम जो अब लागू हुए हैं उनके अनुसार जिस दिन कार्य-स्थगन

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्विप्रतिक सूचना सचिव को दी जावेगी। यह नियम कल स्वीकार हो चुका इसलिये अब यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह समय के अन्दर नहीं आया। यह १० बजे के पहले आना चाहिये था, इसलिये अस्वीकार किया जाता है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सचिव महोदय को मैंने यह प्रस्ताव ठीक १० बजे दिया था। मैं उनके ऊपर किसी तरह का आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उनके कमरे में मैं ठीक १० बजे पहुंच गया था, एक मिनट भी इधर उधर नहीं था। मैंने तो उनको समय के अन्दर दिया था, अब वह स्वीकार किया जाय या न किया जाय।

श्री अध्यक्ष---१० बजे जो प्रस्ताव लिया गया है वह श्री उग्रसेन जी का था और उसके ५ मिनट बाद आप का आया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---जो है वह ठीक ही है, श्रीमन्, सिर आंखों पर है आपकी आज्ञा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---वह मित्तल साहब की टेबिल पर पहुंच गया था, मैं खुद गवाह हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---आप को समय स्वयं नोट कर देना चाहिये था।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---अगर वह आक्षेप कर दिये होते तो मैं समय अवश्य नोट कर देता।

श्री अध्यक्ष---आइन्दा के लिये मैं कहे देता हूं कि समय नोट कर दिया करें, लेकिन आप घड़ी मिला लिया करें सचिव की घड़ी से।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---श्रीमन्, इस की अर्जेंसी के विषय में तो कम से कम आप मंत्री जी से कह दें।

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय मंत्री जी के पास इस की प्रति पहुंच गई हो और वह सूचना देना चाहें तो मैं उन्हें इजाजत दे सकता हूं। मंत्री जी तैयार हों तो सूचना दे दें इसके बारे में कि यह सिधौली में जो पैसा कट रहा है और उसका कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है वह क्या बात है।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अभी मैंने जिला केन आफिस, सीतापुर से नोटिस मिलने के बाद जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसमें एक तो स्माल सेविंग्स के लिये कुछ कटौती हो रही है और १०० मन तक गन्ना सप्लाई करने वालों से कुछ नहीं लिया जाता। इसके बाद १०१ से ३२० मन तक वालों से ५ रुपये, ३२१ से ६४० मन तक १० रुपये, ६४१ से ९६० मन तक १५ रुपये और ९६१ से १२८० मन तक गन्ना सप्लाई करने वालों से २० रुपये चार्ज किये जाते हैं और ४ आने प्रति सदस्य आंखों के अस्पताल के लिये जो सीतापुर में है उसके लिये काटे जाते हैं। उन लोगों ने आपस में मिल कर फैसला किया है कि हमारा इतना रुपया इस तरह से काटा जाय।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---इस संबंध में अगर आप आज्ञा दें.....

श्री अध्यक्ष---आप मंत्री जी के पास अपनी सूचना लिखित भेजिये।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---श्रीमन्, हर गाड़ी के ऊपर सवा ६ रुपये कट रहे हैं। मंत्री जी का उत्तर कुछ भ्रामक मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष--आप अपनी शिकायत लिखित मंत्री जी के पास भेजिये। उसके ऊपर वे जांच करा लेंगे।

अब कामरोको प्रस्ताव समाप्त हुये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले नियमों में संशोधन देने के लिये सुविधायें

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सामने रूल्स रखे जाते हैं अमेंडमेंट के लिये उनके लिये पिछली मर्तबा भी मैंने कहा था कि हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम लोग उनको देख कर के कोई संशोधन उपस्थित करेंगे, लेकिन दिक्कत हमारी यह होती है कि रूल्स में इस कदर अमेंडमेंट्स होते हैं कि किसी पुस्तक को देख कर हमारे लिये अमेंडमेंट देना संभव नहीं है और न ही लायब्रेरी में यह पुस्तक उपलब्ध है और डिपार्टमेंट्स से ही उसका मिलना मुश्किल है। इस पर भी कैसे इत्मीनान किया जा सकता है कि जो पुस्तक हमको मिली है उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसलिये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की पुस्तक हो वह हमको मिल जाया करे। यहां डिफीकल्टी हमारी जमींदारी एबालीशन और कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स के सिलसिले में है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि कम से कम लायब्रेरी में तो इनका जरूर प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अगर आप मेरे कमरे में कोई ३ १/२ बजे आ जायं तो मैं और आप इस विषय में विचार कर लें क्योंकि इस संबंध में आदरणीय सदन के सदस्यों को सहूलियत देने के कार्य में समझता हूं मेरे दफ्तर और लाइब्रेरी का है। यहां जितने विधेयक और संशोधन आते हैं वे सदस्यों को बांट दिये जाते हैं। तो मैं सरकार से यह तो नहीं कह सकता कि जब जब वह कोई सुधार करे तब तब एक नई प्रति मूल नियमों की वह माननीय सदस्यों को दें। लेकिन लाइब्रेरी में यह चीज होना आवश्यक है। वहां यदि नहीं है तो उसकी जांच करके उसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन *

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३५५९/आर० एस०-१ (क) १०६६-५८, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ तथा संख्या ५६६/आर० एस०-१(१) १०४५-५५, दिनांक ३० अक्तूबर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--एक सूचना मैं वित्त मंत्री जी से चाहता हूं। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जमींदारी एबालिशन के जो रूल्स अमेंड हो गये हैं उस संबंध में एक पुस्तक सरकार हमें बांटेगी तो वह कब तक बांटी जायगी?

श्री धर्मसिंह--यह मैं बाद को बतला दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं यह कहना चाहता था कि जितने भी रूल्स होते हैं उनका जब कभी अध्ययन करना होता है तो लायब्रेरी में हमें उनका लिटरेचर .....

---

* छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष--यह तो अभी गेंदा सिंह जी ने प्रश्न किया था। आप भी मेरे दफ्तर में साढ़े ३ बजे आ जायं तो आप से भी चर्चा हो जायगी।

सदन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, क्या १५ तारीख को सदन बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष--मालूम होता है तारीख १५ को सदन बैठेगा। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं वरना वे निश्चित बात बता देते।

समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नामों की वापसी के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--अब मैं सदन को एक सूचना दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक तथा अन्य पार्टियों के सचेतकों ने यह इच्छा जाहिर की है कि जो समितियों के संबंध में नामजदगियां हुई हैं, कई समितियों का चुनाव होना है तो उनके नाम वापस लेने का अंतिम समय १२ दिसम्बर को १ बजे तक का था। वह चाहते हैं कि इसको एक रोज के लिये बढ़ा दिया जाय जिसमें चुनाव न करना पड़े और सब समझौते से जो लोग अपना नाम वापस लना चाहते हैं उन को वापस लेने का मौका मिल जाय तो मैं एक रोज के लिये समय बढ़ा देता हूं। कल एक बजे तक जो नाम वापस लेना चाहते हों, जिनकी नामजदगी हुई है इन समितियों और बोर्डों के बारे में तो वह कल एक बजे तक वापस ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८* (क्रमागत**)

श्री अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय, पर विवाद जारी रहेगा। श्री टीकाराम (बदायूं) अपना भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

†श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--अध्यक्ष महोदय, मैं कल यहां कह रहा था कि मुकद्दमों की तादाद घटाई जा सकती है। कल माननीय वर्मा जी और बंसल जी ने कहा था कि हम इसलिये दरों को बढ़ा रहे हैं कि खर्चा पूरा करेंगे और छोटे आदमी रिश्वत ले लेते हैं। उसके लिये मैं यह सुझाव देता हूं कि छोटे मुलाजिमों को रिश्वत लेने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर सरकार उनके खाने, कपड़ा, दवा दारू तथा उनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले जैसे कि चीन में हो रहा है। उनको रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और देहातों में भी ऐसा हो रहा है कि किसानों के घरों में बढ़ई, धोबी और लुहार तथा नाई वगैरह आते हैं उनके लिये खाने तथा कपड़े का इंतजाम करते हैं। इसी तरह से इंतजाम हो जाय तो रिश्वत बन्द हो जाय।

श्री वर्मा जी ने कहा कि ग्रामीण जनता बहुत समझदार हो गई है और अपने अधिकारों को समझती है, इसीलिये मुकदमेबाजी बढ़ रही है। ग्रामीण जनता की शिक्षा का औसत ७ प्रतिशत है, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं:--

१९५४-५५ में	..	३८,९१,२७७।
१९५५-५६ में	..	४०,३१,२१६।
१९५६-५७ में	..	४२,३९,६६४।

*८-१२-५८ की कार्यवाही में छपा है।

**११-१२-५८ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आबादी का ७ प्रतिशत का औसत है। अगर यह जनता समझदार और लायक मानी जायगी और खूब लड़े और मुकदमे बढ़ें तो मैं नहीं समझता कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा ? ७ प्रतिशत शिक्षित होकर इतने लड़ें जिससे मुकद्दमेबाजी बढ़ी है। आजकल कत्ल, डाके, चोरी और रहजनी इतनी बढ़ गई हैं कि रास्ता निकलना बन्द हो गया है। एक बात और कही गयी कि वह वकील थे तो गांव वाले बड़ी प्यासी नजर से आते थे और एक रुपया मुश्किल से देते थे, लेकिन अब खुश हो कर सैकड़ों रुपया दे रहे हैं। अब आमदनी क्या हो रही है ?

वर्ष		शहर की आमदनी	देहात की आमदनी
१९५४-५५	..	२६९.२	१९९
१९५५-५६	..	२६५.३	१८९.३
१९५६-५७	..	२६४.३	१९४.३

हिसाब देखने से पता चलता है कि आमदनी बराबर गिरती चली जा रही है और वर्मा जी कहते हैं कि रिआया खुशहाल हो गई है और अक्लमन्द हो गई है, जिस से वह अपने अधिकारों के लिये मुकद्दमेबाजी करती है। यह हिसाब न जाने कहां से लगा कर दिया गया ?

अच्छा, उसके बाद हर मंत्री कहता है कि प्लानिंग के लिये रुपया चाहिये इसलिये टैक्स लगाते हैं। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार ने ४५ अरब रुपया कर्जा काढ़ रखा है प्लानिंग के नाम से। कोई देश दुनिया में नहीं छोड़ा जो ठग न लिया हो और जिससे कर्जा न काढ़ा हो। अगर कर्जा काढ़ेंगे तो मैं ऐसे घर को बरबाद समझूंगा। हमारा वही हाल होगा जो नासिर का हुआ। अमेरिका ने आंख बिगाड़ी और उन्होंने कहा कि नहर का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो बम गिरे। वही बम हमारे ऊपर डलवायेंगे। जब हम कब्जा नहीं देंगे तो हम पर बम डलवायेंगे। समाजवादी व्यवस्था आयेगी। हम कहेंगे कि सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करो तो हमारे ऊपर बम पड़ेंगे। हम कहते हैं कि मेहरबानी करके खर्चा कम करो, कर्जा मत काढ़ो, मुल्क को तबाह मत करो। आप तो चले जाओगे। स्कंदर मिर्जा ने जैसे इंगलैन्ड ढूंढ लिया आप भी अमेरिका ढूंढोगे। हमारा क्या हाल होगा ? जनता का क्या हाल होगा ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्लानिंग में सोच-समझ कर काम करें। जब गांव में जायेंगे तो न मकान है, न दफ्तर। न गवाह है न शहादत। अपने बयान को खत्म करता हूं और चाहता हूं कि कर्जा मत काढ़ो। इसमें हमारी तौहीन है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस सदन में एक सदस्य के रूप में आया तो मैं यह समझता था कि यहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चूंकि सभी इस सिद्धांत को स्वीकार करती हैं कि राज्य के संचालन के लिये टैक्सेशन की जरूरत है इसलिये जो सरकार की ओर से अच्छे टैक्सेशन मेजर्स आते होंगे उनका स्वागत होगा और जो दोषपूर्ण होंगे उनका विरोध होगा। लेकिन श्रीमन्, आज तक जितने भाषण मैंने किसी भी टैक्सेशन बिल पर सुने उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सारी विरोधी पार्टियों का यह विश्वास है कि सारे टैक्सेशन मेजर्स जो सरकार की ओर से आते हैं वे गलत होते हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी कल्पना क्या है, लेकिन मैं इतना अवश्य समझता हूं कि इस तरह की नीति से विरोध का महत्व जाता रहता है और उस गडरिये की मिसाल की तरह अगर कहीं वास्तविक विरोध का स्थान हो तब भी उसका महत्व कम हो जाता है।

श्रीमन्, जहां तक इस कोर्ट फीस विधेयक का सम्बन्ध है मुझे भी इसमें आपत्ति है और मैं समझता हूं कि इसमें सिद्धांततः विरोध का मौका है। श्रीमन्, यह माना हुआ सिद्धांत है कि न्याय से जो आमदनी हो, जो टैक्स लगे, उसको आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहिये। हमारे देश में बंगाल रेगुलेशंस ऐक्ट के समय से कोर्ट फीस का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद १९१७ में पहली दफा कोर्ट फीस ऐक्ट बना जो समय-समय पर संशोधित होता रहा और आखिरी संशोधन १९५२ में हुआ। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक जितनी टैक्सेशन सम्बन्धी कमेटियां हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

सामने आयीं सभी ने इस सिद्धांत को माना है कि हमें कोर्ट फीस को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहिये, बल्कि न्याय पर जो हमारा खर्चा हो उसी का साधन बनाना चाहिये। इसलिये हमें इस ऐक्ट को इस दृष्टि से देखना है। इसको देखते हुये हमारी निगाह अवश्य जाती है अपने प्रदेश के उन आंकड़ों की ओर जो रिसीट्स और एक्सपेंडीचर न्याय के ऊपर हैं। श्रीमन्, यदि उस दृष्टि से हम देखें तो हमें इसका औचित्य नहीं मालूम होता कि हम कोर्ट फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकें या बढ़ाने की गुंजाइश हो। जैसा मैंने अभी कहा था कि जहां पर टैक्सेशन के द्वारा किसी चीज को बढ़ाने का सम्बन्ध है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं, लेकिन जहां तक कोर्ट फीस का सम्बन्ध है मैं उसमें एक शर्त चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य ऐसी भावना रखते होंगे कि जो व्यय हो उस कोर्ट फीस की आमदनी से आये हुये रुपये का वह केवल इसी मद में होना चाहिये। उसका सम्बन्ध जनरल बजट की मदों से नहीं होना चाहिये और न प्लानिंग वगैरह से। श्रीमन्, यदि इस दृष्टि से देखें तो यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहां १९५४-५५ में ११८ लाख रुपया रिसीट था और १४७ लाख न्याय का खर्च था। यह आंकड़े यह संकेत करते हैं कि हमारी आय से खर्चा ज्यादा है, कम नहीं है।

मैं स्वागत करूंगा इस कोर्ट फीस संशोधन बिल का अगर माननीय मंत्री जी का यह अभिप्राय हो कि आज एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के खर्चे की और आवश्यकता है और उसको सुलभ और सुगम बनाने के लिये वह कुछ और खर्चे की बात सोचते हैं। वह ऐसी बात है जिसका मैं स्वागत करूंगा और सारे कोनों से उसका स्वागत होगा, लेकिन जिस समय यह सदन इस बिल पर विचार करे तो इसका यह भी अधिकार है कि हम सब न्याय के सामान्य प्रशासन की ओर अपना दृष्टिपात करें और इस दिशा में हम अवश्य अपना मत प्रकट कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि न्याय के लिये सब से आवश्यक बात यह है कि न्याय स्पीडी होना चाहिये और सिद्धांततः न्याय में विलम्ब करने से उसका मतलब ही नष्ट हो जाता है और जस्टिस का डिनायल ही हो जाता है। आज यदि हम इस सिद्धांत पर न्याय प्रशासन को कसें तो बड़े दुख के साथ हमको यह मानना पड़ेगा कि हम बहुत पीछे ही नहीं हैं, बल्कि इसमें बिलकुल फेल हो रहे हैं। आज जिले के स्तर पर और हाईकोर्ट के स्तर पर जो एरियर है वह हमारी चिन्ता का विषय बन चुका है। चाहे वह क्रिमिनल कोर्ट हो या रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट सब जगह मुकदमों का एरियर बढ़ता चला जाता है। हमको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि हमारा सालाना डिस्पोजल कितना है और इन्स्टीट्यूशन कितना है। अगर हमारे यहां इन्सटीट्यूशन से डिस्पोजल कम है तो जाहिर है कि वह पिछला एरियर खत्म होना तो दूर रहा वह बढ़ता चला जायगा। इस अवसर पर मैं यह कहना भी उचित समझता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हर स्तर पर बहुत एरियर हो चुका है। हाईकोर्ट में इंस्टीट्यूशन २५६ सालाना के करीब है और डिस्पोजल २०७ से अधिक नहीं हो पाता। पिछला एरियर भी बहुत है। समय-समय पर यहां प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं कि ५० हजार केसेज पेंडिंग हैं। सिविल साइड में ऐसे केसेज भी पेंडिंग ह, जिनको १२ साल से अधिक हो चुके हैं। क्रिमिनल साइड में भी २,२ और ३,३ साल हो चुके हैं। इससे अधिक और क्या दुख की बात हो सकती है कि न्याय पाने के लिये जो न्यायालय की शरण लें, इस बीच में वह समाप्त हो जायं, उसकी संसार यात्रा ही खत्म हो जाय, लेकिन उसको न्याय न मिले और उसके बच्चे या उसकी संतान उस उलझन में उलझती रहे। यही हाल सिविल साइड का है। ऐसे केसेज हैं जो २० साल पुराने हाईकोर्ट में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को एरियर के लिये वार डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इस तरह की साधारण नीति से ऐसा लगता है कि यह समस्या हल नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ऐसी गति है कि जो चीज जिस तरह से चल रही है वह उसी तरह से चलती रहे। वह कोई रेडिकल या डायनमिक मेजर्स लेने की बात नहीं सोच पाती, लेकिन अगर यही तरीका रहा

तो यह एरियर्स पड़े रह जायेंगे और न्याय से हमारे देश की जनता वंचित होती रहेगी। मैं कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल का स्वागत करूंगा अगर हमारे माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दें कि वह इस रकम को इन एरियर्स को दूर करने में व्यय करेंगे। आज हाईकोर्ट में जजेज की संख्या लगभग २९ है। अगर हम बम्बई और वेस्ट बंगाल को वहां की जनता के अनुपात से देखें तो इस नतीजे पर आयेंगे कि वहां की पापुलेशन के अनुपात से वहां हमारे यहां से दुगने जजेज मौजूद हैं। ऐसी दशा में इन एरियर्स का रहना स्वाभाविक है। अगर इसे इकानामी कहा जाय तो यह फाल्स इकानामी है। एक मकान कोई व्यक्ति चाहे एक मजदूर से बनवाये अथवा १० मजदूरों से, व्यय उतना ही होगा। हम एरियर्स के लिये २९ जजों से काम लें अथवा ४० से, आखिर उनका निर्णय तो जजों द्वारा ही होना है। आज तात्कालिक आवश्यकता है कि हम जजों की संख्या बढ़ायें और अगर जरूरत हो तो प्रान्त के बाहर के अनुभवी व्यक्तियों को टेम्पोरेरी जजों को एरियर्स के डिस्पोजल के लिये नियुक्त कर दें, तभी यह दिक्कत दूर हो सकती है।

जिला स्तर पर आते हुये मैं निवेदन करूंगा कि क्रिमिनल सूट्स में ३,३७,८६१ केसेज का इंस्टीट्यूशन है और उनका डिस्पोजल इन से ४०,५० हजार कम है। इसका फल यह होता है कि एरियर्स बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सिविल सूट्स ओरिजनल साइड में इंस्टीट्यूशन है करीब २ लाख कुछ हजार के और उनका डिस्पोजल इससे कम है। इसका परिणाम यह है कि एरियर्स काफी बढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे प्रान्त में ९३,८९५ अपील्स पेंडिंग हैं और उनका दायरा १,१६,६३६ का है। डिस्पोजल इनका भी कम है। इसी तरह से एक्जीक्यूशन आदि में भी इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल कम है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमन्, कल यहां एक बात कही गयी और हमारे एक मित्र ने शंका प्रकट की कि हमारी जुडिशियरी आउट आफ ट्यून हो चुकी है। वह समय की प्रगति के अनुकूल नहीं चल रही है। उनकी सारी जुडिशियरी के ऊपर शंका है। मैं दुख के साथ अपने उन मित्र से असहमति प्रकट करता हूं और आप के द्वारा उस जुडिशियरी को बधाई देना चाहता हूं कि जो आज भी हमारे प्रजातंत्र की टेक है, सहारा है। उसका मोटा-सा इम्तहान यह है कि आज छोटे-छोटे गांवों और बाजारों में हम देखें, साधारण व्यक्ति से बात करें। उसका विश्वास अगर कहीं है तो वह हमारी जुडिशियरी में है। अगर किसी जुडिशियल कोर्ट में हम जायं, जो केवल नाम का नहीं वास्तव में जुडिशियल कोर्ट हो तो वहां चाहे सरकार की पार्टी हो अथवा किसी व्यक्ति की, उसको न्याय मिलता है। इस विश्वास का हमें आदर करना चाहिये। किन्तु एक कामन काले ब्रुश से उसको पेंट कर दें तो यह जनतांत्रिक प्रणाली के लिये आघात होगा। पंडित जवाहर लाल जी ने भी अपने भाषण देते समय कभी-कभी ऐसा संकेत और आवाहन किया है कि हमारे देश के जजेज अपने को समय के अनुकूल बनाये, अपने को समय के अनुकूल एडजस्ट करने का प्रयत्न करें। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कभी आक्षेप नहीं किया, केवल संकेत मात्र उनको कहा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था जबकि माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा। मैंने अखबारों में भी उसको पढ़ा और उससे ऐसा मालूम हुआ कि उनका विश्वास जुडीशियरी से उठ गया है। वे समझते हैं कि जुडिशियरी आउट आफ ट्यून हो चुकी है। एक्जीक्यूटिव का भार यदि उनके ऊपर हो तो ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है जिसकी गति के कारण वे दूसरी दिशा में चले जाते हैं। और जब उस गति के विरुद्ध उनके सुनने में कोई बात आती है तो वह आउट आफ ट्यून लगती है। वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे चल रहे हैं उसी तरह से दूसरे भी चलें। मैं तो कहता हूं कि आज यही जुडिशियरी है जो हमारे ऊपर एक अंकुश है। जो जुडीशियरी हमारे देश की है उस पर हमें गौरव हो सकता है और वह एक्जीक्यूटिव के ऊपर एक इफेक्टिव अंकुश है, ब्रेक है। आज अगर वह ब्रेक न होता तो न जाने हम कितने अवनति की ओर बढ़ गये होते।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मेरा खयाल है और जहां तक कोर्ट फीस के बढ़ाने की बात है, मैंने सदा उसका समर्थन किया है। मेरी निगाह में तो एक दो ऐसी और भी दिशायें

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हैं जिनकी ओर माननीय मंत्री जी बढ़ सकते थे। मसलन सेल्स टैक्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन में और रेवेन्यू विभाग में प्रार्थना पत्र लगते हैं। रेवेन्यू में ४ आना का टिकट लगाया जाता है चाहे उसकी मालियत कितनी ही क्यों न हो। एक ओर जब कि क्रिमिनल विभाग में १ रुपये का टिकट लगाया जाता है, लेकिन माल विभाग में बिना मालियत देखे ४ आने का टिकट लगाया जाता है। अगर उसको बढ़ा दिया जाय तो काफी आमदनी हो सकती है। सेल्स टैक्स में एक पैसा भी टिकट नहीं लगता है। अगर वहां पर टिकट लगा दिया जाय तो काफी आमदनी हो सकती है। मैं समझता हूं कि जनता को अपील करने का हक है, जो भी सुविधा हो सके वह जनता को देना चाहिये लेकिन उस सुविधा का दुरुपयोग न हो, यह भी देखने की बात है। उस अंकुश लगाने के लिये हम फीस कायम कर सकते हैं। बिहार और मद्रास ने फीस कायम की है। मैं समझता हूं कि इसका स्कोप इस बिल में हो सकता था।

दूसरी तरफ, श्रीमन्, रिट पर १०० रुपया के करीब कोर्ट-फीस बढ़ा दी गयी है। यह बहुत ज्यादा है। विशेषतया इसलिये कि एक तरफ तो एक्जीक्यूटिव वे आफ थिंकिंग है, वह समझते हैं कि इसका बड़ा भारी दुरुपयोग होता है। किसी मात्रा में और किसी समय तो दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन किसी जगह वह ब्रेक का काम दे सकता है और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का काम दे सकता है। अगर वह ज्यादा मुश्किल कर दिया जायगा तो बहुत से लोग उस न्याय से वंचित रह जायेंगे केवल उसका मूल्य बढ़ जाने से। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और अगर सम्भव हो सके तो वे रिट पर जो फीस है उसको अवश्य कम करने की कृपा करें।

डिक्लेरेटरी सूट्स का एक दूसरा वर्गीकरण है जिसमें बहुधा ऐसे मौके आते हैं कि साधारण व्यक्ति अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिये न्यायालय की शरण में जाते हैं उसको भी हमें बहुत मंहगा नहीं बनाना चाहिये, अन्यथा उसका परिणाम यह होगा कि एक साधारण व्यक्ति पैसा ज्यादा लगने के कारण उस न्याय से वंचित रह जायगा। इसलिये डिक्लेरेटरी सूट्स पर जो मेक्जिमम ५०० रुपया फीस है उसे घटाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगदीश शरण जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सिद्धांत को माना कि किसी बिल या किसी सरकारी प्रस्ताव का समर्थन केवल समर्थन के लिये नहीं करना चाहिये। मैं भी अपनी ओर से उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं विरोध के लिये किसी टैक्स या किसी बिल का विरोध नहीं करता और इसके प्रमाण में उनको और सदन को यह याद दिलाता हूं कि जब वृहत् जोत-कर विधेयक आया था तो मैंने उसका स्वागत किया था और समर्थन किया था। लेकिन यह जो विधेयक है उसका मैं स्वागत व समर्थन नहीं कर सकता उस रूप में जिस रूप में कि वह है। उसके कई कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह नहीं बतलाया कि अगर यह सिद्धांत मान भी लिया जाय कि न्याय का जो खर्चा है वह न्याय विभाग द्वारा ही वसूल किया जाना चाहिये तो उन्होंने यह सिद्ध नहीं किया आंकड़े दे कर कि इन दिनों न्याय देने में इतना खर्चा बढ़ गया है और आमदनी इतनी ही है, इसलिये यह कोर्ट फीस बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत माननीय जगदीश शरण जी ने पिछले सालों के आंकड़े कर यह सिद्ध किया कि न्याय का खर्चा न्याय की आमदनी से कम है यानी आमदनी ज्यादा है, कम नहीं है। इसलिये उद्देश्य और कारणों में जो कारण बतलाया गया है इस विधेयक को लाने के लिये और कोर्ट फीस बढ़ाने के लिये वह कारण ही गलत हो जाता है।

उद्देश्य और कारणों में एक बात और कही गयी है। सम्भव है वह भाषा सम्बन्धी भूल हो। वित्त मंत्री जी उसे स्पष्ट कर देंगे अपने जवाब में। वह यह है कि उद्देश्य और कारणों

के पहले पैरा के अन्तिम वाक्य में यह कहा गया है कि 'इस बढ़ते हुये व्यय को बढ़ाने के लिये, यह बात इसमें साफ नहीं है कि यह जो व्यय बढ़ गया है उसको पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया गया है या जो व्यय अब बढ़ेगा उसका अभी से दूरन्देशी से इन्तजाम करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जनता पर टैक्स लगाने का निश्चय कर लिया है--अगर माननीय वित्त मंत्री जी इसे साफ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

इन्हीं कारणों से मेरा निवेदन यह है कि अगर इस बिल में कोई संशोधन नहीं हुआ और जैसा बिल है वैसा ही रहा तो मैं समझता हूं कि इस बिल का विरोध होना चाहिये और सदन को असंशोधित बिल को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

तीसरा कारण यह है कि यह माना हुआ सिद्धांत है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने भी इसे माना है, कि जब तक दूसरे साधनों से सरकार का काम चल सकता है तब तक सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिये । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके भाषण में तो उन्होंने ऐसी कोई बात सदन को नहीं बतायी कि किन कारणों से उन्होंने अन्य साधनों को पूरा कर लिया और अन्य साधनों से इस खर्चे की पूर्ति नहीं हो सकती इसलिये कोर्ट फीस लगाने की आवश्यकता है । इस सिद्धांत की उन्होंने अवहेलना की है सदन को न बता करके । मैं कुछ मोटी सी बातें हैं, जो सदन के प्रत्येक सदस्य को मालूम हैं और जनता को मालूम हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । पहली बात यह है कि जब तक सरकार सदन को कम से कम यह विश्वास न दिला दे कि उसने बराबर निरन्तर शैतान की आंत की तरह बढ़ने वाले सरकारी खर्चे में कमी की है तब तक सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है । दूसरे सरकार उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है कि जब तक दूसरे साधन मौजूद हैं तब तक टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।

इसके अलावा और भी बातें हैं जिनकी ओर संकेत माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने किया । मैं उनमें से पहले अपनी बात कह करके तब उनकी बात पर आऊंगा । वह यह है कि टैक्सों की वसूली के सिलसिले में सरकार पूरी सफलता के साथ शत प्रतिशत टैक्स वसूल नहीं कर पा रही है और उस कारण भी उसको नये टैक्स लगाने पड़ते हैं । जब तक सदन को विश्वास न दिलावे कि उसने पूरा प्रयत्न टैक्सों की वसूली के लिये कर लिया है । तब तक भी टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को नहीं है । टैक्सों में जो चोरी होती है उसको रोकने के लिये कोई कामयाब प्रयत्न सरकार ने अभी तक नहीं किया है । जब तक सरकार सदन को विश्वास न दिला दे कि उसने प्रयत्न कर लिया है और उसके बाद भी आवश्यकता है जनहित में, तब तक टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है । इसी तरह से जो टैक्सों के एरियर्स पड़े हैं--खास करके मैं तीन एरियर्स का जिक्र कर दूं, इन्कम टैक्स, जो करोड़ों रुपया बकाया है, सेल्स टैक्स यह भी करोड़ों बकाया है और बिजली के बिल्स का रुपया, केसा कम्पनी, कानपुर का, जो बहुत सी मिलों पर बकाया है । लेकिन सरकार इन बकायों की वसूली के लिये कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है । मालूम ऐसा होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब खर्चे में कमी करने का बात आती है तब नौकरशाही द्वारा विरोध होता है । इन टैक्सों की वसूली की जब बात आती है, इवेजन्स को रोकने की जब बात आती है, तब पूंजीपतियों द्वारा विरोध होता है और हमारी वर्तमान सरकार नौकरशाही के विरोध को और पूंजीपतियों के विरोध को सहने की क्षमता नहीं रखती । इन पर तो सरकार का वश नहीं चलता, नौकरशाही की वजह से खर्च कम नहीं होता, और पूंजीपतियों की वजह से टैक्सों की वसूली नहीं होती, होता यह है कि गरीब जनता पर ही सरकार के क्रोध की अला-बला पड़ती है । अंधाधुन्ध टैक्स लगने का, बिना उन सभी सिद्धांतों को पूरा किये हुये, सरकार को चस्का-सा पड़ गया है और जरा से रुपये की जरूरत हुई और टैक्स बढ़ने लगते हैं । मैं समझता हूं यह गलत सिद्धांत है और उस सिद्धांत को अगर मान लिया जाय, जिसको मैं नहीं मानता हूं कि न्याय भी वह विभाग है कि न्याय स्वयं पर्याप्त होना चाहिये, कोई कमर्शियल अन्डरटेकिंग होनी चाहिये, उसका खर्चा न्याय विभाग ही पूरा करे, सरकार दूसरी तरह से न करे, मैं उस सिद्धांत को नहीं मानता हूं, लेकिन अगर उसको मान भी लिया जाय तो जैसा माननीय जगदीश शरण जी ने कहा है बिना करों के बढ़ाये

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

हुये आमदनी बढ़ सकती है और वह बढ़े हुये तथा बढ़ते हुये खर्चे को भी पूरा कर सकती है। इसलिये मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसके कारण उन्होंने सदन को विश्वास दिला दिया हो कि यह विधेयक आवश्यक है।

इसके अलावा जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय, बार-बार कहा, जिस बात पर मैं सबसे ज्यादा जोर देना चाहता हूं वह यह है कि न्याय सस्ता होना चाहिये। अभी तक हमारे देश में न्याय की हालत यह है कि अधिकांश गरीब जनता, अगर मैं गलती नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास इस संबंध में आंकड़े नहीं हैं, यह हो सकता है कि मेरे आंकड़े सही न हों, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ९० फीसदी जनता की अभी तक ऐसी हालत है कि उसके लिये न्याय प्राप्त नहीं है। वह न्याय नहीं पा सकती क्योंकि न्याय इतना खर्चीला है कि वह उस खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब लोगों को मालूम है कि पैसे वाले लोग गरीब लोगों पर न्यायालयों में गलत मुकदमे चला करके और यह समझ करके कि वह मुकदमा खारिज भी हो जायगा तब भी इन मुकदमों की पैरवी में उनको खर्चा करना पड़ेगा, आना-जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा इस बात को उन्होंने अत्याचार का साधन बना लिया है गरीब लोगों को अपने काबू में रखने का और दबा कर रखने का और इसका एकमात्र कारण यही है कि यह न्याय गरीबों के लिये, देश की जनता के लिये बहुत महंगा है।

माननीय जगदीश शरण जी से मैं इस बात में सहमत हूं कि हमारे देश का न्याय विभाग कार्यपालिका विभाग के मुकाबिले में खासतौर पर बहुत अच्छा है। उसकी कीर्ति बहुत अच्छी है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीमकोर्ट पर गर्व है। मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे अपने प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट पर गर्व है। यह मानते हुये भी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के नीचे की जुडीशियरी में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं कि जो राजनीतिक कारणों से या दूसरे कारणों से भी प्रभावित हो जाते हैं और शुद्ध न्याय नहीं करते। यह तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं यह आम तौर पर मानता हूं कि हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायपति हैं उनका स्तर नीचा नहीं है, ऊंचा है अभी तक, लेकिन न्याय पद्धति और न्याय प्रणाली का दोष है। इस बात से मेरा खयाल है कि माननीय जगदीशशरण जी भी इन्कार नहीं कर सकते यानी न्यायकर्ता अच्छे हों लेकिन न्याय पद्धति और न्यायप्रणाली दोषपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई ऐसा सदस्य और माननीय वित्त मंत्री भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस देश की जो न्याय प्रणाली है और न्याय पद्धति है उसमें गरीबों के लिये कोई जगह नहीं है और उसमें अभी बहुत दोष हैं। यह कौन नहीं जानता कि अच्छे से अच्छा जज चाहे वह कितना ही योग्य हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो या कानून का कितना ही अच्छा ज्ञाता हो, परम स्वतंत्र हो, किसी का प्रभाव न मानता हो, अच्युत हो यानी उसको कोई किसी तरह से करप्ट न कर सके, यह सब बातें होते हुये भी अगर न्याय प्रणाली और न्याय पद्धति दोषपूर्ण है तो वह लाचार है। झूठी गवाही उसके सामने ऐसी दी जा सकती है कि जो अदालत की पकड़ में और जिरह में न आवे। मैंने जहां तक विदेशों का साहित्य देखा है उसमें मुझे मालूम है कि अमेरिका में न्यायालयों में निर्दोष लोगों को फांसी तक हो जाती है झूठी गवाहियों के आधार पर और दोषी बिलकुल छूट जाते हैं। यह प्रणाली और पद्धति का दोष है। इन दोषों को दूर करने की आवश्यकता है।

माननीय जगदीश शरण जी ने आज यह बात कही भी थी कि हमारे देश के नेता जवाहरलाल जी ने न्यायालयों की शिकायत की थी। उनकी शिकायत तो और भी आगे चली गयी थी। मेरा खयाल है कि उन्होंने इसी कारण से यह कहा था:—

"Our Law Courts should not be a refuge for the scoundrels."

हमारे जो न्यायालय हैं वे धूर्तों को शरण देने वाले नहीं होने चाहिये। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे न्यायालयों से बहुत से जुल्म करने वाले डाकू, हत्यारे छूट जाते हैं। कभी-कभी सरकार भी इस बात की शिकायत करती है कि ऐसे लोग छूट जाते हैं। सभी लोगों को मालूम होगा कि बड़े-बड़े महान् डाकू जिनके कारण आतंक रहता है, जिनका मुकाबला एक-एक और दो दो दशाब्दियों तक सरकार नहीं कर पाती है, जिनका दमन सरकार नहीं कर पाती है उनपर ७०,७० और ८०, ८० मुकदमे कत्ल और डाके के चलते हैं और वे निर्दोष छूट जाते हैं जैसा कि मानसिंह के नाती नवाबसिंह के मामले आप सब को मालूम हैं। सरकार जिन लोगों को, जिन अपराधियों को दंड दिलाना चाहती है वे भी छूट जाते हैं न्याय पद्धति के दोषों की वजह से। तो गरीब आदमी को आप देखें कि अगर किसी की हत्या हो गई तो पहली बाधा यह होती है कि पलिस ने अगर किसी तरह से हत्या की सही रिपोर्ट नहीं की तो उसको वहां से छुट्टी मिल जाती है और गरीब के लिये कोई सुविधा अदालत में इस्तगासा लाने के लिये नहीं होती और ऊपर तक मुकदमा लड़ने का खर्च, वकीलों की फीस और कोर्ट फीस, स्टाम्प आदि का खर्च इतना हो जाता है कि गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। इस-लिये अन्याय दूर करने के लिये न्याय के खर्च को बढ़ाना नहीं चाहिये बल्कि उसे घटाना चाहिये। मैं पहले भी कह रहा था और अब फिर कहता हूं कि सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह न्याय के खर्च को अकेले न्याय विभाग से ही पूरा करे, अगर सरकार वाकई जन-कल्याण चाहती है तो उसे ९० प्रतिशत गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिये न्याय सस्ता करना चाहिये और उसे मंहगा और खर्चीला नहीं बनाना चाहिये। इस कारण से भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं और यही सब से बड़ा कारण है जिसकी बिना पर मैं विरोध कर रहा हूं।

एक और सुझाव मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें क्योंकि जैसा मैंने कहा इस पक्ष में उन्होंने कोई बात नहीं कही है लेकिन अगर वह इसको वापस भी न लें तो इस बिल की जो मोटी-मोटी बातें हैं उनकी ओर जरा अधिक ध्यान दें। मंत्री जी जानते हैं कि किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये अब तक जो ऋण आदि गांवों में दिया जाता है सरकार की तरफ से वह काफी नहीं होता किसान की आवश्यकताओं के लिये और गांव के दूसरे लोगों से, मध्यम वर्ग के लोगों से या महाजनों से वह कमी पूरी होती है और वह गांव के महाजन उन काश्तकारों को २००,५०० रुपया उधार दिया करते हैं जिनकी जरूरत सरकार पूरा नहीं कर पाती। अगर यह कोर्ट-फीस इस तरह से बढ़ेगी तो उनको यह ऋण कोई नहीं देगा और इस तरह से इसका असर खेती की पैदावार पर भी पड़ेगा, वह घटेगी और यह किसानों के लिये अन्यायकारी होगा। अतः मेरा सुझाव है कि ५०० रुपये तक कोर्टफीस कतई न बढ़ाई जाय और अधिक से अधिक जो पहले से है वही रहे और ५०० से ५,००० रुपये तक ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि सरकार १० प्रतिशत से अधिक कोर्ट फीस न ले। इस में १६,००० से पहले जो हिसाब आता है वह १० प्रतिशत से अधिक होता है और फिर ऊपर चलकर वह १० प्रतिशत से कम होता है। सरकार स्वयं यह प्रिंसिपिल मानती है कि एक स्लाइडिंग ग्रेडेड टैक्स होना चाहिये और उसका भार गरीबों पर कम और अधिक आय वाले लोगों पर अधिक होना चाहिये। इसी तरह से अगर वह प्रतिशत भी रखा जाता तो ठीक होता। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बिल में देखें कि किस तरह से इसमें उल्टी बात है। १५,००० रुपये तक तो कोर्ट-फीस पड़ती है १,५७० रुपया लेकिन १६,००० से १७,००० तक पड़ती है १,६४५ रुपया यानी १० प्रतिशत से कम होना शुरू हो गई और अन्त में ५ लाख पर वह ३७ हजार है जो १० प्रतिशत से बहुत कम है। तो अगर माननीय वित्त मंत्री महोदय के लिये इस बिल को वापस लेना संभव नहीं है तो इसमें व समुचित संशोधन करें और इस बात का ध्यान तो अवश्य रखें कि अधिक मूल्य पर टैक्स ज्यादा लगे और कम कीमत के मुकदमों पर टैक्स कम लगे। इन शब्दों के साथ जब तक इस बिल का समुचित संशोधन नहीं होता मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय वित्त मंत्री की चतुरता की कुछ तारीफ करना चाहता हूं और वह यह कि इसको टैक्स न कह कर कोर्ट फीस का नाम देना और दूसरे अपने न्याय मंत्री होने के काल में इस बिल को न लाना और वित्त मंत्री होने की हैसियत से पेश करना। ये दोनों चीजें उनकी चतुरता की द्योतक हैं। कारण, न्याय मंत्री की हैसियत से अगर वे यह बिल लाते तो उनके अन्तःकरण में ठेस लगती कि यह क्या कर रहे हैं। मगर वित्त मंत्री की हैसियत से तो रुपये की आवश्यकता है लिहाजा यह लाया गया। तो इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे इसको कबूल फरमायेंगे।

श्रीमन्, टैक्स और फीस के विषय में कल फैजाबाद के माननीय सदस्य ने छागला और शाह को कोट किया था। उस विषय में यदि आज्ञा हो तो मैं दो, चार लाइन पढ़ दूं :—

"In order to decide whether a certain levy is a tax the real test to be applied is to consider whether the levy is made for the purpose of raising public revenue of the State."

यह छागला जी ने फरमाया। उसके बाद यह भी कहते हैं कि—

"It is not a tax because it does not form part of the public revenue nor it is used for the whole public or for Government purposes."

अब सवाल यह है कि कोर्ट फीस क्या है। बरेली के माननीय सदस्य ने फरमाया और मैं उनसे सहमत हूं, वास्तव में तो "The duty of an efficiently run State is to impart justice and free justice" कोई भी मुस्तैदी से चलने वाली सरकार का कर्त्तव्य है कि वह न्याय दे। मगर यहां सुरथबहादुर शाह के कपड़े छीन लिये जायं एक मंत्री द्वारा। दूसरे मंत्री से जब वे कहें कि मेरे कपड़े छिन गये तो वे मंत्री कहेंगे कि २० रुपये दाखिल करो। अरे! २० रुपये में एक जोड़ा ही न बना लेंगे। हमेशा से यहां की जनता की एक पुकार रही है और कांग्रेस भी यह कहती है कि जस्टिस शुड बी चीप ऐंड स्पीडी। तो यह फीस बढ़ा कर मंत्री महोदय जस्टिस चीप दे रहे हैं या स्पीडी? फीस बढ़ाने के बाद चीपनेस का तो सवाल खत्म। अब रही स्पीडी की बात। इसके बारे में स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में अगर मुलाहिजा फरमायें तो उसमें लिखा है—

"During this period and particularly during the post-independence era the expenditure on judiciary has increased considerably. The expenditure on establishment and building has gone up further."

हमारे मंत्री महोदय और मंत्री महोदय के मुशीर के मुशीर, जो भी उनको सलाह देते हों, उन्होंने यह फरमाया और उनके दिमाग में यह आया और हमारे माननीय सदन के सदस्यों ने भी कहा कि बिल्डिंग की हमको जरूरत है। ठीक है अगर आपको जरूरत है तो लम्पसम ग्रांट मांगें कि हमें एक करोड़ की या इतने लाख की जरूरत है। या वह यह कह दें कि हमें इमारतों की जरूरत है जब तक इमारतें नहीं हो जायंगी तब तक लेंगे। लेकिन यह बात नहीं है वह तो स्थायी (परपीचुएट) करना चाहते हैं। यह उनकी नीयत है। अगर ग्रांट नहीं चाहते हैं तो चन्दा खोल दें। हम लोग इमारत खड़ी कर देंगे और वह जनता की हो जायगी। यह जो नये सिस्टम यानी समाजवाद की दुहाई देते हैं उसका कहीं तो प्रदर्शन करें लेकिन नीयत तो यहां पर जेबों से पैसा निकालने की है। काम कहीं और पैसा कहीं और बात छागला की फरमाते हैं। अगर मंत्री जी प्रीओकुपाइड हैं तो मंत्री के मंत्री क्या करते हैं? वह भी प्रीओकुपाइड हैं और जरूर हैं। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टरों के प्लानिंग का काम करने से मुकद्दमे बढ़ते चले जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि लिटीगेंट्स से कहा जाता है कि लाइये पैसा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है जिसके लिये मुझे अफसोस है कि मुशीर के मुशीर ने यह सलाह दी। दूसरे पेज पर क्लाज २ का सबसैक्शन (१) का प्रोविजो इस प्रकार है कि:

"Provided further that in all suits falling under clause (*a*) such amount shall in no case be less than Rs. 500."

पहले १०० रुपये था अब ५०० कर दिया है। एक तो ५०० बढ़ा दिया दूसरे जो पैसा कलेक्ट करेंगे तो ५०० पर अलग पड़ेगा। ५०० पर ६७.२५ अलग होंगे। क्या खूब है, सब अंधे हैं, कोई देखने वाला नहीं है श्रीमन्, लागत अलग बढ़ी और ५०० पर टैक्स अलग पड़ा तो दुहरी चोरी है। श्रीमन्, मैं फिर नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यदि मंत्री जी को अवकाश नहीं है तो मंत्री के मंत्री को तो है।

एक बात और कही जाती है कि जुडीशियरी का एक्सपेंशन हुआ है लिहाजा पैसे की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या वह यह कहने के लिये तैयार हैं कि हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह कम नहीं हुई है। अगर जुडीशियरी का एक्सपेंशन हुआ है तो क्या केसों की तादाद नहीं बढ़ी और अगर बढ़ी है तो क्या आमदनी नहीं बढ़ी और अगर आमदनी बढ़ी है तो फिर किस मुंह से मांगते हैं? क्या जस्टीफिकेशन है? पिछली दफा जब रेट्स रिवाइज किये गये थे तो कहा था कि एरियर्स कम होंगे। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछली मर्तबा से एरियर्स कम हुये हैं? पिछली मर्तबा जिस जस्टीफिकेशन पर टैक्स बढ़ाये गये फिर उस टैक्स को वसूल करना दूसरे काम के लिये मांगना, फीस के नाम पर, यह उचित नहीं। अव्वल तो न्याय के लिये कोई शुल्क नहीं होना चाहिये, (शुड नाट चार्ज फार इम्पार्टिंग जस्टिस) लेकिन चूंकि उसमें कुछ खर्चा होता है, मकानात की पुताई और मरम्मत, चपरासियों की वर्दियों और तनख्वाह इत्यादि। उसके लिये हैए मिनिमम अमाउन्ट शुड बी चार्ज्ड और उसका नाम फीस दिया है, टैक्स नहीं तो क्या है? मंत्री महोदय कहते हैं कि पूरा नहीं पड़ता है। हर्गिज पूरा पड़ता है। एक्सपेंडीचर बढ़ा तो केसेज बढ़ें और केसेज बढ़े तो आमदनी भी बढ़ी। तो व्हेयर इज दि जस्टीफिकेशन, सर। एक बात और अर्ज करूं। इजाफा होना तो फंडामेंटली रांग है। मगर उसे किसी न किसी रूप में ले आना दूसरी बात है।

दूसरी बात छागला साहब की रिपोर्ट से ही आपके सामने रखता हूं--

"the State levies an amount approximating to the expenses for providing the service."

देवरिया के माननीय सदस्य ने कल कहा था कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के अलग न होने की वजह से यह दिक्कतें पड़ती हैं। उन महानुभावों की सर्विसेज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं प्लानिंग के लिये, और मुकदमे एरियर्स में पड़ते चले जा रहे हैं। वह लगे तो दूसरी चीज में हैं। लिहाजा अब मांग कर रहे हैं, एरियर्स बहुत हो गये हैं, हमारे पास आदमी कम हैं। क्यों नहीं मांगते हैं डेवलपमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से जिनके लिये डिप्टी कलेक्टर साहबान को लगा रखा है? हमसे क्यों मांगते हैं?

फिर अन्त में एक दो लफ्ज और अर्ज करना चाहता हूं। लिटिगेंट्स से जस्टिस का खर्चा लेना यह किसी भी मुशीर के लिये, मुशीर के मुशीरकार का सदन को सलाह देना, यह समझना मेरी इमकान के बाहर है। दि फाल्ट लाइज समव्हेयर एल्स। (the fault lies somewhere else)

श्री अध्यक्ष--आप हिन्दी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में किसके लिये ट्रांस्लेशन करते हैं। यहां सब समझते हैं हिन्दी। अंग्रेजी में कह जायं तो हिन्दी में ट्रांस्लेशन कर दें, लेकिन जब हिन्दी में कोई वाक्य कह देते हैं तो उसका ट्रांस्लेशन अंग्रेजी में करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह--श्रीमन्, भ्रम हो जाता है। टोका गया हूं, इस वजह से भूल जाता हूं कि उसका इसमें कर रहा हूं या इसका उसमें कर रहा हूं। (हंसी)

[श्री सुरथबहादुर शाह]

श्रीमन्, हमारे माननीय मित्र हंसते हैं। वह तो जवांन है मैं बुड्ढा हूं। गुलामी के जमाने में पढ़ा हूं। जो पढ़ा अंग्रेजी में पढ़ा, उसी का प्रदर्शन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अगर हिन्दी में आप कह दें तो कभी-कभी मैंने देखा है कि आप फिर उसका अंग्रेजी उल्था करते हैं। वह तो तब होना ठीक होगा जब कि केवल अंग्रेजी जानने वाला कोई सदस्य सदन में मौजूद हो, तो उसके लिये उल्था हो सकता है, लेकिन जब सब हिन्दी जानने वाले हों तो हिन्दी का अंग्रेजी में उल्था करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह---चूंकि समय कम होता है उसका तर्जुमा इसमें या इसका तर्जुमा उसमें, यह हो जाता है। वह गलती हो जाती है। क्षमा करेंगे।

अन्त में मुझे एक बात और अर्ज करनी है और वह यह है कि इस बिल में फीस या टैक्स बढ़ाने के लिये हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कभी हाईकोर्ट से भी परामर्श करने की तकलीफ गवारा की थी? वह यह कहेंगे कि हमको क्या वास्ता हम तो सर्वोपरि हैं। मगर नहीं इस बात की संभावना है कि उनसे सूचना मांगी हो या उनका ध्यान दिलाया हो, लेकिन अगर उनका खयाल यह है कि उनको किसी की परवाह नहीं है तब तो ठीक है और मुबारक है। मगर याद रखें कि वह एक ऐसा इंसटीट्यूशन है जिससे ऐसे विषयों पर, जो विषय उनसे संबंध रखते हैं, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार माननीय मंत्री का यह फर्ज है कि उनसे भी पूंछा जाय। मुझे संदेह है कि इसमें नहीं पूछा गया। इसके बाद मेरा विनम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से यह और है कि मेरी जो यह गलतफहमी है उसको दूर करते हुये वह इसको जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा, इसको प्रवर समिति में भेज दें।

एक बात और है। हमारे बरेली के माननीय मित्र ने यह जरूर कहा था कि विरोधी दल की तरफ से हर बात का विरोध इस प्रकार होता है जैसा कि सरकार की तरफ से कोई अच्छा सुझाव आया ही न हो। यह बात जरूर है कि विरोध होता है, लेकिन हमारा काम मित्रता का है। हम सरकार को सुझाव देते हैं और सरकार की गलतियां जाहिर करते हैं। हम तो गलती दिखा देते हैं कि यह गलती रह गई है, लेकिन उसका विरोध नहीं करते। हम अपनी दोस्ती अदा करते हैं। जो गलती है उसके लिये हम चिल्लाते हैं और कहते हैं यदि आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो उसी तरह से हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। जिस किसी क्षेत्र से आप यहां आते हैं उसी तरह से हम भी किसी क्षेत्र से आते हैं। हमारा काम विरोध या शत्रुता नहीं है। अगर हमारे बरेली के माननीय मित्र ने यह समझा कि हमारा कर्त्तव्य ही विरोध करना है और जो साइकोफेंट मुसाहिब उस तरफ हैं.....

श्री अध्यक्ष---इस तरह से किसी सदस्य को "साइकोफेंट" कहना अनपार्लियामेंटरी है।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं इसको वापस लेता हूं। मैं तो केवल मुसाहिब जैसे होते हैं उसी तरह से कह रहा था।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से 'मुसाहिब' कहना भी अनपार्लियामेंटरी है।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं इसको भी वापस लेता हूं। मेरा आशय पीछे चलने वालों से था जो किसी दल में पीछे-पीछे चलते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह भी आक्षेप है। मैं समझता हूं यह भी उचित नहीं है। इस तरह से किसी सदस्य को कहना अनुचित है। यह तीनों बातें आक्षेप हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह---श्रीमन्, मैं इसको भी वापस लेता हूं। मेरा यह मतलब है कि हमको केवल विरोधी दल के नाम से ही सोचना कि जो भी यहां प्रस्तुत किया जाय उसका विरोध ही करेंगे तो यह गलत बात है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि वह इस पर गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष---श्रीचन्द्र सिंह रावत, आप बाद में भाषण करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल द्वारा उठाये गए प्रश्न पर विवाद की मांग वापस लेने की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री रामचन्द्र विकल जी ने उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न पर जो नगरपालिका गाजियाबाद को भंग करने के सिलसिले में था आध घंटे का विवाद चाहा था और उसके लिये आज का समय निश्चित किया गया था। लेकिन अब उन्होंने जो मुझे पत्र लिखा है उसमें उन्होंने जो सूचना चाही थी वह मन्त्री जी से मिल गयी है और इसलिये अब वे उस पर वाद-विवाद नहीं चाहते। उन्होंने अपनी प्रार्थना को वापस ले लिया है। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि ५ बजे के बाद जो विवाद आध घंटे के लिये आज रखा गया था वह अब नहीं होगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गया बख्श सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे जो बिल यहां पेश किया गया है उससे उज्रदारी नहीं है। जिन विकास की भावनाओं से प्रेरित होकर यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है मैं उनकी क़द्र करता हूं। परन्तु मैं यह कहे बिना रुक नहीं सकता कि इसमें बहुत सी खामियां हैं और जितना समय इस पर सोचने के लिये दिया जाना चाहिये था उतना समय उन साहबान ने नहीं लिया जिन्होंने इस बिल को तैयार किया है। मंत्री जी ने कहा कि कोर्टफ़ीस बढ़ा देने से अदालतों में मुकदमों का रश कम हो जायगा। हम चाहें कि अदालतों में लोग न आ सकें और घुट घुट कर मर जावें, यह विचार उचित नहीं है। हमारे कानून पब्लिक पालिसी और पब्लिक मोरेलिटी के खिलाफ नहीं होने चाहिये। स्टेट का परम कर्त्तव्य है कि दुखी और सताये हुये लोगों के मामलों की सुनवाई अदालत में अवश्य होनी चाहिये। कोर्ट फ़ीस बढ़ा देने से गरीबों को न्याय से वंचित रखना पब्लिक पालिसी और पब्लिक मोरेलिटी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी में न्याय छोटे से छोटे और गरीब से गरीब को भी अवश्य मिलना चाहिये और न्यायालय के दरवाजे उसके लिये खुले रहने चाहिये। परन्तु जब हम रुपये पैसे की रोक लगा देते हैं तो गरीब की सुनवाई अदालत में कैसे हो सकेगी? अगर पये पैसे वालों के लिये ही न्याय की अदालतें हों तो यह बड़े दुख की बात होगी। हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परायें ऐसी रही हैं कि चाहे कोई कमजोर हो या गरीब हो सबके लिये न्याय का दरवाजा खुला रहे। कोर्ट फीस बढ़ा देने से गरीब अपने मुकदमें कोर्ट में नहीं ले जा सकेगा। अंग्रेजी की भी कहावत है कि "Let justice be done though heavens fall." चाहे हजारों स्वर्ग भी गिर पड़ें लेकिन हर व्यक्ति के साथ, हर नागरिक के साथ, न्याय होना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मानवता के प्रति न्याय नहीं करते। कम से कम उस वर्ग के साथ हम ऐसा कर के न्याय नहीं करते हैं जो पैसा न होने से अपनी नालिश या दावा अदालत में नहीं कर सकता। कोर्ट फीस बढ़ा कर हम उस वर्ग को अवश्य उसके नागरिकता के अधिकारों से वंचित करते हैं जो गरीब हैं। उत्तर प्रदेश के और भारत के निवासी होने से हमारा अधिकार है कि न्याय की अदालत में हमारी सुनवाई हो। जब पैसे पर हम न्याय को आधारित करते हैं तो हम न्याय को एक बिक्री की मार्केटेबिल चीज बना देते हैं। न्याय बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। सरकार अगर उसे बेचने की कोशिश करेगी तो यह इम्मारल बात है। उस पालिसी पर हमारी न्याय की इमारत खड़ी नहीं रह सकती है। इसलिये इस बात को देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। हमारे न्याय मंत्री जी स्वयं एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालतों में वकालत की है, वह गरीबों के हमदर्द भी हैं, उनके खानदान में कानून बहुत पहले से चला आया है और उसके वह कस्टोडियन रहे हैं और इन्साफ़ के भी कस्टोडियन रहे हैं। इसलिये मैं उनसे मांग करता हूं कि इंसाफ को मंहगा न बनाया जाय। चाहे जुडिशियरी का खर्चा आपकी कोर्ट फीस स्टाम्प से

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

न अदा हो फिर भी उसकी व्यवस्था फ्री आफ कास्ट होनी चाहिये। खासकर कांग्रेस सरकार जो लम्बे चौड़े दावे करती है, मैं समझता हूं कि उस कांग्रेस के राज्य में किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रख कर उसे न्याय फ्री आफ कास्ट मिलना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक टैक्सेज की बात है इस माननीय सदन के इस बात को सुनते-सुनते कान पक गये हैं और दिमाग सोचते-सोचते थक गये हैं। कहीं कहीं तो इन टैक्सेज का डुप्लीकेशन हो गया है। सरकार इन्हें लगाती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाता है, और गांव समाज भी उन टैक्सेज को लगाता है। इस प्रकार इस देश में टैक्सेज की भरमार कर देना उचित नहीं है। इस मुल्क के विकास को बुनियाद पर खड़ा करना चाहिये। छलांग मार कर ऊंचे से ऊंची सीढ़ी पर कूदने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इसलिये सोच समझकर टैक्स के मामले में हमें कदम बढ़ाना चाहिये।

जब किसी ऊंट के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझा लाद दिया जाता है तो उसके लिये एक तिनका भी भारी हो जाता है और उससे उसकी कमर टूट सकती है। धनाढ्यों की बात छोड़ दीजिये जो इसके बोझ को बरदाश्त कर सकते हैं, उस गरीब की बात सोचिये, जिसके पास मकान नहीं, कपड़ा नहीं, खाने को नहीं, अगर उसके पास छोटा मोटा खेत है, अगर उसके हाथ से किसी प्रकार खेत निकल जाता है तो क्या आप समझते हैं कि वह खेत बिना अदालत के उसको वापस मिल सकता है? क्या बिना कोर्टफीस के अदालत में उस की सुनवाई हो सकती है? हर्गिज नहीं। इसलिये निहायत अदब के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि गरीबों के लिये स्वतंत्र भारत में फ्री आफ कास्ट न्याय का इन्तजाम कीजिये। जिनके पास पैसा है, जायदाद है, नौकरियां हैं, उनके ऊपर टैक्स न लगाना मैं इंसाफ नहीं समझता। जो मुल्क की धनदौलत को बटोर कर अपने कब्जे में किये हुये हैं, मैं समझता हूं कि सदन कभी भी उन पर टैक्स लगाने के लिये आप को मना नहीं करेगा, लेकिन गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझा बढ़ाने में कभी भी यह सदन अपना हाथ न बटायेगा।

यह सही है कि आपने मद्रास के कोर्ट फीस ऐक्ट से उत्तर प्रदेश के कोर्ट फीस ऐक्ट की तुलना की है। यह सही है कि वहां अधिक है, लेकिन यह कौन सा कानून है जिसके आधार पर आप लोगों ने इस टैक्स को डिटरमिन करने के लिये उत्तर प्रदेश में कदम आगे बढ़ाया है? वहां के टैक्सेशन की आप तुलना करना चाहते हैं तो वहां के नागरिकों की इनकम को भी आप ले लें, उनकी इनकम बतलानी होगी और यह भी बतलाना होगा कि कौन सा परसेंटेज इनकम का वह जस्टिस में खर्च करता है। अगर उनकी इनकम अधिक है और वहां की सरकार कोर्ट फीस ज्यादा लेती है तो मैं समझता हूं कि वहां की सरकार जस्टी फाइड है कोर्ट फीस को बढ़ाने में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनता गरीब है और उसका मुकाबला आप मद्रास से करना चाहते हैं तो यह अनुचित है। सिर्फ इस बात को बेसिस बनाना कि मद्रास में कोर्ट फीस ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में कम है लिहाजा हम जस्टिफाइड हैं इस ग्राउन्ड पर कोर्ट फीस बढ़ा जस्टिफाइड नहीं हो सकता और यह ग्राउंड किसी भी रीजनेबिल दिमाग के अन्दर समा नहीं सकता।

मैं अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बिल में जल्दी की गयी। जिस आधार पर हम अपनी पालिसी बनाना चाहते थे या कदम बढ़ाना चाहते थे उसका सही और सच्चा आधार यह नहीं था। जनता के सामने वह आधार गलत नजर नहीं आना चाहिये। हमको जनता सच्चा समझ सके उन आधारों को लेकर हमें कदम बढ़ाना चाहिये। इसलिये मैं आप से फिर दरख्वास्त करता हूं कि इसे वापस लेने में कोई बेइज्जती नहीं है। लोग कहते हैं कि इस सरकार की प्रेस्टिज खराब हो जायगी; आप डिक्शनरी खोल कर जरा देखिये कि प्रेस्टिज के मानी क्या हैं। प्रेस्टिज के मानी हैं "to deceive one self or to deceive others; or it is a light word for a lie or it is an illusion." अगर हम अपने मुल्क के लिये, अपनी जनता के लिये, आगे बढ़ने के लिये कोई कदम उठाते हैं तो उस को दृढ़ता से उठाना चाहिये। उसमें अगर हम अपना कदम पीछे उठाते हैं तो हम इसको नालायकी नहीं कहते, इसको हम कमजोरी नहीं कहते। गांधी जी ने सैकड़ों बार कहा कि हम हार गये, हमने अपना

मूवमेंट वापस ले लिया, मैं कमजोर हूं, मेरा मुल्क कमजोर है। गांधी जी चाहते थे कि जनता पहले ताकत को संचित करे तब कदम आगे बढ़ाये। इसलिये हम से अगर कोई भूल हो जाती है तो मैं इसमें मानवता समझता हूं, मेरे दिल में ऐसे इन्सान के लिये सम्मान और आदर अधिक बढ़ जाता है जो आदमी अपनी गलती को महसूस करता है। भूल करके अगर हम उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, उसी को हम प्रेस्टिज कहते हैं। इसलिये मैं अधिक न कह कर यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस बिल में वेरियस आइटम्स दिये हुए हैं और जिनका सम्बन्ध छोटे काश्तकारों से है मुकदमों के सिलसिले में उनका परसेंटेज अधिक है। यह मुनासिब नहीं है। मैं उन सब भाइयों का समर्थन करता हूं, जिन्होंने कहा कि जिनके पास रुपया अधिक है उन पर कोर्ट फीस बढ़ायी जाय क्योंकि गरीब के तो ४० हजार या १ लाख के मुकदमें हो नहीं सकते। इसलिये इससे गरीब को कोई राहत होगी यह नामुमकिन है।

दूसरी बात यह कि रुपया ज्यादा खर्च करके मुल्क को जस्टिस मिल सकेगा यह भी दलील कतई गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं जानता हूं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में १९३०-३१ के जमाने में जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे केवल ९ जजेज थे एरियर्स का कोई नाम नहीं। अप टु डेट वर्क हुआ करता था। उसके बाद जजेज की संख्या ११ हुई फिर १५ हुई। तो मैं समझता हूं आज हमारे हाई कोर्ट में जजेज की तादाद दुगनी, तिगुनी बढ़ चुकी है, लेकिन मंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं और उनको पता है कि हमारे मुल्क में व्यवस्था क्या चल रही है। मैं बताना चाहता हूं हिन्दुस्तान की जुडीशियरी की तवारीख में एक आदमी को साढ़े पांच साल तक अन्डर ट्रायल प्रिजनर रखा गया। क्या यही हमारे इंसाफ की व्यवस्था है? मंत्री जी उस मामले में कुछ नहीं कर पाये, मुझे इसका खेद है। क्या कारण है कि साढ़े पांच साल तक मुकदमा अदालत में चालान नहीं किया गया? २५,००० रुपये के मामले में मुकदमा चालान ही नहीं हो रहा है। यह अनपैरलल केस हमने देखा। मुकदमों के प्रासीक्यूशन और चालान करने के लिये स्पेशल आदमी एप्वाइंट किये जाते हैं। इसका हमें खेद है। स्पेशल क्यों? कम्पीटेंट को एप्वाइंट किया जाना चाहिये था। जो मौजूद हैं अगर वह इनकम्पीटेंट हैं तो उनको कनड़ेम किया जाना चाहिये था और नये होशियार आदमियों को रखा जाना चाहिये था। लेकिन रिटायर्ड लोगों का लाना और काबिल लोगों को न लाना और जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनसे काम न लिया जाना क्या हम इसको अपने ऐमिडस्ट्रेशन की कमी कबूल नहीं कर सकते? मैं कहता हूं यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, कबूल करना पड़ेगा। हमारी सर्विसेज के काडर्स में काबिल आदमी नहीं हैं। क्या कारण है कि काबिल आदमी नहीं हैं? इसलिये मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि अवश्य मुल्क का विकास हो उसके लिये धन इकट्ठा किया जाना चाहिये, इसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं। चाहे हमारे कुछ भी पोलिटिकल एफ़ीलियेशन्स हों सबका एक मत है कि मुल्क के विकास के लिये जरिये अवश्य जुटाने चाहिये। परन्तु इसके साथ जो टैक्सेज को लगाने की बात करते हैं उनके सामने यह भी प्रश्न है कि क्या वह रुपया ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं? पहले हमको यह देखना चाहिये कि हमारे खजाने में लीकेज है तो उसको बन्द करना चाहिये। अगर हमारे पास बावजूद सही खर्च होने के जरिये नहीं हैं तो आप को पूरा अख्तियार है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगायें जिससे मुल्क का भविष्य बन सके। हमारी ऐक्टिव सपोर्ट आपको है। परन्तु जिस वक्त हम देखते हैं कि बेकार रुपया खर्च होता है तो तकलीफ होती है। यह कहना कि चूंकि अदालतों में मुकदमें कम हो जायंगे उसके लिये यह सोल्यूशन है यह तर्क अपनी जगह पर ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा अगर आप कम्पोजीशन और कंसीलियेशन कोर्ट्स की बात करते हैं तो गांवों में ही गरीबों के केसेज का कम्पोजीशन हो जाना चाहिये, कंसीलियेशन हो जाना चाहिये तो बहुत अच्छा होता। अगर कुर्की, नीलाम है किसी गरीब की सम्पत्ति को तो सरकार को पे करना चाहिये और फिर सरकार उस आदमी से धीरे-धीरे रियलाइज करे। वह कम्पोजीशन और कंसीलियेशन के जरिये से अमल में होना चाहिये। जो रुपया किसी से लेकर अदा नहीं कर सकता सरकार उस रुपये को अदा करे और उस इन्सान से बाई वे आफ इंस्टालमेंट्स उस कर्जे की

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

अदायगी करा सकती है। इस तरह की तजवीज से अगर मुकदमों को कम करने की बात हो तो हमारी समझ में आये लेकिन लोगों के साथ न्याय न हुआ, अत्याचार हुआ और रुपया पैसा न होने से उसकी फरियाद कानून की अदालत में न हो वह दिन हमारे लिये बड़ी मुसीबत का समय होगा, जब हम उस बात को सोचते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है। इसलिये मैं फिर अपने मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम टैक्स के विरोध में नहीं हैं लेकिन हम सदन के सदस्यों को सेटिसफेक्शन होना चाहिये कि हमारा जितना रुपया खर्च हो रहा है वह ठीक खर्च हो रहा है। आप कहिये कि हमको अधिक पैसे की जरूरत है, लीजिये, लेकिन जायज तरीके से लीजिये, उसके लिये इंसीडेंस आफ टैक्सेशन एक्जामिन किया जाना चाहिये। टैक्स का इंसीडेंस किसके ऊपर पड़ता है। उसकी कैपेसिटी टु पे है या नहीं और जिसकी कैपेसिटी टु पे है उसके ऊपर इंसीडेंस क्या है। जिनकी कैपेसिटी टु पे नहीं है उसके ऊपर टैक्स का बढ़ाना उचित नहीं है।

हम सरकार के हमदर्द हैं। भले ही लोग समझ लें कि अगर हम गलतियां बताते हैं, या खामियां बताते हैं तो हम मुल्क की मुखालिफत करते हैं या मुल्क के दुश्मन हैं, जो यह समझते हैं वे गलती पर हैं। जो सरकार की आंखों में पट्टी बांध कर गलतियों को नहीं बताते मैं उनकी सेवाओं को सेवा नहीं गिनता। जो इस तरह से सरकार की आंखों में पट्टी बांध कर उसको ले चलना चाहते हैं आगे गड्ढा मौजूद है फिर भी सरकार को उस तरफ ले जाना चाहते हैं वह सरकार के साथ दुश्मनी करते हैं और मुल्क के साथ भी गद्दारी करते हैं और उनके इस कारनामे से मुल्क और गर्त में धंस सकता है। यदि उनको नाज है कि हम सरकार के समर्थन में है और रावत सरकार का विरोधी है तो रावत को हजार गुना नाज है कि उसने मुल्क के साथ नाइंसाफी नहीं की है, उसने मिनिस्टर साहब के साथ बेइंसाफी नहीं की है और उसने अमीर और गरीब के साथ बेईमानी की बात कभी नहीं कही है, उसने बेईमानी का समर्थन नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस बिल को ठीक तरह से पास होना चाहिये। आप पास करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत होगी तो आप करावेंगे ही, लेकिन देखभाल कर के ही मुल्क का काम होना चाहिये। वरना एक बात और हो सकती है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये। मुल्क की परिस्थिति जैसी बिगड़ती हुई हमको नजर आती है उस से हम को बहुत दुख होता है। मुल्क के लिये हमें बहुत बड़ा खतरा नजर आता है।

"परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे।

भगवान् टैक्स का रूप लेकर उपस्थित होगा इस मुल्क में। टैक्स का रूप लेकर भगवान भारत वर्ष की भूमि में अवतरित होगा और टैक्स के रूप में "परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्" होने जा रहा है। आज जो लोग सरकार को खुश करना चाहते हैं उन सब के लिये एक ही बात है कि "Blind allegiance, blind faith and blind following is a danger to the country." जो आदमी आंख मूंद कर हर किसी का सपोर्ट करता है और जो अंधे की तरह चलता है न तो उससे मुल्क की समस्यायें हल होती हैं और न उससे सरकार के कदम ही दृढ़ होते हैं। इसलिये मैं सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि यह कमियां हैं। मुमकिन है कि मेरी अदना सी बुद्धि में प्रकाश की वह रश्मियां न पड़ी हो और मैं कैनन्स आफ टैक्सेशन, प्रिंसिपिल्स आफ टैक्सेशन और इंसीडेन्स आफ टैक्सेशन को गलत समझ रहा हूं जिस पर यह बिल लाया गया है तो मैं उसे समझने के लिये ईमानदारी के साथ और पेशेंस के साथ जवाब सुनने के लिये तैयार हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके पूर्व कि कुछ कहूं, बावजूद इसके कि मेरे मित्र माननीय सदस्य बरेली को विरोधी दलों की कुछ नीतियां जो कि कर सम्बन्धी हैं वह उनकी समझ में नहीं आती हैं और उस पर उनको थोड़ी सी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपत्ति भी है, लेकिन मैं आप के द्वारा श्रीमन्, उनको आश्वासन दिलाऊंगा कि जहांतक मेरी वजादारी का सवाल है मैं यह हर्गिज नहीं कह सकता कि मुझे उनसे शिकायत है, बल्कि मैं तो उन्हें बधाई दूंगा और यह कहूंगा कि उन्होंने मेरा भार बहुत कुछ हल्का कर दिया है, चूंकि काफी उन्होंने कह दिया है इसलिये अब मुझे फिर से उसे दोहराने की जरूरत नहीं है और इस तरह से सदन का बहुत सा समय बच जायगा ।

मान्यवर, उनकी वजादारी चाहे कुछ भी हो, वह हमसे नाखुश भले ही हो जायं, लेकिन हम उन से नाखुश नहीं हो सकते । इसके अलावा मैं माननीय रावत जी को भी बधाई देता हूं और एक पुराने सदस्य की हैसियत से मैं बताऊंगा कि इस सदन में ऐसे बहुत कम मौके आये हैं जब कि माननीय सदस्यगण अपनी इच्छाओं को इतनी स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सके हों, यह सदन के लिये बहुत ही सुन्दर वस्तु है । हो सकता कि है बहुत से विषय ऐसे हों कि जिनमें दल का प्रभाव कुछ माने रखे, लेकिन जहां तक इस बिल का प्रश्न है मैं आपके द्वारा यह श्रीमन्, बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय तो एडवोकेट ही नहीं, वकील ही नहीं बल्कि वह तो बार-एट-ला हैं और वह इस मुल्क के ही नहीं, वरन् दूसरे देशों के कानूनों से भी परिचित हैं। अगर वह खाली वकील ही होते और जनता के फंडामेंटल राइट्स पर इतना कुठाराघात करते तो बात कुछ समझ में आ सकती थी, लेकिन बार-एट-ला होने के बाद और इंगलिश ला से परिचित होने के बाद भी ऐसा कानून वह लाते हैं तो दुख होता है । जब वह अवध चीफ कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो मुझे यह गौरव प्राप्त था कि आपकी काब्लियत का मुकदमों में हम लाभ उठा सकते थे, लेकिन आज जब कि वह वित्त मंत्री जी की हैसियत से इस बिल को यहां पारित कराना चाहते हैं यह एक लज्जा का विषय है और घृणित है और यह इस सदन के लिये सदैव के लिये एक उपहास की वस्तु बन कर रह जायगी ।

देखना यह है कि माननीय मंत्री महोदय किस हद तक एक अनुचित कार्य करा सकते हैं । मैंने यह भी सुना था और यही कांग्रेस पार्टी रामराज्य की दुहाई दिया करती थी , लेकिन उस समय भी हिन्दू माइथालाजी को देखते हुये मानरकी होते हुये भी न्याय पैसे, कौड़ी का सवाल नहीं था । आज जब कि उस तरफ से वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, जब कि सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी की बात की जाती है और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी हो तो यह कहां तक संगत है ? मैं आपको बताऊं कि वेलफेयर स्टेट के सिद्धांत को सामने रखकर, रामराज्य के आदर्श को लेकर ही हमारे भारतीयों के लिये एक पुनीत और पवित्र विधान बना था जो भारतीय संविधान के नाम से मशहूर है और उसके पार्ट ३ में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिये गये हैं । अगर कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया से चैप्टर ३ जिसमें फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किये गये हैं निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि फिर कांस्टीट्यूशन निस्सार हो जायगा । सम्भवतः बहुतों को यह कटु प्रतीत हो या वे यह समझें कि मेरा यह कथन सर्वथा अनुचित है, परन्तु मैं दावे के साथ, साधिकार और नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हमारी जुडिशियरी पर इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से कुठाराघात हो रहा है । यदि कोई माननीय सदस्य कहते थे तो मैं उनको आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि आज भारत और पाकिस्तान में जो अन्तर है वह आपकी सरकार की बदौलत नहीं है, बल्कि इस जुडिशियरी की बदौलत है । मेरा मतलब नौकरशाही से नहीं है । इस समय तो पालिसी आफ दि गवर्नमेन्ट से मतलब है । यदि सरकार यह चाहती है कि एसा विधेयक न आये तो कोई नौकरशाही मंत्री महोदय को मजबूर नहीं कर सकती और अगर कोई मंत्री महोदय नौकरशाही के इतने वशीभूत हों तो वह स्थान उनको शोभा नहीं देता । इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है "इस राज्य में न्यायालय-शुल्क (कोर्ट फीस) की दरें अन्तिम बार १९४३ में पुनरीक्षित की गई थीं । १९५२ के संशोधन अधिनियम का मुख्य प्रयोजन दरों का, जो पूरे-पूरे रुपयों में नहीं दी गई थीं, सुगमांकों में परिवर्तित करना था ताकि छपाई तथा गणना में सुविधा हो जाये . . . . ।" जब कि केवल फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिये बढ़ोत्तरी की गयी थी, सौभाग्यवश मैं उस समय भी इस सदन का सदस्य था ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आज यह कहा जाता है कि १३ वर्ष उपरान्त हाई कोर्ट के एक्सटेन्शन में बहुत से और जिलों में जहां कि डिस्ट्रिक्ट जजेज नहीं थे उनके कोर्ट्स को स्थापित करने में तथा अनेकानेक कार्यों को देखते हुये मंत्री महोदय को यह जरूरत आ पड़ी कि कोर्ट फीस में वृद्धि करें। मेरा दुर्भाग्य है कि जिस दिन मंत्री महोदय इस पर भाषण दे रहे थे उस दिन मैं नहीं था। परन्तु जो कुछ मैंने सुना है उससे यह कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि खर्चा इतना बढ़ गया है जिसके लिये यह विधेयक लाया जाय और इसको सिद्ध करते हुये हमारे मित्र अग्रवाल जी ने पिछले सालों के आंकड़ों का हवाला देते हुये बतलाया कि कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। मेरे एक माननीय मित्र जो अपोजीशन के हैं, श्री सुरथबहादुर शाह, उन्होंने टैक्स और फीस में जो अन्तर है उसको बहुत खूबी के साथ जस्टिस छागला के जजमेंट के आधार पर डिस्टिंगुइश किया और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि टैक्स और फीस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बावजूद बहुत से सदस्यों ने यह भी बताया कि यह कोई कारण नहीं हो सकता है जिसके आधार पर यह विधेयक लाया गया है। यदि यह बात नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि मैं यहां, प्रेटीज का नाम तो नहीं लूंगा जिससे मंत्री जी को गुस्सा आ सकता हो, लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि वह इसका प्रयोग न करें। वह इसको वापस ले सकते हैं। वह लखनऊ के पुराने रहने वाले हैं और उनकी वजादारी गवारा नहीं कर सकती कि इतनी छोटी सी बात पर वह नाखुश हों। यह महान् दुख की बात है और वह ब्रूट मैजारिटी के आधार पर, बहुमत के आधार पर निरंकुश विधेयकों को पारित करते जाते हैं तो यह भी एक दृश्य है कि मंत्री जी के मुखारबिन्दु पर लालिमा छा जाती है, लेकिन यह मंत्री जी तो वजादार आदमी हैं। मैं महान् दुख इसलिये प्रकट कर रहा हूं कि यह मंत्री महोदय तो बैरिस्टर हैं और अधिकारों के लिये क्राउन में और पार्लियामेंट में सदैव संग्राम होता चला आया है। इस की एक हिस्ट्री है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये और अपने अधिकारों की वृद्धि के लिये हमेशा संग्राम रहा है और बहुत से मौकों पर जब उन पर कुठाराघात हुआ है तो जमकर मोर्चा लिया है और उनको सुरक्षित रखा है।

श्रीमन्, संविधान की धारा २२६ में ५ प्रकार की रिटों का प्राविजन किया गया है (१) रिट आफ मैंडामस (२) रिट आफ प्रोहीबीशन (३) रिट आफ को वारंटो (४) रिट आफ सर्शियोरारी (certiorari) हैबीयस कारपस रिट का नाम इसलिये नहीं ले रहा हूं कि वह चीज इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। क्या रिट आफ मैंडमस का कोई महत्व नहीं है? जिस रिट को लेकर ३ रु० १२ आ० में हाईकोर्ट जा सकते थे अब १०० रुपये किये जा रहे हैं। पहले ३ रुपये १२ आना के अलावा छपाई वगैरह में ५० रुपये खर्च हो जाते थे और वकील साहब की फीस अलग। इलाहाबाद में कोई रिट के लिये जाता है तो यह कायदा है कि जब तक प्राइमाफेसी न देख लें तब तक वह मंजूर नहीं हो सकती। मालूम होता है कि रिट के लिये लोगों ने मुकदमा समझ लिया है। यह मुकदमा नहीं है, बल्कि एक ऐक्स्ट्रा रेमेडी है और इसका सहारा उस समय लिया जाता है जब ऐक्जीक्यूटिव से परेशान होकर जुडीशियरी में भी बहुत सी जगह से रिलीफ नहीं पाते हैं तो जाते हैं। आज भी किसी रिट के लिये जरूरी है कि अगर उसके लिये कोई दूसरा प्राविजन कानून में नहीं होगा तब रिट मंजूर किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने रूल्स को काफी टाइटेन कर रखा है। रूल्स और भी टाइटेन किये जा सकते हैं, जजों की तादाद बढ़ाई जा सकती है।

जहां तक लखनऊ बेंच का सम्बन्ध है उसकी संख्या बहुत कम है। लखनऊ बेंच के पास इतने जजेज होने चाहिये कि उसका काम सुचारू रूप से हो सके। मैं कहता हूं कि टेम्पोरेरी जजेज हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जहां कि जजेज की तादाद काफी है आप के जैसे सूबे में अगर आप परमानेन्ट बेसिस पर जजेज नहीं रख सकते हैं तो टेम्पोरेरी बेसिस पर रखिये। लेकिन यह कहना कि कोर्ट फीस बढ़ा कर रिट्स को रोकना चाहते हैं यह कोई शोभा की बात नहीं है और विशेष कर ऐसे माननीय मंत्री के मुंह से जो बार-ऐट-ला हों, जिन्होंने कि इंगलिश ला को भी पढ़ा है। मैं उन वकीलों को नहीं कह रहा हूं जिनका भाग्य ने साथ दिया, जो कि दावा जरूर करते हैं कि वकालत पास है, लेकिन वकालत के बारे में वह नामोनिशान

नहीं जानते हैं, और वही लोग इन जगहों पर सुशोभित हो जाते हैं। मगर एक बार-ऐट-ला अगर कहता है कि हैबियस कार्पस पर तो इनायत बरतते हैं, लेकिन मैनडमस पर नहीं तो अगर मुझे कोई जज बिना अधिकार फांसी दे दे, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं कह सकूं कि किस अधिकार के अन्तर्गत मुझे फांसी दी जा रही है। आज मैनडमस को रोका जा रहा है दूसरी तरह से। मैं कहता हूं कि इस विधेयक में और जितने प्राविजन्स हैं उनको एक तरफ रखिये और रिट्स का प्राविजन दूसरी तरफ रखिये महज यही काफी है इस बिल को कलंकित करने के लिये और यह लज्जा की बात होगी अगर सदन द्वारा पारित किया गया। एक मामूली हम इस्तकरारिया दावा करते हैं जिसमें सिर्फ अपना हक ऐलान करा लेना चाहते हैं, उसमें भी वृद्धि। क्या जस्टिस बिकेगा, क्या जस्टिस का मोलतोल होगा? क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई इंतजाम किया जा रहा है? हो क्या रहा है? किसी भी गवर्नमेन्ट के लिये सोचना होगा कि जो कदम वह उठावे उस पर सोच ले। जो रुपया बुरी तरह से कमाया जाता है वह फलित नहीं होता चाहे वह समाज हो या व्यक्ति हो या देश हो। यह अन्याय का धन होगा। और जो लोग जुडीशियरी में हैं वह भी इस सरकार से खुश हैं मुझे इसके बारे में भी शुबहा है, क्योंकि यह सरकार मदान्ध है। एक सीमा होती है जब कि आदमी अपने और पराये को भूल जाया करता है। वह हद आ गई है। मैं मंत्री जी के बारे में नहीं कहता। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जहां तक उनकी सरकार है वह मतवाली है और निरंकुश है। उसको इस समय पता नहीं है और वह आदमियों को भी नहीं पहचानती है। मालिक और नौकर का भी उसको ज्ञान नहीं है। उसको तो यह गद्दी चाहिये। दुर्भाग्य है कि हममें से बहुत से इस हाउस के बाहर यह समझते हैं कि इसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते।

जगदीश शरण जी अच्छे वक्ता हैं और कांग्रेस दल के हैं। उनको बहुत तरह का अनुभव भी प्राप्त हो चुका है। उनका यह कहना था कि अगर न्याय भर के लिये इस पये की आवश्यकता हो तो उस सीमा तक उनको कोई आपत्ति नहीं है। साफ कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। बहुत से मौकों पर जस्टिस और वेलफेयर स्टेट की बात कहेंगे, लेकिन आज वह अपना दामन बचाते हुये और हर पहलू को देखते हुये नजाकत में पड़े हुये हैं। अगर कोई दूसरे कोने में बैठा होता तो उसको किसी तरह का चेक नहीं था, लेकिन आज उनके साथ सब तरह की मजबूरी है। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर यह विधेयक वापस ले लिया जाय तो इसमें स्वाभिमान भी है और अच्छाई भी है, नहीं तो श्रीमन्, कहना मेरा अधिकार है और सुनना और न सुनना मंत्री महोदय की कृपा पर निर्भर है। इतना मैं मंत्री महोदय से जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर जिन रेट्स को बढ़ाया जा रहा है उनसे कितनी आमदनी होगी? कम से कम एस्टीमेट तो उनको मालूम ही होगा और कितनी उनको रुपये की जरूरत थी जिससे यह विधेयक आया। मैं चाहता था कि किसी स्टेज पर वह कहते तो हमको मालूम हो जाता मगर मजबूरी तो यह है कि वह खामोश हैं और खामोशी अख्तयार किये हैं। लिहाजा क्या किया जाय? २,४ व्यक्ति विशेष से परामर्श करने के लिये उनकी निगाह कभी उधर जायगी और कभी उस कोने में जायगी, लेकिन इससे मतलब नहीं कि क्या कहना चाहिये और क्या होना चाहिये। उनके लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं काफी कह चुका, और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के ऊपर आप अच्छी तरह से सोच लें कहीं, किसी से वाटरलून हो जाय। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं और आशा है मंत्री जी ध्यान देंगे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ कहने के पहले मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे मेरी बात सुनें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मन्त्री जी, कई लोग इस्तेदुआ कर रहे हैं कि आप सुनने की कृपा करें।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, आज से तीन दिन पहले स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट के अमेन्डमेन्ट पर कुछ सवालात मैंने मन्त्री जी से पूछे थे और उसके जवाब में केवल इतना कह दिया गया था कि यह तो जनरल बजट का वाद-विवाद हो गया। श्रीमन्, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के बारे में आप और मन्त्री जी अवश्य मुझ से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जब सदन में कोई विधेयक आता है तो उसमें सरकार की नीति पर वाद-विवाद ही होता है और पहले किसी खंड या उप खंड का जिक्र नहीं होता। सर्व प्रथम सरकार की पालिसी पर अटैक किया जाता है और विरोधी दल के एक छोटे से सदस्य होने के नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं सवाल करूं और माननीय मन्त्री जी उनका उत्तर दें। अगर वह नहीं दे सकते तो कह दें कि इनका उत्तर वे छानबीन करके देंगे। मैंने प्रश्न किया था कि जो यह टैक्स फीस बढ़ रही है उसका आधार क्या है। कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से प्रदेश में टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठायी जाती, फाइनेन्स स्टैंडिंग कमेटी नहीं कायम की जाती ? और यह नहीं पता लगाया जाता कि हमारे रेवेन्यू के रिसोर्सेज क्या हैं ? उसके लिये एक कमेटी बिठाने में क्या डर है। क्या मान्यवर स्टैंडिंग कमेटी में हम नहीं बैठते। कल इस सदन में एक ऐतिहासिक घटना हुई कि प्रक्रिया नियमावली सर्वसम्मति से पास हुई। क्या हर बात में ऐसा नहीं हो सकता ? लेकिन पता नहीं कौन ऐसे कारण हैं कि जिनसे हम लोगों की राय नहीं ली जाती।

कोर्ट फीस बढ़ाने का मतलब, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यही समझ सका कि अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स को एक्जर्ट करता है तो वह अदालत जायगा और कोर्ट फीस लगायेगा। इसका भार गरीबों पर पड़ेगा। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि अगर सरकार को जरूरत है तो भले ही आप कोर्ट फीस दुगुनी कर लें लेकिन उनके पहले देखिये कि आपने जिस दिन से सत्ता सम्हाली है, उस दिन से हमारे प्रदेश के रहने वालों की पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है या घटी है ? सरकारी आंकड़े इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। देहाती क्षेत्र की सन् १९५५ में एक आदमी की आमदनी १९९ रुपये थी जो १९५७ में घट कर १९४ रुपये रह गयी। जहां तक शहरों का सवाल है, जहां मन्त्री जी खुद रहते हैं, वहां १९५५ में आमदनी ७१२ रुपये ८ आने थी जो १९५८ में घट कर ७०२ रुपये रह गयी। यानी १०·२ रुपये प्रति वर्ष घट गयी। तो क्या मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछ सकता हूं, जो बातों में मशगूल हैं और जिससे जाहिर है कि हमारी बातों की या इस बिल की इम्पार्टेंस उनकी नजरों में नहीं है, लेकिन हमारी नजरों में इसका महत्व है क्योंकि यह गरीबों से वास्ता रखता है, हमारे दिलों में उनके लिये दर्द है। माननीय मन्त्री जी, जिन्होंने शान शौकत से वकालत की है, उनके दिल में उनका दर्द नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के रहने वालों की पर-कैपिटा इन्कम बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के अनुसार कोई भी चेयर की तरफ पीठ नहीं कर सकता। माननीय मन्त्री जी चेयर की तरफ पीठ किये बात कर रहे हैं। क्या यह उचित है ?

श्री अधिष्ठाता--मन्त्री जी, लोग लालायित हैं कि आप वक्ता महोदय की ओर ध्यान दें। उनके भाषण की ओर ध्यान हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री प्रताप सिंह--मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि जिस जमाने में हम चल रहे हैं उसमें हर जिम्मेदार सरकार का फर्ज है कि वह जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिये आमदनी बढ़ायें लेकिन इस कोर्ट फीस के सम्बन्ध में मैं कुछ सरकारी आंकड़े आप के द्वारा माननीय सदन की सेवा में रखना चाहूंगा। आज से तीन दिन पहले यहां से स्टेट ड्यूटी बिल पास किया गया उससे तीन रुपये की हमारी आमदनी बढ़ी। इस बिल से जो आमदनी हो रही है वह तीस लाख होगी। यह माननीय मन्त्री जी ने हमको नहीं बताया लेकिन हमने उसका हिसाब लगाया है। अगर खर्चा ज्यादा होता और आमदनी कम होती तब तो उसके घाटे को पूरा करने के लिये किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता था। लेकिन यहां आमदनी पहले से ही ज्यादा है। सरकार

ने एक रिपोर्ट आफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश, १९५४ प्रकाशित की है। मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रख देना चाहता हूं। इसमें बताया गया है कि सन् १९५४-५५ में स्टाम्प और फीस से सरकार को २६८ लाख की आमदनी हुई। १९५४-५५ में खर्चा हुआ २६२ लाख रुपया और बचत हुई ६ लाख रुपया। पिछले वर्ष आमदनी हुई २,८४,३९,९३३ रुपया और खर्चा हुआ २,७३,१३,५५४ रुपया, और बचत हुई ११,२६,३७९ रुपया। अब इसके अलावा तीन दिन पहले १० लाख रुपया प्राप्त किया गया है और ३० लाख रुपया इस बिल के जरिये से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी ने उसका कारण बताया कि बिल्डिंग बनायी जायेंगी, अदालतें बढ़ रही हैं। माननीय मन्त्री जी न्याय मन्त्री भी रहे हैं उन्हें तो अदालतों के बारे में सारी बातें मालूम ही होंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की और कमिश्नरों की क्या जरूरत है? मैं भावना में नहीं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के तौर पर उनसे पूछना चाहता हूं कि उनसे क्या काम लिया जाता है? चन्द लोगों को खुश करने के अलावा और कोई काम उनका है नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि उनको आमदनी यहीं से करनी है कहीं बाहर अमेरीका या इंगलैंड से भीख मांगने नहीं जाना है। वह भी हम सरकार को बतला सकते हैं कि वह कहां से आमदनी कर सकते हैं।

जब माननीय मन्त्री न्याय मन्त्री थे तो हम आशा करते थे कि आपके समय में बदलाव होंगे और जब मन्त्री जी के हाथ में वित्त विभाग आया तो हमें आशा थी कि बजाय कोर्ट फीस अमेन्डमेन्ट बिल के आप लीगल एड ऐण्ड एडवाइस बिल लायेंगे, जो गरीबों की मदद करेगा। लेकिन आप इस बिल को ले आये। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फटी धोती पहन कर कोर्ट में आता है वह इस अधिक रुपये को कहां से लायेगा। मैं यह बात जजबात से नहीं कह रहा हूं। मैं बार-एट-ला भी नहीं, अदालत में एक छोटा-सा वकील रहा हूं। मैं देहात से आता हूं और गरीब लोगों में रहता हूं। मैंने अपने बहुत से वकील भाइयों को देखा है जो गरीबों से बातें करना भी पसंद नहीं करते। हो सकता है कभी मैं भी वैसा करता होऊं। लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी ने कभी विचारा है कि गरीबों की हालत क्या हो रही है? माननीय मन्त्री जी तो बार-एट-ला रहे हैं। उन्हें दूसरे मल्कों की मिसालें मालूम हैं। क्या वहां यह चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव ला से गवर्न होती हैं या कामन ला से? जब सरकार दूसरे मुल्कों की नकल करती है तो आप यह भी बतायें कि वहां अदालतें कामन ला से गवर्न होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ला से? बाहर तो अमीरों के लिये अलाहिदा अदालतें हैं लेकिन यहां तो ऐसी बात नहीं है। यहां की अदालतें तो कामन ला से गवर्न होती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार कोर्ट फीस बढ़ा देगी तो फिर ये अदालतें जनसाधारण के लिये कहां रहेंगी? जब कि आज भी हालत यह है कि पूंजीपति अदालत में जाता नहीं है। कभी उसको आवश्यकता नहीं होती कि वह मैजिस्ट्रेट के सामने जाय। वह तो कार में बैठ कर गया। मैजिस्ट्रेट को बता दिया और उसने कह दिया आल राइट ठीक है यह हकीकत है। मैं आपके सामने अमेरिका की मिसाल रखना चाहता हूं। वहां की सरकार ने पर-कैपिटा इन्कम को बढ़ाने की कोशिश की है घटाने की नहीं। कल माननीय मन्त्री जी ने बड़ी शराफत के साथ अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में यह कहा कि और जगहों से हमारे यहां कोर्ट फीस कम है इसलिये उसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन और जगहों पर अच्छी चीजें भी हैं। एक उदाहरण मैं अमेरिका के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। वहां गरीब और अमीर में कागज पर ही फर्क नहीं है, हकीकत में भी फर्क नहीं है, उसका उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं :—

"Equal protection to all is the cornerstone of our system of living; and equality under the law, i.e. one and the same law for the rich and the poor alike; these are recognized to be the fundamental principles underlying the policy of the administration of justice."

मान्यवर, वहां जो बिल पास हो गया वह केवल पास ही नहीं होता है, हकीकत में आता है। यह तो अमेरिका की बात रही। अब मैं अपने देश क कांस्टिट्यूशन पर आता हूं। मुझ से ज्यादा मन्त्री जी कांस्टिट्यूशन की बात समझते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि मन्त्री जी कुछ नहीं जानते। मन्त्री जी मुझ से ज्यादा जानते हैं लेकिन दुख यह है कि आपका

[श्री प्रताप सिंह]

अनुभव व बुद्धि जनता की मांगों से समन्वय नहीं कर पाती । हमने अपने विधान में कसम खाई है । संविधान का प्रिएम्बिल इस प्रकार है :

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens :

Justice, social, economic and political ;"

माननीय मन्त्री जी देखेंगे कि जिन लोगों ने विधान बनाया है काफी जिम्मेदार व समझदार लोगों ने वह विधान बनाया है । उन जिम्मेदार लोगों ने तथा हिन्दुस्तान की जनता ने कसम खाई है कि हम हिन्दुस्तान के हर नागरिक को सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देंगे । आज सामाजिक न्याय का प्रश्न है । इसे जो छोटा-सा मासूम बिल कहा जाता है जिससे ९५ फीसदी गरीब लोगों पर असर पड़ता है उन पर यह कोर्ट फीस इसके जरिये बढ़ाना अन्याय है । कल यहां बहुत से माननीय मित्रों ने यह कहा कि यह टैक्स नहीं है, कोर्ट फीस है । इसलिये मैं इसको कोर्ट फीस ही कह रहा हूं। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वे बहुत ही आगे गये । उन्होंने १७८० में खास तौर से एक ऐक्ट बनाया । उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में रहते हैं वहां न्याय के लिये कोई आदमी पैसा देता है वह समझता है कि यह हमारे लिये लज्जा की बात है । मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं :

"Every subject of the Commonwealth ought to find a certain remedy by having recourse to the laws, for all injuries or wrongs which he may receive in his person, property, or character. He ought to obtain right and justice freely, and without being obliged to purchase it; completely and without any denial; promptly, and without delay; conformably to the laws."

इसमें यह कहा गया है कि स्टेट का कर्तव्य है कि हर नागरिक बिना पैसे दिये न्याय पाये और कोई खर्चा न हो । हमारे यहां न्याय बिना पैसे के करना तो अलग रहा हमारे गरीब लोग अदालत में जाते थे, जैसे-तैसे काम चलाते थे, लेकिन जैसे ही मन्त्री जी ने वित्त विभाग सम्भाला कुछ दोस्तों के कहने से उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया। क्या किया जाय ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है । रहना चाहते हैं तो मानना होगा और नहीं रहना है तो न मानें । उनके सलाहकारों का जितना दोष है उतना उनका नहीं है । और यही नहीं दूसरी चीज मान्यवर, हम एक प्रजातन्त्र देश में रह रहे हैं और आज इस माननीय सदन में जब हम एक ऐसा संशोधन विधेयक ला रहे हैं जो गरीबों से ताल्लुक रखता हो और आज जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, वह डेमोक्रेसी नहीं है । मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में भी कभी हमारे ऐसा हो । लेकिन जब गरीब आदमी फ्रस्ट्रेट होगा और उसके फ्रस्ट्रेशन को हम दूर न कर सकें तो क्या होगा । डेमोक्रेसी का प्रश्न लाइफ और डेथ का प्रश्न है । मैं अपने इस कथन की पुष्टि में रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन लीगल एड ऐण्ड लीगल ऐडवाइस में से कुछ पढ़ना चाहता हूं :

"It is a matter of life and death for a democracy because a democracy cannot survive if it cannot find a way to make its administration of justice competent. (Justice Herlan F, Stone.)"

मान्यवर, यह जो किताबें मैं कोट कर रहा हूं इससे मुझे खुशी नहीं होती । लेकिन मजबूरन करना पड़ता है । जिस दिन मेरे भी बाल पक जायेंगे मंत्री जी की तरह उस दिन मेरे शब्दों की भी कद्र होगी । इसलिये मान्यवर, चीफ जस्टिस कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिये लाइफ और डेथ का सवाल है अगर वहां पर जस्टिस ठीक तरह से नहीं दिया जायगा । अब जब अदालत में कोर्ट फीस देने को ही उस गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो उसको कैसे जस्टिस मिलेगा ?

इसके अलावा एक और दूसरे जस्टिस महोदय ने कहा है :

"It is idle to speak of the blessings of liberty unless the poor enjoy the equal protection of the laws." (Chief Justice Hughes.)

आप कहते हैं स्वतंत्र हैं। हम मानते हैं। लेकिन वह गरीब स्वतन्त्र नहीं है जिसको कोर्ट में जाना पड़ता है मगर उसके पास पैसा नहीं है और घर लौट आयेगा। वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करा पायेगा अदालत से भी। कल एक सदस्य महोदय ने अमेरिका में स्थित हमारे राजदूत का हवाला दिया। मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय के दोस्त की लाइन पढ़ दूं। उन पर अगर मन्त्री जी गौर करेंगे तो मुझे उम्मीद है जो मैं कह रहा हूं उस पर यकीन होगा। वह हैं हमारे बहुत ही अनुभवी दोस्त श्री बी० जी० खेर जो अमेरिका में भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने १९५० में लीगल एड कांफ्रेंस, जो बम्बई में हुई थी, उसमें कहा है। और वह ट्रेजरी बेंचेज से सम्बन्ध रखते थे हमसे नहीं :

"It is at times objected that if a poor man is given free legal aid, there would be an increase of litigation. The experience of all properly organized and conducted legal aid societies in America shows that acquainting the poor with their legal rights tends in fact to decrease litigation and frequently leads to the speedy settlement out of court. In all such matters, legal advice outside courts is of much greater importance than legal aid in the conduct of cases. With my personal knowledge acquired over a large number of years of the working of the Bombay Legal Aid Society as also my experience of the legal profession in this Province, acquired during 25 years of practice, I can safely say that this conclusion reached by the American Legal Aid Societies is quite sound and correct."

वह कहते हैं कि आपने एक गरीब आदमी के लिये वकील खड़ा कर दिया वह उतना जरूरी नहीं है बनिस्बत उसके कि आप उसको बाहर एडवाइस दे सकें कि वह किस तरह से काम करे। इन शब्दों के साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिकन लीगल एड सोसाइटी का सिद्धान्त ठीक है। इसलिये मन्त्री जी उसको तस्लीम करेंगे। कल आपने मद्रास का हवाला दिया था मैं बम्बई की रिपोर्ट की अन्तिम दो लाइनें रख रहा हूं :

"We have, therefore, come to the conclusion that the State should accept the obligation and take upon itself the burden of providing legal aid to poor persons, to persons of limited means and persons belonging to the backward classes."

तो मान्यवर यह समझ में नहीं आता कि आखिर हम यहां क्यों बैठते हैं, कितना बड़ा भारी असर एक्सचेकर पर पड़ता है। हम तो यह सोच रहे हैं कि शायद एक प्रस्ताव रखने की जरूरत पड़े कि एक साल के लिये माननीय सदन को छुट्टी दे दीजिये लाखों पया बच जायगा। अभी एक महीने के लिये हम लोग नहीं बैठे तो हमने ३ लाख ९० हजार रुपया बचाया इसी तरह से हम एक साल न बैठें तो शायद आपका खर्चा पूरा हो जायगा। लेकिन आप तो मेजारिटी रूल के दम्भ में भूले हैं। परन्तु अब समय आ गया है जब हम 'डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाई डिस्कशन' मानना होगा। डिस्कशन करके हम जिस बात पर पहुंचते हैं वह सही बात है उसको मानना चाहिये। यह नहीं कि हम १४४ और आप २००, इसलिये १४४ की बात को नहीं मानें। मैं जो कह रहा हूं उससे आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हो सकते हैं और मैं आपसे नाराज हो सकता हूं, लेकिन मुल्क के फायदे के लिये जो बात है उसको हमको और आपको दोनों को मानना चाहिये।

मैं आप से सच कहता हूं कि एक नौजवान होने के नाते हमें इस सदन में आने में हौसला प्राप्त नहीं होता। हौसला और भी कम होता है जब हम सही बात कहते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन सही बात भी मानने के लिये लोग तैयार नहीं होते। मां के पेट से न मन्त्री जी सीखकर आये हैं और न हम। मन्त्री जी ने अपने तजुर्बे से सीखा है और हम भी सीखने का प्रयत्न करते हैं और सही बात को रखते हैं। मैं जितनी बात यहां पर रख रहा हूं पूरे तर्कों के साथ रख रहा हूं कि हम और आप बैठें इसको पारित न करें और जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में डिफेक्ट्स हैं उन पर विचार करें।

[श्री प्रताप सिंह]

तीन चीजें आज ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में डिफेक्टिव हैं । पहली बात तो अदालत में देर होती है । माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि हम उससे इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं रखते । दूसरी चीज पहले कह दूं वह यह है कि जो बड़े-बड़े वकील होते हैं उनकी बड़ी-बड़ी फीस होती हैं और उसको गरीब लोग नहीं दे सकते हैं और तीसरी चीज अब जो सबसे महत्व की है वह हेवी कास्ट्स आफ दि कोर्ट्स ऐण्ड कोर्ट फीस :

"The defects in the administration of law which result in the denial of justice fall into three distinct divisions:

(1) the delays of justice in court;

(2) the heavy court costs and fees, and

(3) the heavy fees which have got to be paid to the trained lawyers whose assistance connot be derived except against payment."

तो यह तीन चीजें हैं और इस में सबसे जरूरी चीज दूसरी है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि इस पर विचार करें ।

हमको अमेरिका जाने का तो मौका नहीं मिला, हिन्दुस्तान से बाहर नहीं गया क्योंकि अभी तो हिन्दुस्तान में ही घूमना बाकी है । अमेरिका में जैसा मैंने कहा लीगल एड एण्ड ऐडवाइस लेजिस्लेशन वित्त मन्त्री और न्याय मन्त्री लाते हैं और उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहता हूं । आज मेरी मांग यह है कि इस बिल को भेजिये प्रवर समिति में वहां हम और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे, वी आर आलवेज ओपेन टु करेक्शन, हम ट्रेजरी बेंचेज की तरह यह दावा नहीं करते कि हम तो हुकूमत करते हैं । हम पर तो जनता का हुकुम चलता है । आइये बैठिये प्रवर समिति में बतलाइये कि फाइव ईयर प्लान में उनको चलाने के लिये, या कोर्ट्स की इमारतों को बनाने के लिये इतने रुपये की जरूरत है बताइये । समझाइये । लेकिन आप समझते तो नहीं हैं । एक बार मैंने इसी सदन में कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि स्वप्न में भी अगर माननीय मन्त्री को एक खयाल आ जाय तो फिर दूसरे दिन सवेरे अमेन्डमेन्ट ले आते हैं क्योंकि यहां ब्रूट मेजारिटी है । जो चाहे कर सकते हैं, करिये । लेकिन मैं आपसे इस्तदुआ करूंगा कि कर्तव्य के लिये आपको तैयार रहना चाहिये और प्रेस्टिज के प्रश्न को अलग कर देना चाहिये । अगर आप नहीं मानते हैं तो जहां आप हैं वहां आप नहीं रहेंगे और जहां हम हैं वहां हम नहीं रहेंगे । कोई दूसरा यहां पर रहेगा और इस चीज को हम नहीं रोक पायेंगे । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । लीगल एड एण्ड ऐडवाइजरी सोसाइटीज के लिये कहता हूं कि इस प्रकार की सोसाइटीज उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाइये, यह मेरी मांग है और इस सम्बन्ध में इस कमेटी की रिपोर्ट भी है । उसको पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा :

"We may point out that in England following upon the Rushcliffe Committee Report, a Bill named the Legal Aid and Advisory Bill was introduced into the Parliament and was passed on the 30th July, 1949. It is unto the Legal Aid and Advice Act, 1949, we would urge upon the Government the necessity of enacting some measure here to implement the recommendations made by us in our report."

आखिर में मान्यवर,मेरी यह दरख्वास्त है कि हर जिले में ला एडवाइजरी कमेटीज होनी चाहिये जो गरीबों को न्याय दिलाने में सलाह दें और मदद करें । इस तरह का एक बिल ट्रेजरी बचेज की तरफ से आना चाहिये वर्ना अगर वह नहीं लाते हैं तो हमें उसे प्राइवेट मेम्बर्स बिल की तरह सदन के समक्ष लाना पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या जरूरत है कि कोर्टफीस बढ़ाई जाय ? आप देखें कि यहां पर जो एक लाख रुपये की लागत से रेस्ट्रां बन रहा है वह किसके लिये बन रहा है, उसमें कौन से गरीब आयेंगे चाय पीने के लिये, उस में लेजिस्लेचर के सदस्य

बैठेंगे, मिनिस्टर्स बैठेंगे और कहा जाता है कि उससे लेजिस्लेचर का स्टैन्डर्ड बढ़ेगा। आज हालत क्या है ? हम लोग जो करीब ५०० रुपया माहवार की हैसियत रखते हैं वह तक साल में मुश्किल से एक कोट पैंट बना सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं जिन की आय बहुत ही कम है वह आज किस तरह से गुजर करते हैं उस का जरा अन्दाजा आप करें। जब कभी उन को अदालत में जाना पड़ेगा तो उनके पास फीस कहां से आयेगी ? कहां से रुपया आयेगा ? इसको आप जरा गम्भीरता से सोचें। आप इससे इन्कार चाहे आज करें लेकिन जनता के मौलिक अधिकारों से खेलना अच्छा नहीं होता। आपकी आज्ञा से मेगनाकार्टा की दो चार लाइन में उसके पृष्ठ ४० से पढ़ना चाहता हूं। जहां लिखा है कि "To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice" इसलिये मैं आप से फिर अपील करता हूं कि आप हमारी बात को मानें और अगर आप हमारी बात को न भी मानें तो जस्टिस स्टोन की बात को मानें। उनकी भी न मानें तो आप अपनी पार्टी के ही महान व्यक्ति श्री बी० जी० खेर की बात को तो मानें कि जिन्होंने लीगल एडवाइजरी कौंसिल का उद्घाटन करते हुये कहा था कि देश में सस्ते न्याय की जरूरत है। यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, इधर तो १४४ आदमी हैं और वह सब चाहते हैं कि सरकार इस को वापस ले या समिति के सुपुर्द करे। हमें उन कुर्सियों पर बैठने का कोई शौक नहीं है लेकिन हमें इतना शौक अवश्य है कि अगर जनता के अधिकारों पर कोई सरकार कुठाराघात करे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठावें। इन शब्दों के साथ मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जो यह उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है उस के बारे में कुछ शब्द मैं भी निवेदनकरना चाहता हूं। मान्यवर, यह अधिवेशन जब से आरम्भ हुआ हमने देखा सम्भवतः यह तीसरा संशोधन विधेयक है जिसके द्वारा कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यह यू०पी० कोर्ट फीस संशोधन विधेयक जो आया है वह भी गरीबों के ऊपर एक अधिक भार डालने के लिये आया है। मैंने इसको पढ़ा और इसके औचित्य पर सोचने की कोशिश की लेकिन इसमें, अगर कहीं भी देखा जाय कि इससे सूबे की जनता को कहीं भी लाभ पहुंचता है तो आप इसी नतीजे पर आयेंगे कि इस से गरीब जनता का अहित ही हुआ है। किसी कल्याणकारी राज्य की परिभाषा यही होती है कि उस राज्य में जीवन की उपयोगी वस्तुओं के साथ-साथ न्याय भी सस्ता मिले। इस प्रदेश में तो हमारी शिकायत यह रही है कि स्वराज्य के बाद भी हमें न्याय बहुत मंहगा मिल रहा है और इस कोर्ट फीस संशोधन विधेयक ने तो हमारी आशाओं पर ही पानी फेर दिया और इस से तो वह न्याय और भी महंगा हुआ जा रहा है। हमारा कहना है कि उसे सस्ता किया जाय इस टापिक पर विचार विनिमय हो। इससे तो गरीबों पर और भार बढ़ जायगा। बड़े लोग तो अपनी बचत हर तरीके से कर लेते हैं लेकिन कमजोर आदमी को शौकिया नहीं बल्कि मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और उसे बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत सी नजीरों को कोट किया है। मैं तो सीधी-साधी बात, जो अपने क्षेत्र में जाता हूं और देखता हूं कि गरीब आदमी बहुत परेशान है उसी को निवेदन कर देना चाहता हूं। एक गरीब देहात का रहने वाला किसान है। खेत पर उसका कब्जा है। पड़ताल होती है, कागज बनाया जाता है और कलम की एक नोक से एक गलती हो जाती है। अब गरीब आदमी को अदालत में चारा-जोई करने के लिये जाना पड़ता है। उसको वहां कोर्ट फीस देनी पड़ती है। मैं अपने क्षेत्रमें घूमा। एक आदमी है छट्ठू और दूसरा है टनकू। दोनों सगे भाई हैं। कलम की एक नोक से लिख दिया गया कि छट्ठू वल्द टनकू। अब वह गरीब जब उस कागज को देखने जायगा तब उसको ठीक करने में तरमीम करानी पड़ेगी। तरमीम कैसे होगी ? कोर्ट फीस लगेगी। तब सही होगा कि टनकू वल्द छट्टूनहीं बल्कि टनकू व छट्टू है। तो कलम की एक गलती की वजह से बेचारे गरीब को भुगताना पड़ता है और उस गलती का परिमार्जन कोर्ट में जा कर और पैसा खर्च करके होता है।

[श्री मुक्तिनाथ राय]

मैं देखता हूं कि रोजाना टैक्स बढ़ाने के लिये बहुत बिल आते हैं लेकिन यह मैं नहीं देखता हूं कि मुकदमेबाजी कैसे कम हो। यह तारीखें जो बहुत ज्यादा पड़ती हैं वे कैसे कम हों इसके बारे में कोई संशोधन या बिल आया हो तो ठीक। यहां पर बहुत से सदस्यों ने कहा कि हाई कोर्ट में बहुत से मामले काफी दिनों से पड़े हैं। रेवेन्यू कोर्ट का हमको अपना तजुर्बा है कि एक-एक मुकदमे में २५-२५, ३०-३० तारीखें पड़ती हैं। तो अगर इन सब चीजों के लिये कोई संशोधन आता तो मैं समझता हूं कि गरीबों का हित होगा। अभी तक देहात के रहने वाले गरीब से गरीब, एक बीघे के काश्तकार का भी सम्बन्ध दीवानी और रवेन्यू कचहरियों से होता है। अभी तक हमने सुना था कि रेवेन्यू कोर्ट्स सीरदारी का निर्णय करती थी और भूमिधरी का सिविल कोर्ट्स में होता था, लेकिन अब भूमिधरी का निर्णय भी रेवेन्यू कोर्ट्स में जाने वाला है। जब सिविल और रेवेन्यू कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन एक है, तो यह मानकर सरकार को चाहिये था कि बतौर एक्सपेरीमेंट के साल दो साल की छूट दे देती कि दीवानी या रेवेन्यू जिसमें जिसका जी चाहे उसमें जाय। उसके बाद बहुमत जिस तरफ होता उसको देख कर यदि कुछ निर्णय सरकार करती तो मैं समझता कि जनता की तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

मान्यवर, कोर्ट फीस बढ़ने से हम जो रिट लेकर हाई कोर्ट जाते हैं उसमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। यह संविधान की पवित्र धारा है जिसमें पीड़ित मानव का इंट्रेस्ट छिपा हुआ है और जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता है वह हाई कोर्ट में जाता है। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो पीड़ित होता है, जिसकी स्वतंत्रता का अपहरण होता है वही हाई कोर्ट में इंसाफ के लिये जाता है। इसलिये यदि कोर्ट फीस बढ़ाई गई तो गरीबों पर इसका भार पड़ेगा और सरकार का सुयश बढ़ने के स्थान पर जनता में एक असंतोष और दुर्भावना फलगी।

मान्यवर, यह कहा गया है कि मुकदमे बहुत बढ़ गये हैं इसलिये जजों की संख्या बढ़ रही है और पंचवर्षीय योजना के लिये रुपये की जरूरत है इसलिये हम कोर्ट फीस में वृद्धि कर रहे हैं जैसे कि और माननीय सदस्यों ने कहा है कि रुपया और तरीकों से बचाया जा सकता है। बड़े लोगों से रुपया लेकर गरीबों के लिये बड़े बड़े काम किये जा सकते हैं। जो लोग इतने नीचे गिरे हुये हैं कि उनको और नीचे नहीं गिराया जा सकता है उनको तकलीफ देकर उनसे पैसा वसूल करने के बजाय यह उचित होगा कि बड़े-बड़े लोग जो पैसा दे सकते हैं उनसे पैसा लिया जाय। जब ऐसे रास्ते हमारे सामने हैं तो खामख्वाह प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर और बोझ लादना उसी तरह होगा जैसे एक ऊंट पर इतना बोझा है कि आखरी तिनका उसकी कमर तोड़ देता है वैसे ही जनता की कमर पर इतना बोझ ज्यादा है कि यह टैक्स उसके ऊपर आखरी तिनके का काम देगा। वह समाज जो पिछड़ा हुआ है, दलित है, इस संशोधन को पास करने से सरकार उसमें, जनता में असंतोष का वातावरण पैदा करेगी और गरीबों में हाहाकार मचेगा और सरकार के सुयश के प्रति एक दुर्भावना जनता में फैलेगी।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि मुकदमे जो बहुत दिनों से पड़े हैं उनके सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि इसके लिये एक कमेटी जिले के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर बनाई जाय जो यह देखे कि वाकई में मुकदमे बढ़ गये हैं या काम कम किया जाता है। सरकार को इस दिशा में जागरुक होना चाहिये कि कोई आदमी सुस्ती से तो काम नहीं करता है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता जी, मैं ब्रजनारायण तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बार प्रत्येक मंत्री ने होड़ लगा रखी है कि कौन-सा अधिक कर बढ़ा लें, कौन-सी ड्यूटी लगायें और कौन सी कोर्ट फीस अधिक से अधिक लगा लें। मुझे तो एक कहानी याद आती है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। एक लालची के पास मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा दिया करती थी। एक दिन लालची के जी में आया कि क्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न इसके पेट में चाकू मार दूं और सारे अंडे निकाल लूं ? ऐसा ही उसने किया। उसका पेट चाकू से चाक कर दिया। तो उसके पेट में कुछ नहीं मिला। आज मुझे वही दिखायी पड़ रहा है। रोज नये कर लगाये जा रहे हैं। जनता का आर्थिक ढांचा टूट चुका है। आज हम यह देखते हैं कि गांव-गांव से यह मांग आ रही है कि हमारे यहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। हम को कपड़ा दिया जाय। हमारी लगान वसूली बन्द की जाय। माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि रुपये की दरें घट गयी हैं। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो जनता कहती है कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं, तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं, मकान रहने के लिये नहीं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि पये की कीमत घट गयी है इसलिये हम टैक्स लगा रहे हैं। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ रहा है इसलिये कोर्ट फीस बढ़ायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज क्या आप न्याय देने में समर्थ हैं ? मैं समझता हूं कि वह बिलकुल असमर्थ हैं। 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' का सिद्धांत बिलकुल सच्चा है। बारह-बारह वर्षों तक मुकदमे पड़े रहें तो क्या होगा ? न्याय का गला घुंट जायगा और अगर कोई चाहता है कि उसे न्याय मिले और वह अदालत में जाता है तो एक छोटी-सी दरख्वास्त घुमा दी पांच साल के लिये कम से कम बात टल गयी। दूसरी बार एक फिर लगा देगा तो फिर पांच साल के लिये बात टल जायगी। यहां न्याय की कोई आशा नहीं रह गयी है। जैसा कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे वांचू कमेटी ने कहा कि ये न्यायालय न्याय मंदिर होने चाहिये। उनके सामने नतमस्तक होना चाहिये। आज जनता इन मंदिरों के सामने झुकती नहीं। वह कहती है कि यह ....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी हमेशा श्रीमान् जी की तरफ पीठ करके बात चीत करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी कृपया जरा इधर ध्यान दें।

श्री हिम्मत सिंह---आज की जनता यह सोचती है कि इन मंदिरों के भीतर जितना जो कोई झूठ बोल ले, वही मुकदमा जीत सकेगा। अगर वह सच बोलेगा तो निश्चय ही हार कर आयेगा। इन मंदिरों की तो यह कैफियत है कि इन में जो अंधेर होता है उसको भगवान ही रोक के लिये आ सकते हैं, वर्ना न्याय मंत्री जी के बस का रोग अब नहीं रह गया है। जितने ही वह उपाय करते हैं उतना ही वह रोग बढ़ता है। न्याय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि बम्बई और मदरास के मुकाबिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट फीस कम है। लेकिन हमारे यहां जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में बैठती है, उसमें कम से कम तीन जज बैठते हैं उनकी तनख्वाह सूबों से ज्यादा है, उनकी कोर्ट फीस की क्या दरें हैं ? उनसे मुकाबला करने का मंत्री जी ने कभी कष्ट किया है ? अगर वहां की दरें यहां से कम हैं तो बढ़ाने का कष्ट कर सकते हैं लेकिन उनसे कई गुना अगर अधिक पहले से मौजूद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की दरों के मुकाबिले में उनको घटाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत यहां करें, वर्ना इस बिल से जनता बिल-बिला उठी है। वह सोचती है कि उसको न्याय इस बिल के द्वारा नहीं मिलेगा। जहां अब तक १८ पया १२ आना था वहां अब उसको ६५ पया कोर्ट फीस देना होगा। आज हम देखते हैं कि चकबंदी में धांधली चल रही है। मजिस्ट्रेट सोचता है कि दो दिन के अन्दर मुकदमा तय करना चाहिये। फिर वह कहीं से कहीं पहुंचता है। उसको मुकदमे के लिये हाईकोर्ट में जाना पड़ता है और रिट दाखिल करके कुछ न्याय पाने की वह आशा करता है। जब वह यह देखता है कि चारों तरफ से उसके लिये न्याय के दरवाजे बन्द हो गये हैं तब वह जाकर रिट दाखिल करता है। मान्यवर, एक आदमी १०० रुपया कोर्ट फीस दे और मेरठ से अगर वह चलता है तो उसको २५ रुपया किराये का खर्च करना पड़ता है। वकील और मोहर्रिर के लिये भी कुछ देना होता है। इस तरह से ३५० या ३७५ के लगभग उसका खर्चे का बिल बन जाता है। ऐसी स्थिति में

[श्री हिम्मत सिंह]

माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रिट की दर जो चल रही है वही रहनी चाहिये। हमको यह बताया गया कि कोर्ट फीस बढ़ाने का असर मालदार पर ही पड़ेगा। उसका मुकाबला करने पर यह मालूम पड़ता है कि १ हजार पर १७७ रुपया ५० नया पैसा बनता है। २ हजार पर २९७ रुपया ५० नया पैसा बनता है और इससे और ऊपर चलिये तो ४ हजार पर ५३७ रुपया ५० नया पैसा आकर पड़ता है। इसी तरह से और आगे चलें तो और भी ज्यादा जाकर पड़ती है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी दरें कम दिखाई देंगी और जैसे-जैसे आप नीचे उतरेंगे तो दरों का कुछ अन्तर दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी को काफी पैसा लगाना पड़ेगा इस कोर्ट फीस के हिसाब में। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो यह व्यापार की वृत्ति अपना रही है इसको वह बदले और जैसी देश के अन्दर परिपाटी रही है उसके अनुसार न्याय मुफ्त दिया जाय। न्याय मंत्री यह कह सकते हैं कि पंचायती अदालतों में हमने न्याय मुफ्त कर दिया है, लेकिन वहां पर ५०० के ऊपर पड़ता है। रिट दायर करने में कई गुणा खर्च करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कोर्ट फीस अदालतों में कम की जाय तो देश और प्रदेश का निर्माण अच्छी तरह से हो सकता है। आज हम यह देखते हैं कि कचहरियों के अन्दर भवन निर्माण के नाम पर मांग की जाती है, लेकिन वादी और प्रतिवादी को बैठने के लिये कचहरियों में स्थान नहीं होता। माननीय मन्त्री जी पहले गवाहों के लिये और वादी प्रतिवादियों के बैठने के लिये सुरक्षित स्थान बनायें जिससे वे वहां पर बैठ सकें। गर्मी की दोपहरी में अगर वह बरामदे में बैठते हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि यहां पर शोर हो रहा है और उनको पकड़वा कर मंगवाते हैं और कहीं-कहीं पर इन लोगों पर जुर्माना भी किया गया है। बरसात में भी इन लोगों को बहुत परेशानी रहती है, यह वहां कैफियत है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन सब लोगों के लिये मकान का बनाया जाना जरूरी है।

आज जो यह बिल्डिंग के नाम पर पया मांगा जा रहा है इसका स्टीमेट मन्त्री जी के पास होगा कि इससे कितना रुपया वसूल होगा। मुझे आशा है कि जब मन्त्री जी उत्तर देंगे तो इस बात को बतलायेंगे और जो यह रुपया बढ़ाया जा रहा है तो क्या वह भवन तैयार हो जाने के बाद नहीं लिया जायगा? या और जो अदालत के भवन होंगे उनके लिये खर्च किया जायगा, लकिन हम यह देखते हैं कि हमारे यहां इस तरह की परिपाटी है कि जब एक किसी योजना के लिये रुपया चाहिये और उसके लिये टैक्स लगा तो फिर उस योजना के पूरे होने पर भी वह टैक्स बन्द नहीं होता है। दूसरी योजना के लिये जो टैक्स लगाये गये थे वह भी इस योजना के खत्म होने पर बन्द नहीं होंगे। तीसरी योजना आने पर और टैक्स लगाये जायंगे और तब वह योजना आगे चलेगी। हम यह देखते हैं कि जो टैक्स एक बार लग गया वह हमेशा के लिये लग गया। यही कारण है कि आज जनता अपने जीवन का भार ढोने में भी असमर्थ है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन तथा आये हुये संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरथबहादुर शाह—आपने दस्तखत किधर किये हैं?

श्री रामेश्वर प्रसाद—इससे आपसे मतलब नहीं। मैं आपके द्वारा अपने साथियों के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न आता है कि सरकार की नीति हो गयी है कि वह बराबर टैक्स बढ़ाती चली जाती है, तो मैं साफ कर दूं कि यह बिल किसी टैक्स को बढ़ाने का बिल नहीं है। यह कोर्ट फीस का बिल है और टैक्स और कोर्ट फीस में फर्क है, इसको मेरे मित्र अच्छी प्रकार से समझ लें।

कुछ साथियों ने यह बात उठायी कि इसको लाने का आधार क्या है। आधार साफ और सब के सामने है। अगर प्रश्न करने वाले मित्र ने इसके उद्देश्य और कारण को पढ़ा होता तो उनको इसका आधार जानने में मदद मिलती। मैं समझता हूं कि यह कामनसेंस की बात है और इसमें दिमाग लगाने का सवाल नहीं है। सन् १९४३ में कोर्ट फीस के जो रेट्स तय हुये थे वह आज १५ साल बाद रिवाइज किये जा रहे हैं। इसमें समझने या दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह सामयिक परिवर्तन है। उस समय की कीमतों और रेट्स में और आज कल की कीमतों और रेट्स में काफी फर्क हुआ है। आज कल काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आज इन रेट्स का रिवाइज करना उचित ही बात है। इसको ज्यादा टीका-टिप्पणी का विषय बनाना उचित नहीं मालूम होता। यह दुहाई देना कि इससे गरीब मर जायगा, मैं सुनते-सुनते हैरान हो गया, और हर मामले में गरीब की दुहाई देना मैं समझता हूं उस के केस और भलाई को एक्सप्लायट करना है। कोई भी बात आये, उस में गरीब की दुहाई देकर उसे पीछे ले जाने की चेष्टा करना उचित नहीं है। मेरा दिमाग इस मामले में बिलकुल साफ है। इस बिल से गरीब पर कोई भी बड़ा बर्डेन नहीं पड़ने वाला है। इससे न वह मरेगा और न उसकी कमर टूटेगी। अगर मेरे मित्रों ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट को पढ़ा होता तो उसमें साफ दिया है कि किसी भी स्टेट को जस्टिस का खर्च इसी कोर्टफीस के जरिये से वसूल करना चाहिये। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की फाइन्डिंग है कि न्याय का खर्चा कोर्ट फीस की आमदनी से मीट होना चाहिये। अपने देश के चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी यही राय है। तो यहां यह कैसे कहा जाता है कि गरीब मर जायगा या बड़ा अन्याय हो जायगा या पहाड़ टूट जायगा?

उधर के तमाम साथियों ने इस बात का यहां प्रश्न किया और रोज यह बात दोहराई जाती है कि हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में और विभिन्न कचहरियों में मुकदमे पेंडिंग हैं और जनता परेशान है। फिर वे साथी यह बतलावें कि अगर उनके मुकदमों की जल्दी तय करना है ताकि गरीब वर्षों तक प्रतीक्षा न करे तो उनकी तरफ से इसके लिये कोई कन्क्रीट सुझाव आना चाहिये था। लेकिन चूंकि यह बिल सरकार की तरफ से आया है और वे अपोजीशन में बैठे हैं तो केवल एक विरोधात्मक दृष्टिकोण है कि चाहे अच्छी बात भी हो उसका भी विरोध करना है। उसे भी विरोध के ही दृष्टिकोण से देखना है। प्रताप सिंह जी ने जनतंत्र की दुहाई दी। मैं नहीं समझता कि जब विरोधी दल अपना दृष्किोण एक तरफ किये हो, जनतंत्र को उससे ज्यादा खतरा है या सरकार के उचित बिलों से ज्यादा खतरा है। अवधेश प्रताप सिंह जी ने सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते हुये कराहती हुई आवाज से कहा कि सरकार मदान्ध है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक सही बात जो सरकार करना चाहती है, गरीबों को जल्दी न्याय दिलाना चाहती है और सही तरीके से दिलाना चाहती है, उस का विरोध करना कहां तक ठीक है। अगर उनके शब्दों में ऐसा करना किसी सरकार के लिये मदान्ध हो सकता है तो यह हमारी सरकार के लिये मुबारक है। विरोध के लोग इस बिल को एक संकुचित दृष्टि से देखते हैं और अपने ज्ञान-चक्षु को बन्द कर के इतने मदान्ध हो गये हैं कि उनके देखने की शक्ति जा चुकी है कि इस विधेयक में क्या औचित्य है। उनकी जो यह आलोचनात्मक दृष्टि है, उससे भले ही इस बिल को कुंठित दृष्टि से देखें और भले ही वह अपने ज्ञान चक्षुओं को बन्द कर लें लेकिन उससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है।

मेरा तो विचार है कि अगर कोई चीज सही तरीके से आती है तो उसका रेसपेक्ट होनी चाहिये, उस को मान लेना चाहिये। यह दूसरी बात है कि अगर हमारी समझ में कोई इस प्रकार के सुझाव आते हैं जिससे सरकार का और देश को बल मिल सकता तो हम उनको लायें। लेकिन एक दम एक ही दृष्टि से आलोचना करना, बहुत बड़ी ज्यादती है और डैमोक्रेसी को इससे बहुत बड़ा खतरा है। कुछ साथियों ने प्रेस्टिज का प्रश्न उठाया और कुछ साथियों ने प्रेस्टिज की परिभाषा अपने तरीके से कर के बहकाने की कोशिश की। उनके विचार से तो प्रेस्टिज के यह माने हैं कि किसी भी झूठी बात को मेनटेन करने के लिये, चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न हो, लेकिन उसके ऊपर अड़ा रहना है।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

परन्तु मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस्टिज के माने यह समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष--आप जरा धीरे बोलें और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें।

श्री रामेश्वर प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, मुझे जरा गलत बातें पेश कर के उभाड़ दिया गया है, इसलिये आवाज जरा ऊंची हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष--आप स्वयं क्यों उभड़ते हैं, दूसरों को उभाड़िये।

श्री रामेश्वर प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, आप के आने से पूर्व मैं कह रहा था कि प्रेस्टिज के माने लगाने में यहां कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया। मैं तो प्रेस्टिज के माने यह समझता हूं कि अगर किसी ऊंचे व्यक्ति द्वारा किसी अच्छी बात को कह दिया जाय, जबान से निकाल दिया जाय, या कह दिया जाय या कर दिया जाय तो उस चीज की ऊंचाई को, उसके बड़प्पन को कायम रखने के लिये अगर कोई कुरबानी भी करनी पड़े तो अवश्य करना चाहिये। मैं तो सीधे सीधे प्रेस्टिज के ये ही माने समझता हूं। अगर इससे दूसरा कोई और अर्थ माननीय सदस्य समझते हैं तो वह लोगों को बहकावे में डालने की बात है और कुछ नहीं है। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि किसी राज्य में न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये तो श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, न्याय मद्दा और सुलभ होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है।

श्री सुरथबहादुर शाह--श्रीमन्, 'मद्दा' किसे कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--'सस्ता' जिसको कहा जाता है 'मद्दा' उसी को कहते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--श्रीमन्, मैं जिन वोटरों के लिये यह शब्द कह रहा हूं वे इसको खूब समझते हैं हमारे मित्र भले ही न समझते हों। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी राज्य का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपनी जनता के लिये न्याय व्यवस्था ऐसे तरीके पर करे कि वह सर्वसाधारण के लिये बहुत ही सस्ते तरीके से और बहुत ही कम समय में मिल पावे। लेकिन उस बात को न कह कर और बातों को लाना और नक्शे को दूसरे तरीके से पेश करना और यह कहना कि कोर्ट फीस बिल लाने से न्याय की सुलभता, सरलता और सस्तापन खत्म हो जायगा यह ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी भी यही कह रही है कि केवल कोर्ट फीस को घटाने से ही न्याय सस्ता नहीं होता, न्याय को सस्ता करने के और भी फैक्टर्स हैं। मुझे ताज्जुब होता है महज आलोचना करने के लिये तो यह बात कह दी जाती है कि कोर्ट फीस लगा रहे हो इससे जनता की रीढ़ टूट जायगी। अभी माननीय प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि वह भी वकील हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी बात वह क्यों नहीं कहते ? वकील की फीस भी मद्दी होनी चाहिये। मैं तो खुश होता अगर वकील साथियों से भी उन्होंने फीस मद्दी करने की अपील की होती। अगर वह इस प्रकार के फैक्टर्स पर जोर दिये होते और विलिंग कट किये होते तो मैं समझता और वह एप्रीशियेबिल बात होती, लेकिन श्रीमन्, जब अपनी बात आ जाय और अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात हो तो उसकी यहां कैसे दुहाई दी जा सकती है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस कोर्टफीस के सिलसिले में वकीलों के पक्ष और विपक्ष की बात पर बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--जी हां, यह जिक्र हो सकता है, सस्ती करने के सिलसिले में एक उदाहरण वे दे सकते हैं कि इससे भी सस्ता हो सकता है, इतना सुझाव वह दे सकते हैं। चूंकि और लोगों

आक्षेप किये हैं कोर्ट फीस के सिलसिले में तो वह यह कह रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट फीस से ही महंगी न्याय प्रणाली नहीं होती बल्कि वकीलों की फीस से भी महंगी हो जाती है। वह इस तरह का जिक्र कर सकते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह---वह समझा नहीं पा रहे हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---यह बात दूसरी है। (श्री रामेश्वर प्रसाद से) आप जरा शान्ति से बोलें तो उनकी समझ में आ जाय।

श्री रामेश्वर प्रसाद---धन्यवाद, अब मैं धीरे-धीरे शान्त होने पर आ रहा हूं। वे लोग तो मेरी विचारधारा का सिलसिला ही तोड़ देते हैं। खैर, तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कोर्ट फीस के कम करने की बात के साथ-साथ अगर वकीलों की फीस की बात कहते तो वह बैलेंस्ड और ऐप्रोशियेबिल बात होती।

इसके साथ-साथ ही मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी-अभी एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार टैक्स लगाती चली जा रही है, ऐसा न हो कि टैक्सेशन भगवान पैदा हो जायं। अध्यक्ष महोदय, उनका इशारा इस बात की तरफ था कि खतरा इस बात का है जैसे गांव में लोग कहा करते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, कलंकी अवतार न पैदा हो जाय, उनका शायद इसी बात की ओर इशारा था। उनको जनता पर जो टैक्स लग रहा है उसके लिये बड़ी भारी परेशानी है कि कहीं टैक्स लगाने में ही यह सरकार खत्म न हो जाय। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार का पक्का इरादा है, इसके पास एक नक्शा है, एक मंजिले मकसूद तक इसको पहुंचना है, एक समाजवादी ढांचा इसको तैयार करना है, उसके लिये टैक्स क्या अगर किसी भी अच्छे कार्य की पूर्ति के लिये कोई इससे भी बड़ी कुरबानी करनी पड़े तो हर इंडिविजुअल, जो इन बेंचेज पर बैठा हुआ है उसके लिये तैयार रहेगा और उसके लिये वह परेशान नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि जो धमकियां उधर से दी जाती हैं और डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट प्रहार किये जाते हैं वे उन्हीं को मुबारक रहें, यहां उन बातों का असर होने वाला नहीं है। जो एक मर्तबा हमने इरादा कर लिया है उस तक हमको पहुंचना है चाहे रास्ते में उसके लिये कितनी ही दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़े।

हमने यहां की जनता के कल्याण के लिये एक वायदा किया है, एक जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी की पूर्ति के लिये जो भी उचित होगा उसके लिये कोई कसर नहीं रखेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कोर्ट फीस का बिल है अगर इस पर आप एक बैलेंस्ड दृष्टि से देखें तो यह बात साफ समझ में आ जाती है कि यही सरकार नहीं देश की तमाम सरकारें इस कोर्ट फीस को लगाती हैं और लगा करके इसके जरिये से जस्टिस का प्रावीजन करती हैं। यह भी देखा जाय कि दूसरे प्रदेशों में इसका क्या रेट है और हमारे यहां क्या है? जैसे अध्यक्ष महोदय, आपके पहले तो इतनी कटु आलोचना की गई कि कमर टूट जायगी, गरीब मर जायगा तो मैं नहीं समझता कि मद्रास की जनता क्या जनता नहीं है? उनकी समस्यायें क्या वैसी नहीं हैं जैसी हमारी हैं? क्या उनको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती? मेरे साथी देखें कि वहां भी इस तरह की समस्यायें हैं, वहां की कोर्ट फीस की जो इन्कम है वह हमारे प्रदेश से कहीं अधिक है। इस तरह की आलोचना में समझता हूं, अनबैलेन्स्ड है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच हमने, आपने तथा सरकार ने जनता की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है तो बतायें कि अगर कोर्ट फीस न लगायें तो वह धन कहां से आयेगा जिससे न्याय की व्यवस्था की जायगी जनता के लिये? अगर कोई माननीय सदस्य बगैर जनता पर बोझ पड़े आमदनी का जरिया बता दें तो यह सरकार किसी भी दुराग्रह पर नहीं रुकेगी। सरकार इसको फौरन वापस ले लेगी, लेकिन केवल आलोचना की दृष्टि से यह कहना कि इसको वापस ले लें, और ऐसे समय में जब कि योजनाओं को पूरा करना है,

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। तमाम सदस्य यह समझ कर कि जनता की सुविधा के लिये ही यह प्रस्तुत किया जा रहा है किसी को भी इसके पास करने में उज्र नहीं होना चाहिये। जहां तक सरकार की नीति का सवाल है .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कुछ बात मंत्री जी के लिये जवाब देने को आप छोड़ दें।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मैं खत्म कर रहा हूं, श्रीमन्। जहां तक नीति का सवाल है यह तो जाहिर हो चुका जब कि गांव पंचायत अदालतों को सरकार के द्वारा पहले १०० रुपये फिर ५०० रुपये तक के मुकदमों के निपटारे की जिम्मेदारी दी जा रही है कि न्याय सुलभ हो, जल्दी हो, मौके पर हो, आसान हो, गरीब के लिये तो मंशा सरकार का साफ है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद हमारे सदन के विरोधी पक्ष के साथी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे और इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहता हूं उस पर गौर नहीं किया जाता, मुझे ५ ही मिनट मिल जाते।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें, मैं कल आपको समय दे दूंगा, आप बीच में न बोला करें। आप मेरे पास स्लिप भेज दिया करें मैं आपको मौका दे दूंगा लेकिन बीच में बोलने का तरीका अच्छा नहीं है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी के प्रवेश पर)

श्री अध्यक्ष--जिस वक्त घंटी बन्द हो दरवाजा बन्द हो जाना चाहिये। ब्रह्मचारी जी बाद में आये हैं इसलिये वे हाथ न उठावें। वे मत नहीं दे सकते।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७९,

विपक्ष में--४७।)

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, जहांतक इस बिल का ताल्लुक है मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में इस की बहुत ज्यादा तफसील बयान नहीं की थी और वह इसलिये कि मुझे यह उम्मीद थी कि शायद माननीय सदस्य, जो असली गरज इस बिल की है उस को एप्रीशियेट करेंगे और शायद उन की तरफ से इस का इतना सख्त विरोध न होगा जिसका इजहार इस सदन में किया गया। बहरहाल, जहांतक हमारे विरोधी भाइयों का सवाल है उनसे तो कोई दूसरी तवक्को मुझे थी नहीं, मगर ताज्जुब यह है कि बहुत से हमारे साथी भी उस धोखे में आ गये और उन्होंने यह समझा कि शायद वाकई सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है कि एक ऐसा बिल पेश हुआ है। मुश्किल यह है कि टैक्सेशन का कोई भी कानून हो, किसी जरिये से रुपया बढ़ाने की अगर कोशिश की जाय और चाहे अच्छे से अच्छे काम के लिये क्यों न हों मगर वह हर शख्स को नागवार होता है चाहे वह अपना हो चाहे वह गैर हो।

जहां तक कोर्ट फीस बिल का ताल्लुक है जरूरत यह थी कि लोग ठंडे दिल से यह सोचते कि कोर्ट फीस किन हालतों में लगाई जाती है। कोई शख्स मजबूर नहीं किया जाता कि वह अदालत में जाय, किसी शख्स के ऊपर ज्यादती नहीं होती कि पकड़ कर उसको हम भेजना चाहें। जहां तक फौजदारी के मुकदमों का ताल्लुक है, मुमकिन है कुछ दरख्वास्तों वगैरह के सिलसिले में उनका कुछ ताल्लुक कोर्ट फीस ऐक्ट से हो, लेकिन और कोई उनका ताल्लुक इस ऐक्ट से नहीं है। ज्यादातर इसका ताल्लुक दीवानी के मुकदमों से ही है जिसमें जायदाद वगैरह के मुकदमे आते हैं। सोचने की जरूरत यह है कि आमतौर से इसका भार किस पर पड़ता है। यह सही है कि इब्तिदा में जो अदालत में जाता है उसको कोर्ट फीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर उसका दावा सही है तो अदालत उसके हक में डिक्री करती है और जो शख्स गलत तरीके से उसके हक से इन्कार कर रहा था उसके ऊपर उसका भार पड़ जाता है। दीवानी का मुकदमा जब दो फरीक में होता है तो यकीनन एक फरीक सही और दूसरा गलत होता है। यह भी मुमकिन है कि कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमी की बुनियाद पर इख्तलाफ हो और उसकी वजह से लोग अदालत में चले जांय लेकिन आमतौर से यही होता है कि एक शख्स बहुत ज्यादा मांगता है और दूसरा शख्स जो मुद्दई का हक होता है उससे भी इन्कार करता है और इसी वजह से मुकदमेबाजी इतनी ज्यादा होती है।

हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक ऐसी टेन्डेन्सी हो गयी है कि मुकदमेबाजी सिर्फ ऐसी हालत में नहीं की जाती जब कि वह बहुत लाजिमी हो। मैं कम से कम ३० वर्ष से इस पेशे में रहा हूं, मुझे तजुर्बा है कि अक्सर मुकदमे इस बुनियाद पर होते हैं, जहां प्रेस्टीज का का सवाल आ गया या हमको दूसरे फरीक को सताना है या हम यह समझ रहे कि चलो एक जुआ है शायद कानून हमारे हक में बैठ जाय या अदालत यह समझे कि जो दूसरे माने कानून क ह वे सही हैं। चाहे उस पर हाई कोर्ट की रूलिंग्स हों, लेकिन लोग यह समझते हैं कि आगे चल कर शायद रूलिंग बदल जाय और इस बुनियाद पर मुकदमा दायर कर देते हैं। झू गवाहों की बुनियाद पर यह उम्मीद करते हैं कि असलियत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर झूठे गवाह पेश कर सकेंगे तो हम मुकदमे में कामयाब हो जायंगे। इस तरह की टेन्डेन्सीज हमारे मुल्क में बहुत काफी पैदा हो गयी हैं। जिन फारेन कन्ट्रीज का जिक्र किया गया क्या उनसे हमारे मुल्क में जो हालात पैदा हो गयी हैं उनसे मुकाबला किया जा सकता ह। मुझ वहां का भी तजुर्बा है। मैंने दखा ह कि वहां अक्सर मुकदमे जो आपस के इख्तलाफ के होते हैं, खास कर जिनमें सिविल राइट्स का डिस्प्यूट होता है उनमें दोनों फरीक के सालिसिटर्स बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कस करके अपने-अपने मुवक्किलों को बता देते हैं कि इतना तुम ठीक हो और इतना वह ठीक है, लेकिन अगर किसी मर्तबा महज कानून की पेचीदगी से जरूरत हुई तब लोग अदालत में जात ह और उसमें भी यह उम्मीद नहीं होती कि झूठी गवाही देकर हम कामयाब हो जायंगे। लकिन अपने मुल्क में बदकिस्मती से ऐसी फिजा पैदा हो गई है कि लोग यह समझने लगे हैं कि अगर किसी शख्स को अदालत में जाने स रोका जाय तो उसक साथ बहुत सख्त जुल्म होने जा रहा है। क्या यह मुमकिन नहीं है कि किसी झगड़ के होने पर दोनों आदमी मिल जायं और फैसला कर लें? अगर उनकी नीयत मुकद्दमेबाजी की नहीं है तो यह आसानी से हो सकता है कि वह यह समझ लें कि कहां तक दूसरा फरीक हक पर है और कहां तक हम हक पर हैं। मुकदमेबाजी की तरफ इतनी हमदर्दी जो मुझे नजर आई उसस मुझे आश्चर्य हुआ।

गरीबों के लिये कहा गया कि सरकार नहीं चाहती है कि अदालत में जायं। मुमकिन है कि इब्तिदा में गरीब को ज्यादा देना पड़े, लेकिन अगर वह हक पर है तो यकीनन दूसरे फरीक से उसे खर्चा मिलेगा। ५०० रुपये तक के मुकदमों के अख्तियार पंचायतों को दे दिये गये हैं। बहस में एक सदस्य ने यहां तक कह दिया कि आप चायतों पर भी कोर्टफीस बढ़ा रहे हैं हालांकि यह वाकया नहीं है। यह दूसरी चीज है और इसके लिये पंचायत ऐक्ट

[श्री सैयद अली जहीर]

बना हुआ है उसमें एक दफा में लिखा है कि कोर्ट फीस के कानून का लगाव पंचायतों पर नहीं होगा। उनका कोर्टफीस बरायनाम ४ आने, ८ आने और एक रुपया है और इसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं करने जा रहे हैं। जहां तक गरीबों का ताल्लुक है इसीलिये पंचायतें कायम की गई हैं कि गरीबों को अदालतों में जाने की जहमत न उठानी पड़े। इसीलिये इनकी स्थापना हुई कि लोग आपस में अपने झगड़ों को पंचायती उसूलों पर निबटा लें जैसे कि हमेशा से होता आया है।

इन बातों को देखते हुये मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस किस्म के एतराज हुये कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी के ऊपर अन्याय हो या जबर्दस्ती हो। यहां तक कहा गया कि न्याय बेचने जा रहे हैं, न्याय महंगा होता जा रहा है। क्या आप यह चाहते हैं कि कोई आदमी ज्यादा रुपया दे दे और जैसा चाहे फैसला करा ले? गालिबन आपकी यह मंशा नहीं है। जो आम तौर पर तकरीरें हुईं उनमें इस बात को माना गया है कि हमारी अदालतें मुंसिफाना तरीक से फसला करती हैं और मुझे खुशी है और ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट फीस के घटाने और बढ़ाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। न्याय तो अपनी जगह पर होगा। दो फरीकों में से एक गलत दावा करता है तो कोई वजह नहीं है कि महज खेलने के लिये वह चीज सस्ती रखी जाय ताकि वह किसी को भी परेशान करे और अगर हार जाय तो उसके पास दौलत है, उसको कोई परवाह नहीं है तो वह मंशा नहीं है।

कहा यह गया कि आपने जो दर बढ़ाई हैं वह आपने इस तरह किया है कि आगे चलकर जो रेट्स हैं उनमें ज्यादा सहूलियत हो। ऐसा नहीं किया गया है। १०० रुपये के ऊपर जो कोर्ट फीस उस वक्त थी वही अब भी है। इसी में अक्सर गरीब आ जाते हैं। २०० रुपये पर २० से साढ़े २२ की गयी है। ३०० पर ३० से ३५ की गयी है और ५०० पर ५५ से ६५ की गयी है। उसके बाद से जरूर ज्यादा तेजी के साथ रेट्स बढ़े हैं। एक हजार रुपये पर १४२ से १७७ और ५,००० पर ५२२ से ६५७ हुई है। लेकिन इसका असर गरीबों पर नहीं पड़ेगा। इन बातों को देखते हुए गरीबों पर हम कोई अन्याय करना चाहते हैं यह किसी तरह से सही नहीं है। वाकया यह है कि जो इस वक्त मुकदमों में लोगों को परेशानी होती है जिसकी वजह से अदालत जाते हुए घबराते हैं तो वह कोर्ट फीस नहीं है। वह तो और असबाब हैं जैसा कि माननीय रामेश्वर प्रसाद ने कहा और इशारा किया।

असल बात तो यह है कि हमारे वकीलों की फीसें इतनी ज्यादा हो गयी हैं कि उसका भार बरदाश्त करना लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल यह होती है कि अगर एक तरफ से कोई सीनियर वकील आ गया जो ज्यादा पैसा लेता है तो दूसरी तरफ से गरीब आदमी चाहे बेचारा बिक ही क्यों न जाय उसके मुकाबल का एक वकील लाने की जरूर कोशिश करता है। जहां तक कोर्ट फीस का ताल्लुक है उसका कोई असर नहीं और जैसा कि मैंने कहा वह वसूल भी हो जाता है। जहां तक वकील की फीस का ताल्लुक है कानून उसका भी बना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, हर लीगल प्रैक्टीशनर जानता होगा, कि उस फीस पर वह इतमीनान नहीं करता। हमेशा इस कोशिश में रहता है कि जितना ज्यादा मिल सके ले, क्योंकि वह तो एक प्राइवेट कांट्रेक्ट की बात है। वह पोजीशन, स्टेट्स और मांग का सवाल है। और भी बहुत से अखराजात हैं जिनकी तरफ से मैं आंख नहीं बन्द कर सकता। करप्शन वगैरह भी है। किसी हद तक उसकी वजह से भी परेशानी है। बहुत सी गलत बातें भी होती हैं, लेकिन वह चीजें बिल्कुल अलग हैं। उससे आप नहीं कह सकते कि कोर्ट फीस होने की वजह से अदालत में जहमत बरदाश्त करनी पड़ती है।

एक माननीय सदस्य ने तजवीज पेश की कि जो कुछ रुपया कोर्ट फीस से आये उसका अलग एक फंड कायम कर दिया जाय और उस फंड से महज ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च हो। तजवीज तो बहुत अच्छी है लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा कांस्टीट्यूशन है वह

इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे आर्टिकिल २५६ में यह है कि स्टेट की जो भी आमदनी होगी वह एक कंसालिडेटेड फंड में जायगी और उसका नाम होगा कंसालिडटेड फंड आफ दि स्टेट, वहीं से सारे अखराजात किये जायंगे। यह सही है कि बाज कमेटियों की राय है और खुद हमारा खयाल है, हम भी यही समझते हैं कि अपने यहां जो फंड आयें वह ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च किया जाय। मगर सूरतेहाल इस वक्त क्या है? यह है कि हमारे यहां इससे जो आमदनी होती है वह तकरीबन १ करोड़ ९४ लाख के १९५८-५९ की है और १ करोड़ ७५ लाख के करीब एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च होगा। तो बजाहिर मालूम होता है कि हमन कम खर्च किया। लिहाजा हमको ज्यादा रुपये की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी कई आइटम इसमें हैं जसे एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के आफिसर्स हैं वे खर्च इसमें नहीं आते हैं वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे से मीट होते हैं। जैसे हमारे जुडिशियल आफिसर हैं या बाज मजिस्ट्रेट होते हैं जो इन्क्वायरी करते हैं उनका भी इससे ताल्लुक है। यह खर्चे अगर आप जोड़ेंगे तो यकीनन यह मालूम होगा कि बजाय १ करोड़ ७५ लाख के यह खर्चा २। करोड़ के करीब हो जाता है।

अब जहां तक इससे आमदनी का ताल्लुक है हमारी यह उम्मीद है कि इससे करीब ३० लाख रुपया आयेगा। सवाल यह होगा कि इस रुपये का क्या करेंगे। मेरी अर्ज यह है कि जो हमारी अदालतों की हालात ह वह आप देख ही रहे हैं। जिलों में जितनी हमारी पुरानी अदालतें हैं वह बहुत बोशीदा हालत में हैं। वाक़या यह ह कि उनमें जाते हुये शर्म आती है। कुछ जिलों को छोड़ कर जहां पर नई अदालतें बनी हैं वहां तो हालात कुछ ठीक ह। हमारी कोशिश यह ह कि हमारी ये अदालत कम से कम कुछ तो नई हो जायं जिसस वहां जात हुय शर्म न आये। वहां हालत यह है कि मुन्सिफ बैठा हुआ ह, उसी के नजदीक बाथ रूम बना है और वहीं पास म गवाह भी खड़ा हुआ ह। कुल दो गज का भी फासला नहीं होता ह। उस छोटी सी जगह में १०, १५ आदमी जमा हो जाते हैं। इससे बड़ी मुसीबत वहां होती ह। इस तरह से काम चल रहा है। जब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस था तो मेरी कोशिश यह थी कि ५,६ लाख रुपया सालाना मिल सके जिससे हर साल कुछ इमारत हम बना सकें लेकिन और अखराजात जरूरी थे इसलिये वह जनरल रेवेन्यू से रुपया नहीं मिल सका। हमारी यह भी कोशिश थी कि इसके लिये कोई स्कीम तैयार करें और एक प्लान लेकर चलें तो उसका भी हिसाब देखा गया तो वह ७५, ८० लाख का तखमीना हुआ। इसके अलावा हमने यह भी खयाल किया कि हमारे जो न्यायाधीश हैं या जिलों में और जुडिशियल आफिसर वगैरह हैं उनके लिये कुछ मकानों का इन्तजाम कर दें, क्योंकि उनके लिये रहने की बड़ी परेशानी रहती है और बाज जगहों पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनम बदअमनी पदा होने की बात आई कि मालिक लोग इनके ऊपर असर डालते हैं। तो हमने कोशिश की कि २, ४ मकान हर साल जिलों में बन जायं जिससे उनके लिये रहने का ठिकाना हो जाय। मगर इसके लिय १।। करोड़ रुपय की प्लान बनी और वाबजूद हमारी कोशिश क वह रुपया मंजूर नहीं हो सका। उन्होंने कह दिया कि यह कोई डेवलेपमेंट का काम नहीं है। यह ठीक है भी है कि जो जनता के बहबूदी के काम हों उनको जल्दी किया जाय। लिहाजा रुपया नहीं दिया गया और बाहर के रिसोर्सेज से ही रुपया पैदा करना ह जिससे इमारत की आइटम क लिये रुपया आ सके। लिहाजा हम यह बिल आपक सामन पेश कर रहे ह जिससे कछ आमदनी बढ़ जाय जिससे प्लानिंग के जो आइटम ह और जो दूसरे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वह पूरे कर सकें। इसके भी मायने गलत समझ गये। हमारा मंशा यह ह कि जनरल रेवेन्यू फंड के लिये कुछ रुपया आ जाय। वैसे कंसालिडेटेड फंड में तो सारा रुपया ही जाता है वहीं से हम लेते हैं; लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के ही खर्चे इतने ज्यादा हैं कि अगर उनके लिये रुपया नहीं मिला तो वह पूरे नहीं हो सकेंगे।

कुछ खास-खास आइटम्स पर एतराज किया गया। कहा गया कि रिट ऐप्लीकेशन्स की फीस एक दम से बढ़ा दी गयी। उन्होंने कहा कि लोगों का

[श्री सैयद अली जहीर]

राइट है यह और उसे आप छीन रहे हैं। मैं और कोई बात नहीं कहता लेकिन आप दावों को, अपीलों को या रिट अप्लीकेशन्स को देख लीजिये। उनमें कितने मंजूर होते हैं और कितने खारिज। दावे ७० फीसदी, अपीलें ८० फीसदी और रिट ऐप्लीकेशन्स भी ८० फीसदी के करीब खारिज हो जाती हैं। इसके अलावा देखा जाय कि यह रिट दायर कौन कर रहा है। एक स्टूडेंट है, उसे इम्तहान में नहीं बैठने दिया गया, वह रिट ऐप्लीकेशन लिये हुए खड़ा है। एक इम्प्लाई है, डिस्मिस हो गया, वह रिट ऐप्लीकेशन लिये खड़ा है। किसी शख्स ने जरा भी समझा कि उसके राइट्स इंफ्रिंज हो गये, रिट ऐप्लीकेशन दायर कर दी। नतीजा कुछ भी नहीं। लेकिन वह समझता है कि कुछ मुद्दत के लिये तो हमारे हकूक कायम रह जायेंगे और जो आर्डर पास हुआ है वह रुक जायगा। बहुत से लोग, बिजनेस मन, या टैक्स जिन पर लगता है वह सब लोग इसीलिये यह करते हैं कि कुछ दिन के लिये उनको नजात मिल जाय। तो इस तरह की बात को कैसे रोका जायगा? मुकदमे तो मुंसिफ के कोर्ट में होते हैं। उसकी तनख्वाह कम है। हम उसे ३, ४ या ५ सौ रुपया देते हैं, लेकिन रिट हाई कोर्ट में जाते हैं और एक बड़ा जज उनका फैसला करता है। कभी-कभी दो जज फैसला करते हैं। तो एक-एक रिट में बहस भी कई-कई दिन तक चलती है। उसमें कुछ रुपया खर्च होता है। हम को लायर्स इंगेज करने पड़ते हैं और उनको फीस देनी पड़ती है। तो यह रुपया कहां से आयेगा? अगर यह मामला छोटी अदालत से शुरू होता तो मुमकिन था कि हमारा खर्च कुछ बच जाता, लेकिन जब हाइएस्ट कोर्ट में आप जाते हैं तो इसके कोई मान नहीं है कि ३ रुपये १२ आने पर इतने बड़े मामले का फैसला आप को मिल जाय। चूंकि फीस इतनी कम है इसीलिये लोग इतने ज्यादा रिट फाइल करते हैं। कामयाबी उसमें कम होती है, लेकिन हर पंचायत के फैसले तक में रिट लगा हुआ आपको मिलेगा। शायद ही हाई कोर्ट उसमें कभी इंटरफियर करता हो, लेकिन वह दायर होते हैं। तो इसको रोकने की क्या सूरत है? बहरहाल, आपने एतराज किया और उस पर हमने गौर किया है। मुझे भी लगा कि ३ रुपये १२ आने को बढ़ा कर १०० रुपया करना अच्छा नहीं लगता, हालांकि ठीक है। इसलिये गालिबन सरकार की तरफ से एक तरमीम आयगी और शायद माननीय सदस्य उसको मान लें। हम उसको ५० रुपया करने जा रहे हैं। इसी तरह से इस कानून को देखने से मालूम होता है कि कोर्ट फीस ज्यादा हो रही है, लेकिन असल में जो कानून आपके सामने है उसका मंशा यह है कि इससे जनता को फायदा हो। जो फजूलियात में अदालत में उसका रुपया खर्च होता है वह जहां तक हो बच सके, गैम्बलिंग न हो, स्पकुलेशन न हो लिटिगेशन में और लेजिटिमेट राइट्स उनके तय हो सकें।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ दिसम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर ।)

तहसील महाराजगंज जिला गोरखपुर में गन्धी मक्खियों के विरुद्ध रोकथाम कार्य किये गये १४१ ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम		क्रम संख्या	ग्राम का नाम
१	२		३	४
१	बैडोली	..	३४	सिहान
२	निचलौल	..	३५	केमा
३	सिरौली	..	३६	जेहदा
४	कपरोली	..	३७	रामचन्द्र राही
५	नरेना कपल	..	३८	सितलेपुर
६	वरधियाकला	..	३९	वहुआर
७	वहरोली	..	४०	गढ़या
८	कापिया	..	४१	बैतावा
९	कनौली	..	४२	बढ़हैया
१०	उवारी	..	४३	ढेंतों
११	बेली	..	४४	बेझाई
१२	वारादिव	..	४५	धिरोली
१३	पिपरा काजी	..	४६	चांडा
१४	जमई कला	..	४७	कलानही
१५	कठौनी	..	४८	नटवा
१६	झरवेलिया	..	४९	बरगदवा
१७	गनौरा	..	५०	पंचद्वारी
१८	लक्ष्मीपुर खुर्द	..	५१	बाराहरा
१९	दिघाई	..	५२	धनगरा
२०	कनी सही	..	५३	हरपुर
२१	पिपरा	..	५४	बिरौली
२२	छिटौना	..	५५	विभतौली राजा
२३	थूथी बड़ी	..	५६	टिरकौलिया
२४	माधो नगर	..	५७	लक्ष्मीपुर
२५	लोहरौली	..	५८	निबुआ
२६	बलही खोन	..	५९	धरमपुर
२७	खमोरा	..	६०	द्रपुर
२८	बुरादिव	..	६१	विशुनपुर
२९	बीसाखोर	..	६२	सिसवा मुंशी
३०	कटहारी	..	६३	धरमोली
३१	सांड़ा	..	६४	लखौरिया
३२	पकारी	..	६५	इमिलिया
३३	निपनियां	..	६६	कुसमोलिया

संसद विधान सभा

क्रम संख्या	ग्राम का नाम		क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
६७	यादव पिपरा	..	१०५	गोरहुआ
६८	सिरखईया	..	१०६	सिमेरा
६९	सिमेरा	..	१०७	रामनगर
७०	बनसवां	..	१०८	दरौली
७१	छपिया	..	१०९	इमोलिया
७२	मोहम्मदी	..	११०	सिसवा
७३	कुर्ती	..	१११	मुंडोली
७४	रामपुर	..	११२	दुवोली
७५	लक्ष्मीपुर	..	११३	बागापार
७६	पिपरपही	..	११४	सलामतागढ़
७७	परसैया	..	११५	जंगपुर
७८	महोवा	..	११६	पारखाना
७९	हुंडौरा	..	११७	रमहौलिया
८०	चौक	..	११८	रुवोली
८१	कोहरोर	..	११९	कन्ध
८२	दुरातार	..	१२०	अमहवा
८३	जमुनी	..	१२१	मितोली
८४	हरखोसा	..	१२२	हरपुर पकनी
८५	मिथौरा	..	१२३	सिसवा खुर्द
८६	पटरैनगवां	..	१२४	सिसवा बाजार
८७	मगातार	..	१२५	विपापार
८८	कटमू कनिपुर	..	१२६	नावौनगर
८९	विथनोली	..	१२७	पकाड़ी सिसवा
९०	खेप्पो पारा	..	१२८	हरपुर
९१	शिवराजी	..	१२९	पटरनगवा
९२	नाता सुहला	..	१३०	दरेबा
९३	मंडलिया तिवारी	..	१३१	पचरखिया
९४	सुनेरा	..	१३२	विशुनपुर गहरिया
९५	कटहेरा	..	१३३	विलवा टोकर
९६	धनेवा धनई	..	१३४	बड़वा खुर्द
९७	बैजनाथपुर	..	१३५	निजुइया
९८	बंसपार	..	१३६	सिसवा
९९	तरकुलवा	..	१३७	मढ़कोरा
१००	महोवा	..	१३८	पकरी
१०१	बैकुन्ठपुर	..	१३९	बरबा चर्मागर
१०२	अमरतिया	..	१४०	राजा सिसबा
१०३	करमाही	..	१४१	करनलई
१०४	सथहरैया	..		

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर ।)

क्रम-संख्या	नाम जिला	कृषि उपज जो सीधी खरीद द्वारा क्रय किया गया
१	२	३
		(मन में)
१	सहारनपुर	२३२९
२	मेरठ	३४४९
३	बुलन्दशहर	१६७०
४	मुजफ्फरनगर	२९६६
५	देहरादून	..
६	मथुरा	४१८७
७	अलीगढ़	५७२७
८	एटा	३५९०
९	आगरा	९१५९
१०	मनपुरी	९
११	बरली	१०३३०
१२	पीलीभीत	२२५८
१३	शाहजहांपुर	४९४५
१४	मुरादाबाद	२२५३
१५	बिजनौर	८४७
१६	रामपुर	..
१७	बदायूं	५३६८
१८	नैनीताल	४८३
१९	इलाहाबाद	१६९९८
२०	फर्रुखाबाद	५३०
२१	फतेहपुर	४००४
२२	कानपुर	२१२
२३	इटावा	४७४८
२४	हमीरपुर	३१०२
२५	जालौन	११९८
२६	बांदा	२०६२
२७	झांसी	२२७५
२८	बस्ती	२२९५
२९	गोरखपुर	..
३०	आजमगढ़	..
३१	वाराणसी	२२१
३२	मिर्जापुर	१६९८
३३	जौनपुर	१९८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम जिला				कृषि उपज जो सीधी खरीद द्वारा क्रय किया गया
१	२				३
३४	गाजीपुर	..	..	..	..
३५	बलिया	..	..	..	४०
३६	फैजाबाद	..	..	..	११७८६
३७	गोंडा	..	..	..	५६९६
३८	बहराइच	..	..	..	३३६४
३९	सुल्तानपुर	..	..	..	७३५
४०	प्रतापगढ़	..	..	..	..
४१	रायबरेली	..	..	..	६०१०
४२	सीतापुर	..	..	..	२९४९
४३	खीरी	..	..	..	९१६
४४	हरदोई	..	..	..	६३
				योग ..	१,३२,४६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर।)

तालिका

क्रम सं०	बीज गोदाम का नाम	धान मन	मक्का मन	तिल मन	मूंगफली मन	उर्द मन	मूंग मन	ढेंचा मन	ग्वार मन	सावां मन	काउची मन	अरहर मन	कुल योग (मनों में)
१	कुन्डा घाट ..	८२८	१३	२	८	३	५	७	..	..	६१	१८	९५०
२	चरगवां ..	९९३	१२	१	५	२	४	३५	३	..	..	१५	१०७०
३	कैम्पियरगंज ..	२७५८	१५	१	१२	४	३	२०	४	१	..	४	२८२२
४	फरेन्दा ..	३२५३	११	१	१०	२	२	१०	३	..	..	..	३२९२
५	नवतनवां ..	६७९८	१७	..	१५	१	२	१५	४	..	..	..	६८५२
६	बृजमनगंज ..	७९३१	९	..	१०	..	१	२०	..	..	..	..	७९७१
७	महराजगंज ..	३९४६	८	३	९	२	५	१६	५	..	१०	..	४००४
८	निचलौल ..	१९१०	९	..	८	३	६	१६	६	..	..	..	१९५८
९	परतावल ..	१३८८	३	१	८	३	३	८	१०	..	..	..	१४२४
१०	सिसवांबाजार	३०५०	१०	१	९	२	४	१०	५	..	..	..	३०९१
११	घुघली ..	८५७	६	..	५	५	२	५	५	..	..	..	८८५
१२	पनियरा ..	१०६३	८	..	२	२	..	..	..	..	..	..	१०७५
१३	बांसगांव ..	२७०	३	१	१६	१	३	११	१०	..	..	..	३१५
१४	कौड़ीराम ..	३९५	३	१	९	२	३	१५	१०	..	.	..	४३८
१५	बड़हलगंज ..	४०८	४	१	११	..	..	३६	१५	..	..	.	४७५
१६	खजनी ..	४१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	४१
	योग (मनों में)	३५८८९	१३१	१३	१३७	३२	४३	२२४	८५	१	७१	३७	३६६६३

अनंत विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर।)

अस्थायी पी० एस० एम० एस०, अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
१--डा० ए० के० कटियार	२३-५-४६
२--डा० लक्ष्मन सेन शर्मा	२४-९-४७
३--डा० बासुदेव लाल	२४-७-४८
४--डा० एस० सी० मुई	१-९-४८
५--डा० डी० सी० मजूमदार	६-९-४८
६--डा० आर० एम० टंडन	७-९-४८
७--डा० एस० एम० विसवास	९-९-४८
८--डा० अमर सिंह	११-९-४८
९--डा० एम० जे० ठाकुर	१३-९-४८
१०--डा० एस० सी० सेन गप्ता	१६-९-४८
११--डा० के० एम० गंगवानी	१७-९-४८
१२--डा० करतार सिंह	१७-९-४८
१३--डा० एच० आर० टंडन	२०-९-४८
१४--डा० ए० के० मजूमदार	१-१०-४८
१५--डा० के० सी० बोस	८-११-४८
१६--डा० ए० भट्टाचारजी	१४-१-४९
१७--डा० एस० एन० बीरमानी	६-२-४९
१८--डा० शांती स्वरुप	८-३-४९
१९--डा० पी० के० सेन	१३-५-४९
२०--डा० ए० एन० सेंगल	२५-५-४९
२१--डा० पी० के० भौमिक	३१-५-४९
२२--डा० बी० के० चक्रवर्ती	१०-११-४९
२३--डा० जे० के० राम	४-१२-४९
२४--डा० एच० एस० भागर्व	६-३-५०
२५--डा० एन० जी० राय	७-८-५०
२६--डा० बी० एस० कालसी	१०-८-५०
२७--डा० टी० एन० भार्गवा	१-५-५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर।)

अनुसूची 'क'

कम-सं०	ग्राम का नाम			तहसील	तालाब का नाम
१	सकलडीहा	..	..	चन्दौली	सकलडीहा का पोखरा
२	भट्टी	..	..	,,	चतुर्भुज का तालाब
३	घरहरा	..	..	,,	घरोसी तालाब
४	अमड़ा	..	..	,,	अमड़ा तालाब
५	चखनीया	..	..	,,	चखनीया तालाब
६	बहेरी	..	..	,,	बहेरी तालाब
७	कमालपुर	..	..	,,	कमालपुर का बड़ा पोखरा
८	बहादुरपुर	..	..	,,	बहादुरपुर तालाब
९	सडसा	..		,,	सडसा का पोखरा

अनुसूची "ख"

कक सं०	तालाब का नाम		१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७
१	सकलडीहा का पोखरा	..	इस वर्ष कोई	५४०·८६	१२१६·६२	..	५४३.४८
२	चतुर्भुज तालाब		पोखरा	५४७·५९	२५०·२२	२९९·४४	३५·००
३	घरौरी तालाब		विभाग के	९९·७२	२६८·८४	५०·२७	१०५·२३
४	अमड़ा तालाब		पास नहीं था।	२०·१४	२७६·१२	..	..
५	चखनीया तालाब	..	कार्य १९५३ से प्रारम्भ	२५६·६	३३०·३४	..	..
६	बहेरी तालाब		किया गया।	१८०·००	१४४·९	..	..
७	कमालपुर का बड़ा पोखरा			१४४·६२	६४६·५६	..	..
८	बहादुरपुर का तालाब		यह दोनों तालाब नर्सरी के रुप में उपयोग किये गये अतः इनसे कोई आय नहीं हुई।				
९	सडसा का पोखरा						

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२८५ एल० ए०—१९५९–८४५